




मासिक शिविरा पत्रिका

वर्ष : 64 | अंक : 09 | मार्च, 2024 | पृष्ठ : 56 | मूल्य : ₹20


**WORLD BOOK
OF RECORDS**
LONDON
**PROVISIONAL
CERTIFICATE**
Department of School Education
Government of Rajasthan
India

Has been adjudicated for
organizing a mass event of Surya Namaskar in
schools of Rajasthan involving 50 Lakh participants
at 80,000 schools at the same time with different
locations from 10.30 am to 10.45 am
on 15 February 2024.

INDIA EDITION

C.No. - WBR/RC/1362/2024
Date: 15th February 2024

Adjudicated by
Iudex International Law



निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में निदेशक श्री आशीष मोदी के नेतृत्व में श्रमदान करते हुए अधिकारीगण एवं कार्मिक





सत्यमेव जयते



मदन दिलावर
मंत्री

शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत)
एवं पंचावती राज विभाग
राजस्थान सरकार

“विद्यार्थी सहज भाव से पूर्ण आत्मविश्वासपूर्वक तनावमुक्त वातावरण में परीक्षाओं में सम्मिलित हो, यह सुनिश्चित करना हम सब का दायित्व है। परीक्षा एक वृहद आयोजन है और परीक्षाओं की पवित्रता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना विभाग व राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बोर्ड परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभाग व बोर्ड द्वारा जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उसी अनुरूप परीक्षाओं का आयोजन-सम्पादन करवाना इस महती कार्य से जुड़े प्रत्येक कार्मिक का दायित्व है।”

मेरा संदेश

चरैवेति-चरैवेति.....

राजस्थान प्रदेश का शैक्षिक भविष्य उज्वल है और राज्य सरकार प्रदेश के नौनिहालों की शैक्षिक उत्कृष्टता हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस शैक्षिक उन्नयनकारी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए समर्पित व सामूहिक प्रयासों की अनुकरणीय पहल का आदर्श उदाहरण 15 फरवरी, 2024 को देखने को मिला जब प्रकाश व ऊर्जा के अनंत स्रोत तथा उमंग व उत्साह के प्रतीक भगवान सूर्यनारायण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रदेश के समस्त विद्यालयों में समुदाय व जन प्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ शिक्षा परिवार ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार कर विश्व कीर्तिमान बनाया, यह सब आप सबके कर्तव्यनिष्ठ सम्मिलित प्रयासों का ही सुफल है। इस गौरवमयी उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई!

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की वार्षिक परीक्षाएँ प्रारम्भ हो गयी हैं। परीक्षा वर्ष भर में शिक्षक वृंद द्वारा किए गए शिक्षण कार्य के मूल्यांकन का पैमाना है और विद्यार्थियों के लिए सत्र पर्यन्त अपने गुरुजन के मार्गदर्शन में किए गए अध्ययन-अधिगम के प्रस्तुतीकरण का माध्यम है। अतः विद्यार्थी सहज भाव से पूर्ण आत्मविश्वासपूर्वक तनावमुक्त वातावरण में परीक्षाओं में सम्मिलित हो, यह सुनिश्चित करना हम सब का दायित्व है। परीक्षा एक वृहद आयोजन है और परीक्षाओं की पवित्रता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना विभाग व राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बोर्ड परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभाग व बोर्ड द्वारा जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उसी अनुरूप परीक्षाओं का आयोजन-सम्पादन करवाना इस महती कार्य से जुड़े प्रत्येक कार्मिक का दायित्व है।

इस माह में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो मातृशक्ति के वन्दन... अभिनंदन का दिन है। हमारी सनातनी संस्कृति में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' का पवित्र भाव समाहित है। अतः हम सब इस सर्वोच्च भाव को अंगीकार करते हुए श्रेष्ठ समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका एवं सहभागिता बढ़ाकर नारी सम्मान की अक्षुण्ण परम्परा को साकार करें।

23 मार्च भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव का अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ सर्वस्व अर्पण की चिरस्मृति का दिवस है। हम सभी भारत माता के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाएँ।

30 मार्च को शौर्य और त्याग की भूमि राजस्थान प्रदेश का स्थापना दिवस है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक व गौरवशाली परम्परा रही है। इस शुभावसर पर हम प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास की दिशा में संकल्पबद्ध होकर समर्पित प्रयास करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा विभाग इस पुनीत कार्य में अग्रगामी भूमिका का निर्वहन करेगा।

रंगों के त्यौहार होली का आगमन इसी माह में है जो नीरसता, द्वेष व कटुता को मिटाकर परस्पर सौहार्द बढ़ाकर आपसी स्नेह, प्रेम व भाईचारे का अद्भुत संदेश देने के साथ जीवन में उल्लास, उमंग एवं उत्साह के संचार का प्रतीक है। साथ ही भगवान शिव को समर्पित पर्व महाशिवरात्रि हमारी अंतरात्मा और चेतना की जागृति का उत्सव है। शिव सत्य, सौन्दर्य और अनंतता के प्रतीक है। अतः हम इस पावन पर्व पर अपने भीतर के शिवत्व को जगाएँ।

आर्य समाज के संस्थापक और वेदों की ओर लौटों के उद्घोषक स्वामी दयानन्द सरस्वती के कर्मशीलता के सिद्धांत को हम सब अंगीकार करें और यह हमारे कार्य व्यवहार में परिलक्षित भी हो। आप सभी शिक्षा जैसे पवित्र और गुरुतर दायित्व का निर्वहन राष्ट्र प्रथम भाव के साथ करेंगे और ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद् के सूत्र चरैवेति-चरैवेति के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन.....

(मदन दिलावर)



आशीष मोदी
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

“यह समय विद्यार्थियों द्वारा वर्ष पर्यन्त किए गये परिश्रम को सफल बनाने का है। परीक्षा के इस दौर में प्रत्येक शिक्षक और विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। आपके इस कार्य को सरल, सहज और प्रभावी बनाने हेतु स्वयं मेरे द्वारा ग्यारह बिन्दुओं की गाइड लाइन जारी की गयी है जिसके माध्यम से आप और अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है।”

दिशाकल्प : मेघ पृष्ठ

शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रतिबद्धता

ब दलते परिप्रेक्ष्य में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नित-नूतन नवचारों के द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसी शृंखला में 15 फरवरी, 2024 को जीवनदायिनी अक्षय ऊर्जा के स्रोत भगवान भास्कर को लगभग एक करोड़ पच्चीस लाख विद्यार्थियों द्वारा नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। प्रदेश के समस्त विद्यालयों के शिक्षकों एवम् विद्यार्थियों द्वारा एक ही समय में सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त शैक्षिक जगत को बधाई ! इस अवसर की महत्ता और अधिक बढ़ गयी जब माननीय शिक्षामन्त्री महोदय को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के वाईस प्रेसिडेंट श्री प्रथम भल्ला द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण-पत्र सौंपा गया। शासन सचिव श्री नवीन जैन एवं विशिष्ट शासन सचिव श्रीमती चित्रा गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगणों की उपस्थिति में शिक्षा विभाग को प्राप्त इस उपलब्धि पर मैं स्वयं अभिभूत हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी शिक्षकगण सौंपे गए कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ सम्पन्न करेंगे।


सत्र 2023-24 की परीक्षाओं का आरम्भ हो चुका है। यह समय विद्यार्थियों द्वारा वर्ष पर्यन्त किए गये परिश्रम को सफल बनाने का है। परीक्षा के इस दौर में प्रत्येक शिक्षक और विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। आपके इस कार्य को सरल, सहज और प्रभावी बनाने हेतु स्वयं मेरे द्वारा ग्यारह बिन्दुओं की गाइड लाइन जारी की गयी है जिसके माध्यम से आप और अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

भारतीय संस्कृति की नारी सम्मान की अक्षुण्ण परम्परा को वैश्विक मंच पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएगा। इस अवसर पर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा समस्त बालिकाओं को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ शिक्षा से जोड़ कर ही हमारी महिला दिवस मनाने की वास्तविक संकल्पना पूरी हो पाएगी।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भाग्य से अधिक कर्मशील बनने का संदेश दिया था। आवश्यकता है, हम कर्मवादी बने। महाशिवरात्रि की आप सभी को बधाई ! आशा है आप जीवन में शिवत्व को धारण करके आगे बढ़ेंगे। 23 मार्च को शहीद दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ-साथ अन्य समस्त शहीदों की शौर्य गाथाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराएँ, ऐसी मेरी कामना है।

प्रेम एवं भाईचारे के साथ रंगों और उमंगों का त्योहार होली जीवन में द्वेष और कटुता को मिटाकर आप सभी के जीवन में सौहार्द और स्नेह की स्थापना का कार्य करे। 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की मंगलकामनाओं के साथ.....

आपका उपन्या


(आशीष मोदी)



शिविरा पत्रिका

मासिक

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते- श्रीमद्भगवद्गीता ४/३८

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 64

अंक : 09

फरवरी-मार्च 2024

मार्च, 2024

प्रधान सम्पादक
आशीष मोदी*
वरिष्ठ सम्पादक
कमला कालेर*
सम्पादक
डॉ. संगीता पुरोहित*
सह सम्पादक
सीताराम गोवारा*
प्रकाशन सहायक
सुचित्रा चौधरी
रमेश व्यास

मूल्य ₹ 20

वार्षिक सदस्यता राशि व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए 100
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए 200
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए 300
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टर आर्डर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय हैं।
- चेक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
-वरिष्ठ संपादक

इस अंक में

• भ्रम संदेश

• चरैवेति-चरैवेति

3

दिशाकल्प : भ्रम पृष्ठ

• शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रतिबद्धता

4

आलेख

• भारत रत्न महान विभूतियों के बारे में

7

पूनम चन्द जाखड़

• शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह

9

गोविन्द जोशी

• पावन होली

11

पूनम पांडे

• भारत में महिला सशक्तीकरण

12

रितिका मनोचा

• जन सहयोग से विद्यालय का कार्याकल्प

13

राजेश लवानिया

• वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का महत्त्व

14

कमलेश व्यास

• अष्टांग योग और सूर्य नमस्कार की उपादेयता

15

ओमप्रकाश लोधा

• मेरी भाषा की कक्षा

17

डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता

• पाठशाला बने संस्कार शाला

19

डॉ. चेतना उपाध्याय

• विद्यार्थी -व्यक्तित्व निर्माण

37

अरविन्द कुमार शर्मा

• दक्षताएँ और शिक्षक 38

विक्रम चौधरी

• नौनिहालों का भविष्य निखारने में समर्थ है-

सरल, सहज और सुबोधगम्य शिक्षण

विनय कुमार भट्ट

रपट

• एक दूसरे के पर्याय शिक्षा और संस्कार 13

यशपाल पंवार

स्तम्भ

• पाठकों की बात 6

• आदेश-परिपत्र मार्च, 2024 21-36

• शिविरा पञ्चांग 36

• बाल शिविरा 43-44

• शाला प्रांगण से 45-46

• भामाशाहों ने बदली विद्यालय की तस्वीर 47

महेन्द्र कुमार गर्ग

• हमारे भामाशाह 48-52

पुस्तक समीक्षा 42


• जुगाड़, व्यंग्य संग्रह

कथाकार : रामजी लाल घोड़ेला

समीक्षक : डॉ. संगीता पुरोहित

विभागीय वेबसाइट : www.education.rajasthan.gov.in/secondary

मुख्य आवरण : दिनेश चौधरी



पाठकों की

माह फरवरी 2024 शिविरा अंक का मुख्यावरण राष्ट्र गौरव, जननायक एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा लिए हुए आकर्षक एवं प्रेरणादायक था। आपके द्वारा परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से दिए गए मार्गदर्शन से विद्यार्थी आने वाली परीक्षा में तनाव मुक्त होकर परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी, निदेशक महोदयजी (प्रा.शि.एवं मा.शि.) के विराट अनुभवों एवं तेजस्वी नेतृत्व में शिक्षा विभाग नवाचारों के साथ नए आयामों को स्थापित करते हुए राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाएंगे। निदेशक महोदयजी के दिशाकल्प में श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के सम्बंध में अनमोल सारगर्भित विचार ज्ञानप्रद, अनुकरणीय एवं प्रेरणादायक थे। हम सभी - महापुरुषों के आदर्शों को व्यवहार में आत्मीकरण करके जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। शाला प्रांगण में समाचारों के साथ रंगीन फोटो प्रस्तुत करने पर पत्रिका में एक नयापन एवं पत्रिका मनमोहक लगी। पत्रिका का प्रत्येक अंक ज्ञानप्रद, अनुकरणीय एवं प्रेरणा दायक होता है। परीक्षा पे चर्चा, सूर्यनमस्कार की महत्ता आलेख का प्रस्तुतीकरण ज्ञानप्रद एवं प्रेरणादायक था। भामाशाहों को प्रेरित करने का भामाशाह स्तम्भ विद्यालय विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षाविदों के शिक्षा सम्बन्धी साक्षात्कार पत्रिका में प्रकाशित कर उनके विचारों से पाठकों को लाभान्वित किया जाए तो पत्रिका में एक नयापन आएगा। समस्त सम्पादक मण्डल को होली की हार्दिक शुभकामनायें।

नृसिंहदास वैष्णव, जालोर

मैं शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक शिविरा पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। मुझे माह की एक तारीख से ही शिविरा पत्रिका का बेसब्री से इंतजार रहता है। माह फरवरी 2024 की शिविरा पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा आवरण अच्छा लगा। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर का मेरा संदेश में बसंत प्रकृति का सौंदर्य व शिक्षा निदेशक श्री आशीष मोदी का दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ में श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति सहित गोपाल कृष्ण दुबे का जीवन का बसंत है : माँ सरस्वती व डॉ.संगीता पुरोहित का परीक्षा पे चर्चा, देवेन्द्र राज सुथार का विकसित राष्ट्र के लिए जरूरी है वैज्ञानिक चेतना आलेख का विकास ज्ञानवर्धक, रोचक व पठनीय

है। इसके साथ ही बाल शिविरा भी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाला है।

मोहर सिंह मीना, बीकानेर

फरवरी 2024 की शिविरा बासंती रंग का मनोहारी कवर लिये प्राप्त हुयी, उपर से सोने पे सुहागा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा करते हुए, माँ सरस्वती की वीणा, पुस्तकें और दीप शुभ वातावरण बनाते हुए, इसे यादगार बना रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मदन जी दिलावर का सन्देश हमारी संस्कृति को समेटे हुए सभी को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। निदेशक महोदय ने दिशा कल्प में शिक्षा विभाग के लिए वसन्त पंचमी और माँ सरस्वती के महत्त्व को सुन्दर ढंग से रेखांकित किया है। सम्पादक मण्डल द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक महोदय का अभिनन्दन भी अनूठा और ध्यान आकर्षित करने वाला है, बधाई। डॉ. संगीता पुरोहित जी ने 'परीक्षा पे चर्चा' में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सभी के प्रधानमन्त्री महोदय से संवाद को सुन्दरढंग से प्रस्तुत किया है, जो प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक है। बाल शिविरा में बाल रचनाकारों ने स्तरीय बाल कवितायें प्रस्तुत की हैं, बाल पाठकों को सृजन के लिये प्रोत्साहित करने की दिशा में शिविरा का यह कदम सराहनीय है।

पारस चन्द जैन, टोंक

फरवरी 2024 का आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय की परीक्षा पे चर्चा का सुन्दर चित्र मुख पृष्ठ वाला अंक प्राप्त हुआ। शिक्षा जगत शिक्षा मंत्री महोदय, निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग का सादर अभिनन्दन, आपके संरक्षण और निर्देशन में अनेक आयाम स्थापित करेगा, सम्माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने परीक्षा पर चर्चा कर विद्यार्थियों में निराशा को दूर कर आशा, उत्साह और उमंग का संचार किया है। बसंत पंचमी वादेवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है बसंत ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। यह जीवन में संतुलन, सामंजस्य और समानुपात स्थापित करता है। लोकतंत्र वेदों की देन लेख से स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने उपहार के रूप में हमें दी है जिसे हमें सहज कर रखना है। नई शिक्षा नीति 2020 इस शताब्दी की चुनौतियों को हल करने की पहल है, इसकी सफलता में शिक्षकों की अहम भूमिका होगी। सूर्य नमस्कार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मूल मंत्र है।

महेन्द्र कुमार शर्मा
अजमेर

▼ चिन्तन

विद्या नाम नरय्य कीर्तिर्तुला भान्यक्षये चाश्रयो।

धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा ॥

सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम्।

तस्माद्वन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु॥

विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है, भान्य का नाश होने पर वह आश्रय देती है, विद्या कामधेनु है, विरह में रति समान है, विद्या ही तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, कुल की महिमा है, विना रत्न का आभूषण है; इस लिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकारी बन।

भारत रत्न महान विभूतियों के बारे में.....

□ पूनम चन्द जाखड़

भा रत रत्न चौधरी चरण सिंह:-

साल 1979 की बात है जब शाम के वक्त एक परेशान किसान यूपी के इटावा जिले के उसराहार थाने में पहुँचा। किसान ने पहले इधर-उधर नजर दौड़ाई और फिर झिझकते हुए हेड कांस्टेबल के पास पहुँच गया। इस दौरान हेड कांस्टेबल आराम फरमा रहा था और जैसे ही उसने नजर घुमाई तो सामने मैले-कुचैले कपड़े और धोती पहने एक किसान खड़ा था जिसके पैरों में चप्पल भी नहीं थे। कांस्टेबल ने किसान से पूछा, यहाँ, क्या बात हो गई? इस पर किसान ने डरते और संकुचाते हुए बताया कि वह मेरठ से अपने रिश्तेदार के यहाँ बैल खरीदने आया है लेकिन रास्ते में एक जेबकतरे ने उसकी जेब काट ली और पैसे चुरा लिये, इसलिए वह शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस थाना में आया है। हेड कांस्टेबल ने नजरें टेढ़ी करते हुए पूछा, 'मेरठ से बैल खरीदने इतनी दूर क्यों आए भाई? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आपकी जेब काट ली गई है? हो सकता है कि आपके पैसे कहीं गिर गए हों, आपने पैसे खाने-पीने में उड़ा दिए हों और अब घरवालों के डर से चोरी करने का नाटक कर रहे हों?' अंत में कांस्टेबल ने कहा, 'जाओ शिकायत नहीं लिखी जाएगी। मुंशी भी रह गया था हैरान पुलिस कांस्टेबल के इस व्यवहार से किसान निराश और परेशान हो गया और हताश होकर एक किनारे पर खड़े होकर सोचने लगा कि अब क्या होगा.. तभी एक सिपाही ने उसे बुलाया और कुछ बातचीत की। बातचीत में यह तय हुआ कि अगर किसान कुछ पैसे (घूस) का जुगाड़ कर ले तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। परेशान किसान ने पुलिस के इस ऑफर को मान लिया। इसके बाद मुंशी ने शिकायत लिखनी शुरू कर दी। सारी बात लिखने के बाद मुंशी ने कहा, 'बाबा, हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे?' किसान ने कहा, 'मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, इसलिए अंगूठा लगाऊँगा' मुंशी ने किसान की ओर कागज और स्याही का पैड बढ़ा



दिया। हताश और परेशान दिख रहे किसान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुहर और कलम निकाली। इससे पहले की मुंशी कुछ समझ पाता किसान ने स्याही के पैड से मुहर पर स्याही लगाई और कागज पर ठप्पा लगा दिया। मुंशी ने कागज पलटकर पढ़ा, उस पर मुहर लगी थी, 'प्रधानमंत्री भारत सरकार' मुंशी को आश्चर्य हुआ कि किसान ने हाथ में कलम लेकर लिखा था चरण सिंह अब थाने में हड़कंप मच गया। पूरा थाना इस बात से हैरान था कि देश के पीएम चौधरी चरण सिंह एक किसान का भेष धारण कर थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए थे। इसके बाद पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। खुद हकीकत जानने निकल जाते थे चरण सिंह।

दरअसल जब चरण सिंह पीएम बने तो किसानों, गरीबों और मजदूरों पर पुलिसिया जुल्म के कई मामले सामने आते थे और घूसखोरी भी काफी प्रचलन में थी। बार-बार शिकायत मिलने के बाद चरण सिंह खुद ही हकीकत भांपने के लिए किसान का भेष धारण कर थाने पहुँच गए थे। कई पूर्व नेता बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह कभी भी भेष बदलकर पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण करने पहुँच जाते थे।

किसानों के हित में जागीरदारी प्रथा खत्म की:- गांधीवादी नेता और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह देश के पाँचवें प्रधानमंत्री थे इससे पहले वो देश के उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तथा दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्ष 1952 को उत्तर प्रदेश में उनकी पहल पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। वर्ष 1954 में किसानों के हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वे बहुफसली खेती के समर्थक थे और किसानों को एक ही फसल पर टिके रहने के खिलाफ थे।

70 के दशक का एक किस्सा मशहूर है, उस साल गन्ना बहुत हुआ। चीनी मिलों ने हाथ खड़े कर दिए, किसान चौधरी सिंह के पास पहुँचे और फरियाद की कि मिलों को निर्देशित करें। चौधरी साहब खामोशी से सुनते रहे। फिर सीधे शब्दों में

कहा भाई इतना बोते ही क्यों हो....? और भी फसले बोया करो। चौधरी साहब ने स्पष्ट कहा था कि भारत ने गेहूँ और चावल के उत्पादन में खासी प्रगति की है, लेकिन दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने में ऐसी तरकीब नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह के जीवन वृत्त को किसी एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता। वह राजनीतिज्ञ, विचारक, चिंतक, कृषि अर्थशास्त्री, आर्य समाजी, लेखक, हिंदी वादी थे। वे राजनीति में सुचिता, ईमानदारी, पारदर्शिता के प्रतीक थे। बड़े से बड़े पदभार ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने अपनी नीतियों और माटी से कोई समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री बने तो खात प्रधानमंत्री आवास पर रहती थी। चौधरी साहब ने पूरा जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश को समर्पित किया। चौधरी चरण सिंह का जन्म वर्ष 1902 में मेरठ मंडल के गाँव नूरपुर (अब हापुड़ जिला) में एक किसान जाट परिवार में हुआ। उनकी 30 बीघा जमीन कुचेसर के राजा ने वापस ले ली। मजबूरी में चौधरी चरण सिंह को अपना पैतृक गाँव छोड़कर मेरठ की ओर रूख करना पड़ा।

चौधरी चरण सिंह के कुनबे का ही विधायक हॉट्टेवतिया के अनुसार वर्ष 1982 में ही वे अपने गाँव आए थे। लेकिन मन में उनकी पुरानी टीस अवश्य थी। शायद यही से उनके दिल में गाँव गरीब और किसान के प्रति दर्द का बीजारोपण हुआ।

ऐसी महान शख्शियत को मरणोपरांत भारत सरकार ने हाल ही में देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' देने की घोषणा की है। ग्रामीण भारत के सच्चे सपूत धरतीपुत्र के सम्मान देने की घोषणा हम सबको गौरवान्वित करने वाली है।

भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन:-

एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त, 1925 को तमिलनाडु कुंभ कोणम में हुआ था। उनका पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन था।



1972 और 1979 के बीच, डॉ. स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में काम किया। ये भारत के आनुवांशिक-विज्ञानी, कृषि अर्थशास्त्री थे इन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूँ के संकर बीज विकसित किए।

हरित क्रांति के अगुआ:—भारत लाखों गाँवों का देश है और यहाँ की अधिकांश जनता कृषि के साथ जुड़ी हुई है। इसके बावजूद अनेक वर्षों तक यहाँ कृषि से सम्बंधित जनता भी भुखमरी के कगार पर अपना जीवन बिताती रही। इसका कारण कुछ भी हो, पर यह भी सत्य है कि ब्रिटिश शासनकाल में भी खेती अथवा मजदूरी से जुड़े हुए अनेक लोगों को बड़ी कठिनाई से खाना प्राप्त होता था। कई अकाल भी पड़ चुके थे। भारत के सम्बंध में यह भावना बन चुकी थी कि कृषि से जुड़े होने के बावजूद भारत के लिए भुखमरी से निजात पाना कठिन है। इसका कारण यही था कि भारत में कृषि के सदियों से चले आ रहे उपकरण और बीजों का प्रयोग होता रहा था। फसलों की उन्नति के लिए बीजों में सुधार की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। एम. एस. स्वामीनाथन ही वे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले गेहूँ की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और स्वीकार किया। इस कार्य के द्वारा भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। यह मैक्सिकन गेहूँ की एक किस्म थी, जिसे स्वामीनाथन ने भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया। इसके कारण भारत के गेहूँ उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसलिए स्वामीनाथन को 'भारत में हरित क्रांति का अगुआ' माना जाता है। स्वामीनाथन के प्रयत्नों का परिणाम यह है कि भारत की आबादी में प्रतिवर्ष पूरा एक ऑस्ट्रेलिया समा जाने के बाद भी खाद्यान्नों के मामले में वह आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के खाद्यान्नों का निर्यात भी किया है और निरंतर उसके उत्पादन में वृद्धि होती रही है।

प्रभावशाली व्यक्ति:—फाउंडेशन में स्वामीनाथन

और उनके सहयोगियों द्वारा पर्यावरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। स्वामीनाथन दक्षिण एशिया के उत्तरदायित्व के साथ पर्यावरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूनेस्को में भी पदासीन रहे हैं। उनकी महान विद्वत्ता को स्वीकारते हुए इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी और बांग्लादेश, चीन, इटली, स्वीडन, अमरीका तथा सोवियत संघ की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों में उन्हें शामिल किया गया है। वह 'वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज' के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 1999 में टाइम पत्रिका ने स्वामीनाथन को 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में से एक बताया था।

निधन:— भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने 28 सितंबर, 2023 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अंतिम सांस ली। हाल ही में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है।

भारत रत्न पामुलापति वेंकट नरसिंह राव:— इनका जन्म, 28 जून 1921 को करीमनगर आंध्रप्रदेश में हुआ ये भारत के 09 वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। 'लाइसेंस राज' की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही आरम्भ हुआ। ये आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे।

1991 के आम चुनाव दो चरणों में हुए थे। प्रथम चरण के चुनाव राजीव गांधी की हत्या से पूर्व हुए थे और द्वितीय चरण के चुनाव उनकी हत्या के बाद में। प्रथम चरण की तुलना में द्वितीय चरण के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसका प्रमुख कारण राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर थी। इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ लेकिन वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस ने 232 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। फिर नरसिंहा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया गया। ऐसे में उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश

किया। सरकार अल्पमत में थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत साबित करने के लायक सांसद जुटा लिए और कांग्रेस सरकार ने पाँच वर्ष का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। पीवी नरसिंह राव ने देश की कमान काफी मुश्किल समय में संभाली थी। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर तक कम हो गया था और देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉ. मनमोहन सिंह को वित्तमंत्री बनाकर देश को आर्थिक भंवर से बाहर निकाला। 60 की उम्र के बाद कंप्यूटर और कोडिंग सीखी:—उन्होंने दो कंप्यूटर लैंग्वेज सीखकर 60 साल की उम्र पार करने के बाद कंप्यूटर कोड बनाया था और 10 भाषाओं में बातचीत भी कर सकते थे।

नरसिंहा राव सरकार के सबसे महत्वपूर्ण सुधार जुलाई 1991 से मार्च 1992 के बीच हुए। जब राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने फरवरी 1992 में अपना दूसरा बजट पेश किया तब राव सरकार एक अल्पमत सरकार थी। सरकार की ओर से शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के फैसलों का विरोध शुरू हो गया था पार्टी की भावनाओं को भांपते हुए राव ने अप्रैल 1992 में तिरुपति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाया। वहाँ उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण 'भविष्य की जिम्मेदारियाँ' (द टास्क अहेड) दिया। जिसमें उन्होंने बाजार, अर्थव्यवस्था और राज्य के समाजवाद के बीच का रास्ता चुनने की बात की और अपनी नीतियों के समर्थन में जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को उद्धृत किया। यहाँ अपनी स्पीच में उन्होंने उस दूरदर्शी नीति का खाका खींचा जो समावेशी विकास की रणनीति के तौर पर जानी जाती है।

इनका निधन 23 दिसंबर, 2004 को नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है।

अध्यापक रात्रावि जाटा बस्ती मंदिरवाला
ब्लॉक-धनाऊ, ज़िला- बाड़मेर,
मो. 9462016455

शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह

□ गोविन्द जोशी

“बे बेजी, (माताजी) मेरी लाश लेने आप मत आना, कुलवीर (भगत सिंह के छोटे भाई) को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है।” पूर्ण दृढ़ता एवं प्रसन्नता के साथ ये शब्द अमर शहीद भगत सिंह ने अपनी माँ विद्यावती जी से 3 मार्च, 1931 को अंतिम भेंट के समय कहे थे। उनके इस कथन में पूर्ण निर्भीकता है एवं एक ऐसी मार्मिकता है जो बरबस ही मानव हृदय के तारों को झंकृत कर देती है और उस अमर शहीद की बलिदानी प्रतिमा हमारे मानस-पटल पर साकार हो उठती है।

सरदार भगत सिंह का जन्म 23 सितम्बर, 1907 को प्रातः 9 बजे बंगा जिला लायलपुर (अब पाकिस्तान) में माता विद्यावती देवी की कोख से हुआ था। उनके दादा अर्जुन सिंह, पिता सरदार किशन सिंह, बड़े चाचा सरदार अजीत सिंह, छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह प्रबल क्रान्तिकारी नेता थे। भगत सिंह के लिए क्रान्ति कोई नई बात नहीं थी। इन्हें क्रान्ति विरासत में ही मिली थी। देश भक्ति उनके खानदान में कूट-कूट कर भरी थी।

भगत सिंह जब मात्र तीन वर्ष के ही थे। उनके खेतों में नए बाग लगाए जा रहे थे। सरदार किशन सिंह अपने एक मित्र के साथ खेत देखने गए। बालक भगत सिंह भी उनके साथ थे। पिता की उंगली छोड़ वे खेत में बैठ गए और पौधों की तरह छोटे-छोटे तिनके अपने नन्हें-नन्हें हाथों से जमीन में रोपने लगे। पिता ने प्यार से पूछा क्या कर रहे हो भगत सिंह? भगत सिंह ने उत्तर दिया- बन्दूकें बो रहा हूँ। मात्र तीन वर्ष के नन्हें बालक के इस उत्तर ने दोनों मित्रों को स्तब्ध कर दिया। मैं सोचता हूँ कि भगत सिंह का सहज बालपन में कहा गया वह कथन उनकी तरुणाई में अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। वे देश की आजादी के लिए बन्दूक उठाने वाले युवकों के प्रतीक जो बन गए थे।

भगत सिंह बचपन से ही क्रान्तिकारी साहित्य पढ़ने लगे। चौथी कक्षा की पढ़ाई के साथ ही भगत सिंह अपने चाचा सरदार अजीत सिंह के अतिरिक्त लाला हरदयाल व सूफी अम्बा प्रसाद जैसे महान क्रान्तिकारी नेताओं द्वारा लिखित

क्रान्तिकारी साहित्य पढ़ चुके थे।

किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते-होते भगत सिंह पर क्रान्ति का बसंती रंग अपना असर दिखाने लगा था। भगत सिंह कहा करते थे:-

“देश के खातिर अगर,
यह प्राण चले जाएं,
हमें मंजूर है गर,
देश यह आजाद हो जाए।”

अंग्रेज अत्यधिक शक्ति सम्पन्न, विशाल सम्पदा एवं विशाल साम्राज्य के स्वामी थे अतः क्रान्तिकारियों का युद्ध निश्चय ही एक सत्ता से था। ऐसी सत्ता से क्रान्तिकारियों की शत्रुता एवं युद्ध की इच्छा के बारे में भगत सिंह गुनगुनाया करते थे-

“तुझे उनसे ख्वाहिशें दुश्मनी, तेरी आरजू भी अजीब, वे हैं अर्श पर तू है खाक पर, वे अमीर हैं तू गरीब है।

भगतसिंह की प्रारम्भिक शिक्षा बंगाल में हुई और बाद में लाहौर में पढ़े। महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन में सक्रिय हुए लेकिन कुछ ही समय में इसे ज्यादा सफल ना होते देखा तो वे हिंसक आन्दोलन के बारे में सोचने लगे थे। रासबिहारी बोस, बालमुकुन्द, सूफी अम्बाप्रसाद, मास्टर अमीरचंद, वीरसावरकर, यशपाल, खुदीराम बोस जैसे क्रान्तिकारी भारत के विभिन्न हिस्सों में काम करने लगे थे। भगतसिंह कुछ क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आए। कहा जाता रहा है कि यशपाल और सुखदेव की प्रेरणा से भगतसिंह पूरी तौर से हिंसक क्रान्ति के लिए कूद पड़े थे। इन्हीं दिनों उनके पिता किशनसिंहजी को भारत रक्षा-कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। भगतसिंह की सक्रियता जब पुलिस की नजर में आई तो भगतसिंह पंजाब छोड़ कर कानपुर (उत्तर प्रदेश) आ गए। यहाँ वे प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता



गणेशशंकर जी विद्यार्थी के सम्पर्क में आए और उनकी प्रेरणा में ‘बलवन्त’ के नाम से कार्य करने लगे। भगतसिंह ने कानपुर में ही ज्यादा रहने वाले बटुकेश्वर दत्त के साथ मित्रता से भी अधिक भ्रातातुल्य सम्बन्ध बना लिए। कानपुर में ही वे शचीन्द्रनाथ जी सान्याल, योगेशचन्द्र चटर्जी आदि के भी सम्पर्क में आए।

1925-26 का काल था। बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश व अन्य स्थानों पर क्रान्तिकारियों के छोटे-छोटे समूह (दल) थे। शचीन्द्र सान्याल जी, रामप्रसाद जी बिस्मिल, योगेशचन्द्र आदि इन दलों के नेता थे। सभी ने सोच-विचारकर ‘हिन्दुस्तान रिपब्लिक दल’ नाम से संयुक्त संगठन बनाया। चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेन्द्र लाहिड़ी, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु आदि क्रान्तिकारियों ने भी इस दल से अपने अटूट सम्बन्ध बना लिए थे।

9 अगस्त, 1925 को काकोरी षडयन्त्र के बाद देशभर में गिरफ्तारियों से इस संगठन को आघात लगा। भगतसिंह व आजाद, विजयकुमार, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त फरारी के दिनों में भी सक्रिय रहे।

30 अक्टूबर, 1928 को लाहौर में साईमन कमीशन का विरोध करने वाले जुलूस का नेतृत्व करने वाले नेता पंजाब केसरी लाला लाजपतराय को डंडों, लाठियों से पीटा गया। जिससे कुछ समय बाद लालाजी की मृत्यु हो गई। देश में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अधीक्षक स्कॉट व लालाजी पर वार करने वाले उसके सहायक साण्डर्स की देश भर में खूब निन्दा की गई। लेकिन भगतसिंह, आजाद, सुखदेव, राजगुरु आदि क्रान्तिकारी साण्डर्स का वध करने का मन बनाए बैठे थे।

27 दिसम्बर, 1928 को भगतसिंह की गोलियों से मोटर साइकिल पर जा रहा साण्डर्स मारा गया। भगतसिंह व उनके साथी भाग कर लाहौर से कलकत्ता पहुँच गए। गुप्त रूप से कलकत्ता में काम करते रहे और बाद में दिल्ली आ गए।

उन दिनों भारतीयों के लिए अहितकारी बिल 'पब्लिक सेफ्टी बिल' की बहुत चर्चा थी। केन्द्रीय असेम्बली में बिल पर चर्चा थी। भगतसिंह व उनके क्रान्तिकारी साथियों ने एक योजना बनाई। केन्द्रीय असेम्बली में जाकर बिल का जोरदार विरोध करने व गिरफ्तार होकर चलने वाले मुकदमों में अपनी बात कहकर जनता में सशस्त्र क्रान्ति के पक्ष में माहौल बना कर देश की स्वतंत्रता की दिशा में जनता को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं।

8 अप्रैल, 1929 केन्द्रीय असेम्बली में चर्चा के बाद पब्लिक सेफ्टी बिल पर मत विभाजन के बाद उसके पारित होने की घोषणा हुई, उसी समय हॉल एक जोरदार बम धमाके से गूँज उठा। धमाकों के साथ ही दर्शक गैलरी से पचें गिराए गए। उन पचों में लिखा था 'यह धमाका बहरों को सुनाने के लिए किया गया है।

हॉल के चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुआं छंटा तो दो वीर यूरोपियन वेशभूषा में भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त पिस्तौलें लिए अपनी जगह पर खड़े थे। सिपाही उनके पास जाने से झिझक रहे थे लेकिन भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी-अपनी पिस्तौलें नीचे रखी और उनको गिरफ्तार कर लेने का इशारा किया। खुद को पुलिस के हवाले किया। इन्कलाब जिन्दाबाद। इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगाते वे खुशी-खुशी जेल गए।

क्रान्तिकारी भाई जगतारामजी आर्य ने लिखा है कि 'भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को अलग-अलग कोठरियों में बन्द कर दिया गया। उन पर दो मुकदमे चलाए गए। एक दिल्ली केन्द्रीय असेम्बली भवन में बम फेंकने के संबंध में और दूसरा लाहौर में साण्डर्स की हत्या के सम्बन्ध में। पहला मुकदमा दिल्ली के सेशन जज मिडलटन की अदालत में चलाया गया। केवल आठ दिनों में ही इसका फैसला घोषित कर दिया गया। दोनों वीर युवकों को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। दूसरा मुकदमा लाहौर षडयन्त्र केस में भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु पर चल रहा था उसमें तीनों युवकों को फाँसी की सजा हो गई।

सरदार भगतसिंह ने फाँसी पाने के कुछ दिन

पूर्व अपने छोटे भाई कुलतारसिंह को एक पत्र में देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण निम्न शेर लिखे थे :-उसे फिक्र है हरदम नया तर्जें जफा क्या है, हमें यह शौक देखें सितम की इन्तहा क्या है।

दहर से क्यों खफा रहें, चर्ख का क्यों गिला करें, सारा जहाँ अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमां हूँ, ए अहले महफिल चरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली यह मुश्ते खाक है फानी रहे, न रहे ॥

भावार्थ है :- प्रातःकाल के प्रकाश में भाग्य की किरणों को कौन रोक सकता है? यदि समस्त संसार भी हमारा शत्रु हो जाए, तो वह हमें क्या हानि पहुँचा सकता है? मेरे जीवन के दिन समाप्त हो गए हैं, मैं एक शमां की तरह सवैरे शत्रु के प्रकाश की गोद में समाप्त हो रहा हूँ। हमारा विश्वास और हमारे विचार बिजली की कड़क की भांति सारे संसार को प्रकाशित करेंगे। इस स्थिति में यह मुट्ठी भर धूल बर्बाद भी हो जाए, तो इसमें डर की क्या बात है ?

निश्चित रूप से सरदार भगतसिंह के शेर उनके स्वदेश प्रेम, दृढ़ता, आत्मविश्वास और शौर्य के परिचायक हैं। 23 मार्च, 1931 को भगतसिंह को फाँसी दी जानी थी उसी दिन कुछ समय पहले लाहौर सेन्ट्रल जेल में एक नम्बर बेरक के कैदी क्रान्तिकारियों ने लिखा 'सरदार, आप एक सच्चे इन्कलाबी की हैसियत से बतायें कि क्या आप चाहते हैं कि आपको बचा लिया जाए। इस आखिरी वक्त में भी शायद कुछ हो सकता है। सरदार भगतसिंह ने इस पत्र के उत्तर में लिखा था- जिन्दा रहने की ख्वाइस कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिन्दा रहना मशस्त (एक शर्त पर) है। मैं कैद होकर या पाबन्द होकर जिन्दा रहना नहीं चाहता.... मेरे दिलेराना ढंग से हंसते-हंसते फाँसी पाने की सूत्र में हिन्दुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगतसिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इन्कलाब को रोकना इम्पीरियलिज्म (साम्राज्यवादी) की तमामतर (सम्पूर्ण) शैतानी कूचतों (राक्षसी शक्तियों) के वश की बात न रहेगी।'

'हाँ, एक ख्याल आज भी चुटकी लेता है। देश और इन्सानियत के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं उनका हजारवां हिस्सा भी पूरा न कर पाया। अगर जिन्दा रह सकता, तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता।

'इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फाँसी से बच रहने के लिए कभी नहीं आया। मुझ से ज्यादा खुश किस्मत कौन होगा ? मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज है। मुझ में अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। अब तो बडी बेताबी से आखिरी इन्तहा का इन्तजार है। आरजू है कि यह और करीब आ जाए।

-आपका साथी भगतसिंह सरदार भगतसिंह ने अपने जीवन में बहुत कुछ कहा है, लिखा है किन्तु उपर्युक्त पत्र में सरदार भगतसिंह के क्रान्ति के प्रयासों, सफलताओं और उनके जीवन का स्पष्ट प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है। इस एक ही पत्र में उनके महान् जीवन की झांकी उजागर हो जाती है।

फाँसी मिलने के कुछ समय पूर्व ही उन्होंने श्री बटुकेश्वर दत्त (जिन्होंने भगत सिंह के साथ ही असेम्बली में बम फेंका था और उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड मिला था) को एक पत्र भी लिखा था।

23 मार्च, 1931 को लाहौर सेन्ट्रल जेल में सुखदेव और राजगुरु के साथ फाँसी पर लटकते समय सरदार भगत सिंह ने गाया था-

“दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी।”

सोचता हूँ कि स्वदेश-प्रेम एवं मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की यह पराकाष्ठा है। वास्तव में मातृभूमि के प्रति अमर शहीद भगत सिंह की ये भावनाएँ सदैव भारतीय जन-जन का पथ प्रेरणा से आलोकित करती रहेगी।

पूर्व परियोजना अधिकारी, लोक जुम्बिश् सुधारों की बड़ी गुवाड़, उस्तों की बारी के अन्दर, बीकानेर-334001

मो. : 9413937878

पावन होली

□ पूनम पांडे

भा रतीय उत्सवों और त्योहारों के मूल में कुदरत के लिए अगाध प्रेम तथा आनंद समाहित है। त्योहार तो यों भी हमारी जीवन शैली का आवश्यक अंग रहे हैं। हरियाली और मौसम से जुड़े हमारे सभी बारह मासी त्योहार इतने अनूठे हैं कि इसी कारण विदेशी सैलानी भी भारतीय पर्व का उल्लास देखने खिंचे-खिंचे चले आते हैं। कितने ही पर्यटक उत्साह में भरकर, भारतीय परिधान पहनकर वैसा ही गीत-संगीत गुनगुनाकर खुशी-खुशी पर्व का हिस्सा भी बनते हैं। उत्सव और त्योहार ऐसे टॉनिक होते हैं जो हमारे मन को खुराक देकर जीवन को सुन्दरतम बना देते हैं। किसी दार्शनिक ने कहा है कि आनंद और हँसी खुशी, नाच के बिना मानव समाज अधिक दिन रह भी नहीं सकता। एक शोध किया गया जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि उत्सवधर्मी लोग हमेशा सकारात्मक होते हैं, इसलिए ये न केवल अच्छी सेहत पाते हैं, बल्कि एक खुशहाल और लंबा जीवन भी जीते हैं। त्योहारों से जुड़ी एक कहानी भी अक्सर ही कही जाती है कि अब पर्व की तैयारी है इसलिए किसी को अकेला मत रहने दो, सबको न्यूता दो, सबको बुलाओ, सबके साथ नये या धुले परिधान पहन लो। बस्ती का कोई कोना नाच गाने से बचाना रहे।

प्राचीन समय से ही हमारी संस्कृति में त्योहार का मतलब मिल-जुलकर खुशी मनाना, उमंग से भर जाना, सबको अपना बनाना रहा है। होली का रंगीन उत्सव भी केवल मावे की मंहंगी गुझिया या फागुनी दावतों तक सीमित नहीं है। पर्व के रूप में होली एक ऐसा सतरंगी आयोजन है जो समाज में एक दूजे संग मैत्री, सखाभाव तथा एक दूजे पर निर्भरता जैसे अनमोल सूत्रों से बंधा हुआ है। होली का अबीर और गुलाल समाज में सौहार्द का प्रतीक है। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। बसंत के सुन्दर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृन्दावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंद गाँव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही देश विदेश में, श्रीकृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परम्परा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है भगवान के नाम का, रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए, रंग होता है

प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम् की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का, पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गयी। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण का प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी का अग्नि दान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्योहार प्रह्लाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रह्लाद के पिता असुर राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा न आकाश में, न दिन में मरेगा न रात में, न घर में मरेगा न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझ कर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परन्तु प्रह्लाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत-सी प्राणांतक यातनाएँ दीं लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन

होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रह्लाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए जिससे प्रह्लाद जलकर मर जाए। परन्तु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रह्लाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई परन्तु नारायण की कृपा से प्रह्लाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत में खुशी में होली का पर्व मनाते हैं।

हम सब कुदरत की संतान हैं। हमारे भीतर एक जैसा लाल रक्त है और सबकी संरचना एक समान है। होली के रंग में पुते हुए हम सभी एक जैसे लगते हैं। सभी तरह के बैर, द्वेष, बुराई, शिकायत आदि को मन से मिटाकर रंगों की पावनता में रंग कर सारी सृष्टि को एक संदेश भेजते हैं कि हम सब एक हैं। हर साल मनाया जाने वाला होली का यह रंगीला त्योहार सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। जब हम एक दूजे से प्रेम से मिलते हैं तब एक दूसरे के लिए कुछ अच्छी तरंगें भी पैदा करते हैं। आज तकनीक का गुलाम मानव एक दूजे से आभासी सम्पर्क ही रखता है। होली में अबीर गुलाल का टीका लगाने के बहाने हम एक मीठा सा संवाद कायम कर लते हैं। इस संवाद में ईमानदारी और सच्चाई का ही यह प्रभाव होता है कि होली का बेसब्री से इंतजार रहता है। होली का असली रूप तो यही है कि होलियारों की टोलियां डफ और झांझ मंजीरे लेकर घर-घर होली गाने गाए जाती, साथ में होलिका दहन की सामग्री भी लेकर आती। फागुन की शुरुआत से ही होली की बैठकें भी आरम्भ हो जाती थीं। मगर आज यह रूप कुछ-कुछ बदल सा गया है। पारंपरिक होली गीतों और लोकधुनों की जगह डीजे के गाने सिनेमाई गीत होली नाइट के नाम पर हुड़दंग और छिछोरे नाच भी होने लगे हैं। इसने परम्परा को एक अवसर और आदमी को केवल भोगी जैसा बना दिया है। यह सब कॉर्पोरेट का खेल है। होली की रंग को भुनाने के लिए अब इवेंट कंपनियां फागुन के आयोजन का जिम्मा उठाने लगी हैं। मिठाई भी उसी तरह की बाजारू होने लगी हैं। हालांकि यह हवा भी इतना असर नहीं कर पा रही है इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया ने आज भी फागुन की लाखों लोकधुनों को फिर से जीवंत

कर ही दिया है। यह प्राचीन पारंपरिक गीत आशा की वह लकड़ी है जिसके सहारे आगे भी हर तीज त्योहार की नदी पार हो ही जाएगी। फागुनी ह्रास परिहास, दोहे, छंद, आदि में सामाजिक सोच और नजरिया सटीक दिखाई देता है। कभी-कभार तो ऐसा लगता है कि फागुन में कृष्ण गोपियों की ब्रज की ठिठोली बार-बार साकार होती है। जब तकनीक नहीं थी मशीनें नहीं थीं, तब यह संगीत मन से पनपता था और यही कितने दिनों तक मन में बसा रहता था। एक पर्व ऐसा उजास जगा देता था जो कितने दिनों तक धुंधला नहीं होता था।

इन लोकधुनों में केवल संगीत और हास्य नहीं समाया है। फागुन के गीत संगीत हमारे अहसास और हमारे पूर्वजों की विरासत सहेजी गयी है। हमारी सोच हमारा मनोवैज्ञानिक पहलू भी इनमें अभिव्यक्त होता है। फागुन की यह रंगत यह हवा इसी तरह सार्थक होती है कि यह हितैषी बनकर

हिल मिलकर रहना सिखा देती है आपसी बन्धुत्व और प्रेम की इस तीव्रता ने ही होली और फागुन को स्पंदित कर रखा है। साथ मिलना, साथ गाना, नाचना एक दूसरे की सराहना करना यह फागुन का रस जीवन का महत्वपूर्ण रस है जो हमको संतोष देता है तथा इस समाज की समरसता, सहजीवन के पक्ष को भी मुखर करता है। इस अनोखी कुदरत और आदमी के ताने-बाने को समझने जानने वाले त्योहार मनाने को बहुत जरूरी बताते हैं। आजकल लाखों लोग परिवार टूटने के कारण एकल जीवन बिता रहे हैं। निजी तथा एकल जीवन की सिमटती परिधि से निकलकर बाहरी दुनिया देखने और दुविधा में संकुचित रह जाने वाले खुलकर सामाजिक त्योहार मना नहीं पाते हैं। कुछ समय पहले एक समाचार सुना था कि कुछ सामाजिक संगठन अकेले रहने वालों से धन लेकर उनको किसी न किसी सामाजिक पर्व के साथ शामिल होने में

सहयोग करते हैं।

चहल पहल की यह खुशनुमा तस्वीर उनके मन में रच बस जाती है और इस तरह अकेले तथा अलग-थलग रहने वाले भी त्योहार का पूरा मजा उठा लेते हैं। फागुन को एक मसीहा बनाकर इसके पीछे-पीछे चलना चाहिए। इसकी सुर, लय ताल हमारे जीवन को सरल और सहज ही तो कर रहे हैं। फागुन की पवन हमारे दिल में मैल की जगह आपसी गठबंधन की रेशमी डोरी पैदा कर दे। हम बड़े पैमाने पर एक दूजे की उदासी में सेंध लगाकर आनंद और उल्लास की खानातलाशी करें। अबीर और गुलाल की फुहारों के बहाने समाज का गंदलापन और रूखापन खत्म कर दें। इस तरह आनंद की कामधेनु और समरसता के कल्पवृक्ष आज भी सजीव हो सकते हैं। फागुन के सारे रंग तरंग किसी खास उद्देश्य के लिए ही हैं।

दुर्गेश, पुष्कर रोड़
कोटरा, अजमेर-305004
मौ. 9828792720

भारत में महिला सशक्तीकरण

□ रीतिका मनोचा

अ पने कर्तव्यों के संग नारी भर रही है उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान, यही है नारी की पहचान। भारत विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है। सिमोन द बोऊवार का कथन है कि 'स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकता अनुसार स्त्री को ढालता आया है। उसके सोचने से लेकर उसके जीने के ढंग को पुरुष ही नियंत्रित करता आया है और आज भी करने की कोशिश कर रहा है। पितृसत्तात्मक समाज ने वह सब अपने अनुसार तय किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत होगा उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी है, बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता। जब हम महिला के सशक्तीकरण की बात कर रहे हैं तो उसका आशय यह नहीं है कि पितृसत्तात्मक समाज को बदलकर मातृसत्तात्मक किया जाए।

यदि समाज को स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ाना है तो समाज मातृ या पितृ होने की बजाय इनसे निरपेक्ष हो तो एक बेहतर सामाजिक संरचना तैयार होगी और स्त्री पुरुष समान रूप से सशक्त होंगे।

‘भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे,

नई है डगर नया है सफर, अब हम नारी के साथ आगे ही बढ़ते जाएंगे।

शक्ति के साथ पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य पंक्ति है कि 'दिवस कमजोर लोगों के लिए मनाए जाते हैं मजबूत लोगों के लिए नहीं'

सशक्त होने का आशय केवल घर से बाहर निकलकर नौकरी करना या पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना मात्र नहीं है। सशक्त होने का आशय यहाँ उसके निर्णय ले सकने की क्षमता का आधार है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रही है या किसी और पर निर्भर है। महिला सशक्तीकरण के लिए महिला का आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना आवश्यक है। भारत में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु समाज में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए

निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। महिला सशक्तीकरण का अर्थ समाज में अपने वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना है।

‘महिलाओं को सशक्त करना है, मानवता में नया रंग भरता है’

महादेव वर्मा ने सही कहा है कि 'एक पुरुष के प्रति अन्याय से ही पुरुष समाज उस स्त्री से प्रतिशोध लेने को उतारूहो जाता है और एक स्त्री के साथ क्रूरतम अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियाँ उसके अकारण दंड को अधिक भारी बनाए बिना नहीं रहती है, इस तरह पग-पग पर पुरुष से सहायता की याचना करने वाली स्त्री की स्थिति कुछ विचित्र सी है। वह जितनी पहुँच से बाहर होती है, पुरुष उतना ही झुंझलाता है और यह झुंझलाहट मिथ्या अभियोगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

लेख के अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगी 'जब है नारी में शक्ति सारी तो फिर नारी को क्यूँ कहे बेचारी।'

व्याख्याता (जीव विज्ञान)
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़
अलवर मो. 7240728260

एक दूसरे के पर्याय शिक्षा और संस्कार

□ यशपाल पंवार



बीकानेर। बच्चों को माँ बाप के बाद गुरु ही संस्कारवान बनाते हैं बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानन्द व्यास ने आज सादुल स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में बोलते हुए ये बात कही। श्री व्यास ने कहा कि आज के इस युग में शिक्षा के साथ संस्कार ही आवश्यक है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है और आगे बढ़ता है और संस्कार परिवार के बाद विद्यालय में ही मिलते हैं उसके लिए विद्यार्थियों को गुरुजनों की डांट फटकार को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए जिससे उनका और अधिक गति से विकास होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा व्यास ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में स्वस्थ रहने के लिए शैक्षिक गतिविधियों के साथ

विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए स्वस्थ बालक ही अपना और समाज का विकास कर सकता है। विद्यालय में आने पर विधायक व्यास को शाला के एनसीसी के केडिटो द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

समग्र शिक्षा अभियान के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक गजानंद सेवक ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी आने वाले बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो तो इस जिले का नाम भी राज्य के अग्रणी जिलों में आ सकता है तथा आज के प्रतियोगिता युग में भी बच्चे अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित कर सकते हैं।

एडीओ सुनिल बोड़ा ने कहा कि आज के विद्यार्थी आने वाले कल का भविष्य है अतः बच्चों को और अधिक मेहनत कर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना चाहिए है।

प्रधानाचार्य यशपाल पंवार ने कार्यक्रम में विद्यालय के सालभर की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारा विद्यालय शहर का अकेला ऐसा विद्यालय है जो पीएम श्री विद्यालय के रूप में चयनित हुआ है जिसमें शैक्षिक परिणामों के साथ खेलकूद, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस और कला के क्षेत्र में भी अग्रणी है और हमारे विद्यार्थियों ने राष्ट्र स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन किया है।

वरिष्ठ अध्यापक सुभाष जोशी ने मंच का संचालन करते हुए कहा कि विद्यालय का पीएम श्री के रूप में चयन होना पूरे शहर के लिए गर्व की बात है और इससे विद्यालय विकास के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के दायित्व कुछ अधिक बढ़ जाते हैं उन्होंने बताया कि आज विद्यालय के शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और अन्य अग्रणी रहने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम अधिकारी शिवशंकर चौधरी और कृष्ण लाल शर्मा भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में इरफान जोईया, रतन लाल पंवार, हिमानी शर्मा, ममता पालीवाल, महेंद्र मोहता, सदीक अहमद, गणेश खत्री, शिवचरण, भुवनेश सांखला और सीताराम बारूपाल ने समस्त प्रकार की व्यवस्था से कार्यक्रम को भव्य बनाने में सहयोग किया।

प्रधानाचार्य

पीएम श्री रा.सादुल उ.मा.वि.बीकानेर (राज.)

जन सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प

□ राजेश लवानिया

नीमराना से 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत जाट बहरोड़ का स्कूल वर्षों से उपेक्षित था। 118 वर्ष पुरानी स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी थी जहाँ 1 से 2 तक की कक्षाएं संचालित थीं।

विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. नीरू यादव ने 4 वर्ष पूर्व कार्य ग्रहण कर भामाशाहों का सहयोग लेना प्रारम्भ किया तो आज लगभग 70 लाख रुपये की लागत से विद्यालय मॉडल का रूप ले चुका है और नामांकन में 40 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है। जहाँ छात्राओं में गार्गी पुरस्कार लेने का जज्बा पैदा हुआ है एवं खेलों में भी छात्र एवं छात्राएं जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार ले रहे हैं। प्रधानाचार्य डॉ. नीरू ने बताया कि जयपुर के भामाशाह श्री लोकेन्द्र महलावत ने खेलकूद का महत्त्व देखते हुए लगभग 3 लाख की लागत से बैडमिंटन कोर्ट बनवाया, टीटी टेबल सहित

खेलकूद सामान उपलब्ध करवाया तो हिटाची कम्पनी द्वारा 100 सेट फर्नीचर, 10 लाइब्रेरी टेबल, पाँच बुक सेल्फ, एक एलईडी, एक प्रोजेक्टर, एक डबल बैटरी इन्वर्टर, खेलकूद सामान हैंडबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन रैकेट विद्यालय की पूरी बिल्डिंग को रंगपेंट करवाया एवं विद्यालय प्रांगण इंटरलॉकिंग टाइल 10 कमरों की छत रिपेयर, खिड़की दरवाजे इत्यादि अनेक कार्य कराए, शेष कमरों की छत रिपेयर ग्राम विकास समिति द्वारा कराई गई। कजारिया कम्पनी द्वारा कमरों में टाइल लगाने का कार्य किया। पारले कम्पनी ने भी विद्यालय को फर्नीचर उपलब्ध कराया, दानदाता राजवीर ने वॉटर कूलर लगवाया तो इस मुहिम में स्टाफ द्वारा भी स्कूल की साज-सज्जा में बड़ा सहयोग किया गया।

सरपंच श्री सुरेन्द्र चौधरी ने बताया कि आस-पास के 7 गाँवों के बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते

हैं। भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय में लगभग चार लाख रुपये की सालाना लागत से बाल वाहिनी संचालित है। 8 वर्ष पूर्व विधायक श्री धर्मपाल चौधरी के प्रयासों से आशादीप बिल्डर द्वारा विद्यालय को बाल वाहिनी उपलब्ध करवाई गई थी तब से लगातार पूर्व विधायक श्री मंजीत चौधरी, ग्राम पंचायत, ग्रामीणों के द्वारा बाल वाहिनी के खर्चों को वहन किया जा रहा है। कक्षा 12 की छात्रा प्रिया कहती है अब यहाँ पढ़ने में आनंद आता है हमें यह स्कूल प्राइवेट से भी अच्छा लगता है।

आज विद्यालय मॉडल के रूप में विकसित हो चुका है जिसमें पिछले वर्षों में 70 लाख के विकास कार्य हुए हैं।

इंजीनियर

समसा, अलवर (राज.)

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का महत्त्व

□ कमलेश व्यास

मानव जीवन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, शिक्षा किसी भी मानव के जीवन का अभिन्न अंग है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के संगठन में सुचारू भूमिका निभाता है, समाज शिक्षित व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूपेण सक्षम बनता है। शिक्षा हमें न सिर्फ किसी प्रकार की डिग्री या पाठ्यक्रम से अवगत करवाती है वर्णन शिक्षा हमें एक संपूर्ण मानव बनने का भी अवसर प्रदान करती है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है एवं शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिक्षित व्यक्ति समाज में कई नए परिवर्तन भी लाने की क्षमता रखता है। शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम से हम अवगत होते हैं उसको जीवन में उतारना और उसी के आधार पर जीवन को जीना संस्कार कहलाता है। हमें आज के इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा ग्रहण करने के न सिर्फ सुअवसर प्राप्त होते हैं अपितु विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा अर्जन करने का हमें सौभाग्य भी प्राप्त होता है। वर्तमान समय में व्यक्ति को अपने शौक एवं इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम में रुचि रखते हुए दाखिला हासिल कर विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक शिक्षा के कई रूप हमारे सामने आते हैं परंतु गुरु एवं शिष्य का संबंध एवं एक दूसरे की आत्मनिर्भरता, समझ एवं आत्मीयता यह हर परिप्रेक्ष्य में समान रूप से नजर आती है। चाहे आज तकनीकी युग के अंतर्गत जहां कोई विद्यार्थी संसार के किसी कोने से अपनी शिक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्यापक की अनुपस्थिति में भी अर्जित कर सकता है वैसे ही एक शिक्षक भी संसार के किसी कोने में अपने छात्रों को शिक्षित कर उनसे गुरु एवं शिष्य का संबंध स्थापित करने में सफल होता है। शिक्षा हमें समसामयिक विषयों एवं कई प्रकार की जानकारी हासिल करने में मदद तो करती ही है एवं हमें जीवन जीने की सही राह का मार्गदर्शन भी करती है। गुरु के बगैर शिक्षा अर्जित करना जहां पर कुछ असंभव सा माना जाता है ठीक वैसे ही शिक्षा के बगैर भी मानव जीवन नगण्य माना जाता है। आजकल के समय में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु अति आवश्यक मानी जाती है। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान एक छात्र

अत्यधिक समय जब पुस्तकों के साथ बिताता है उतना ही प्रभावी उसका व्यक्तित्व निखर कर बाहर आता है। शिक्षा हर समय की एवं व्यक्ति की जरूरत है एवं मांग भी। संभवतः आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का व्यापारीकरण होना अत्यधिक रूप से पाया जाने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा का शुल्क भरना तो अनिवार्य है परंतु शिक्षित होने वाले दावेदार को अपने विषय का ज्ञान अर्जन हुआ है या नहीं इस बात की पुष्टि करना जरा असंभव सा प्रतीत होता है। कागज का एक टुकड़ा किसी व्यक्ति के ज्ञान को निश्चित नहीं कर सकता जैसे समुद्र का खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा पाता वैसे ही कागज के टुकड़े पर अर्जित अंक किसी के ज्ञान का सही प्रदर्शन कदापि नहीं कर सकता। व्यवहारिक ज्ञान की भी मनुष्य जीवन में अत्यधिक आवश्यकता है, जिसे संस्कार कहा जाता है जिसे अर्जित करना शिक्षा का सही मायने में प्रदर्शन कहा जा सकता है। परिवार में कार्य क्षेत्र में अथवा समाज में भिन्न-भिन्न आयोजनों इत्यादि में एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा सही निर्णय लेना एवं उसका उचित व्यवहार ही किसी भी शिक्षित व्यक्ति को एक सापेक्ष व्यक्तित्व प्रदान करता है।

शिक्षित व्यक्ति कभी भी अभिमानी या स्वार्थी नहीं बन सकता परंतु वह सभी का भला करने वाला एकजुट होकर सभी को साथ लेकर व्यवहार करने वाला हो सकता है। वर्तमान समय में विद्यार्थी को कट कॉपी एवं पेस्ट जैसी कुरीतियों से छुटकारा पाकर अपने विषय को शिक्षक के सानिध्य में गुढ़ एवं गहराई से अध्ययन कर अपने व्यक्तित्व को दैदीप्यमान बनाकर, व्यक्तित्व प्रकाश द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार पर पसरकर सभी को लाभान्वित करें। यदि इसी प्रकार की मानसिकता से वर्तमान परीक्षा में शिक्षा प्रदान एवं प्राप्त की जाएगी तो निश्चित रूपेण समाज में तीव्र गति से बदलाव देखने को प्राप्त हो सकेगा।

द्वितीय तल/02, एजूकेशन क्वार्टर
टी.टी. कॉलेज के पीछे, कीर्ति स्तम्भ के पास,
बीकानेर
मो. : 9829142489

घोषणा-पत्र

(फार्म नं. 4)

शिविरा पत्रिका के स्वामित्व और अन्य विवरण, जो केन्द्रीय धारा 1956 के अन्तर्गत समाचार-पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रकाशित करने आवश्यक हैं।

1. प्रकाशन संस्थान : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. प्रकाशन अवधि : मासिक
3. मुद्रक : आशीष मोदी
- राष्ट्रीयता : भारतीय
- पता : निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
4. प्रकाशक : आशीष मोदी
- राष्ट्रीयता : भारतीय
- पता : निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
5. प्रधान सम्पादक : आशीष मोदी
- राष्ट्रीयता : भारतीय
- पता : निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

मैं, आशीष मोदी घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में एवं विश्वास के साथ सत्य और वास्तविकता पर आधारित है।

(आशीष मोदी) आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

अष्टांग योग और सूर्य नमस्कार की उपादेयता

□ ओमप्रकाश लोधा

सम्पूर्ण विश्व में महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक / जनक के रूप में जाना जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग: चित्तवृत्ति निरोधः अर्थात् योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। महर्षि ने योग दर्शन के अन्तर्गत अष्टांग योग को दिया है। महर्षि ने अष्टांग योग को परिभाषित करते हुए बताया कि अष्टांग योग वह होता है जो चित्त के अज्ञानरूपी प्रवाह को स्थिर कर ज्ञान रूपी प्रवाह की ओर ले जाए। महर्षि ने अष्टांग योग में सामान्य व्यवहार से लेकर ध्यान एवं समाधि सहित आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्थाओं तक का अनुपम समावेश किया है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति अपने अस्तित्व की खोज में लगा है तथा जीवन के पूर्ण सत्य से परिचित होना चाहता है। उसे अष्टांग योग का अवश्य ही पालन करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने 'योगसूत्र' नाम से योगसूत्रों का संकलन किया। जिसमें उन्होंने मानव जाति के पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति एवं शुद्धि के लिए अष्टांग योग का मार्ग विस्तार से बताया है। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बढ़ती समस्याओं एवं प्रदूषित वातावरण और पर्यावरण से मुक्ति पाने के लिए सभी विद्यालयों, संस्थानों, सभी समुदायों और समाज के हर वर्ग के लिए अष्टांग योग की महती आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को आठ आयामों वाला मार्ग बताया है। जिसमें आठ आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के आठ अंग अष्टांग योग कहलाते हैं। यम और नियम अष्टांग योग के मूल आधार हैं। अष्टांग योग के आठ अंग निम्न हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। जिसमें प्रथम पाँच अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार बहिरंग कहलाते हैं और अन्तिम शेष तीन अंग- धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग कहलाते हैं। बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर ही साधक को अंतरंग साधना का

अधिकार प्राप्त होता है।

1. पहला अष्टांग योग- महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का पहला अंग यम बताया है जिसका अर्थ निम्न प्रकार से व्यक्त किया है- तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ योगसूत्र (2/30) जिसमें यम का अर्थ संयम होता है। जो पाँच भागों से मिलकर बना होता है। यम का पहला भाग अहिंसा अर्थात् मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को नहीं सताना। जब व्यक्ति अहिंसा से प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसका बैरभाव छूट जाता है और वह अपने विचारों से, शब्दों से और कर्मों से किसी को भी अकारण हानि नहीं पहुँचाता है। यम का दूसरा भाग सत्य-सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फला श्रयत्वमा॥ योग सूत्र (2/36) जब साधक सत्य की साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात् मन एवं विचारों में सत्य का सही भाव रखना, सत्य बोलना, सत्य ही करना। तब उसके किए गए कर्म उत्तम फल देने वाले होते हैं और इस सत्य आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर कल्याणकारी होता है। यम का तीसरा भाग अस्तेय अर्थात् मन, वचन और कर्म से किसी की कोई चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने के भाव (अस्तेय) प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। यम का चौथा का भाग ब्रह्मचर्य अर्थात् इन्द्रिय जनित काम वासनाओं पर नियंत्रण रखते हुए परमात्मा में विचरना, सदा उसी में ध्यान लगाना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। जितेन्द्रिय रहकर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है। कनिष्ठ ब्रह्मचर्य, मध्यम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। पहला जो 24 वर्ष तक जितेन्द्रिय रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें और सकल विद्या को ग्रहण करें, वह कनिष्ठ ब्रह्मचर्य कहलाता है। दूसरा जो 44 वर्ष तक जितेन्द्रिय रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें और सकल विद्या को ग्रहण करें, वह मध्यम ब्रह्मचर्य कहलाता है। तीसरा जो 48 वर्ष तक जितेन्द्रिय रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें और सकल विद्या को ग्रहण करें।

वह उत्तम ब्रह्मचर्य कहलाता है और यम का पाँचवां भाग अपरिग्रह अर्थात् आवश्यकता से अधिक किसी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। अपरिग्रह स्थिर हो जाने पर जन्मों एवं उनके (भूत, भविष्य और वर्तमान) प्रकार का संज्ञान होता है।

2. दूसरा अष्टांग योग- नियम महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम - शौचसन्तोषतपः स्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि नियमाः। योगसूत्र (2/32) बताया है। नियम के पाँच भाग हैं। नियम भी पाँच भागों से मिलकर बना होता है। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नियम का पहला भाग शौच होता है। शरीर और मन की शुद्धि अर्थात् शरीर के बाह्य भाग की स्नानादि कर्मों से शुद्धि रखना और आन्तरिक भागों में पवित्रता बनाये रखना। दूसरा भाग सन्तोष अर्थात् जो कुछ प्रसन्नता के साथ प्राप्त हो सके, उसी से तृप्त रहना ही सन्तोष है। सदा मुस्कराहट बनाए रखना और लोभ लालच के मार्ग में नहीं पड़ना। तीसरा भाग तप अर्थात् शरीर में उष्णता और शीत सहन करने की क्षमता विकसित करना। स्वयं को अनुशासित करना। स्वयं से अनुशासित रहना ही तप है। चौथा भाग स्वाध्याय अर्थात् अपने आप में सद् ग्रन्थों / सद् साहित्यों/सद् पुस्तकों का अध्ययन करने की प्रेरणा एवं भाव जाग्रत करना। आत्मचिन्तन करना। पाँचवा भाग ईश्वर प्रणिधान अर्थात् विभिन्न नामों से प्रसिद्ध एक ईश्वर का चिन्तन करना और उसके प्रति भक्ति भाव एवं समर्पण की भावना सदा बनाए रखना।

3. तीसरा अष्टांग योग- आसन- महर्षि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन बताया है। पतंजलि ने स्थिर सुख मासनम अर्थात् स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। आसन शरीर को साधने का तरीका है। योगासनों द्वारा शरीर का विकास और शारीरिक नियंत्रण किया जाता है। ध्यानावस्था होने के लिए

आसनों का अभ्यास होना अति आवश्यक है। आसनों से शरीर निरोगी रहता है। आसन कई तरह के होते हैं। जैसे-सुखासन, मयूरासन, भद्रासन, शवासन, भुजंगासन, धनुरासन, पद्मासन, मण्डूकासन, मकरासन..... इत्यादि।

4. चौथा अष्टांग योग—प्राणायाम महर्षि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम बताया है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोगीति विच्छेदः प्राणायामः ॥ योगसूत्र (2/49) अर्थात् आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है। बाहरी वायु को लेने की प्रक्रिया श्वास कहलाती है तथा भीतरी वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रश्वास कहलाती है। मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राणायाम करना अति आवश्यक है। प्राणायाम करने से सभी रोगों का नाश होता है। शरीर के फेफड़े मजबूत होते हैं। नियमित प्राणायाम करने से शरीर का रक्तचाप (बी.पी.) सही रहता है।

प्राणायाम की अवस्थायें — प्राणायाम की तीन अवस्थायें हैं- पूरक, कुम्भक और रेचक। पूरक का अर्थ श्वास को अन्दर लेना होता है जबकि रेचक के अन्तर्गत श्वास को बाहर निकाला जाता है, अर्थात् श्वास छोड़ने की प्रक्रिया रेचक कहलाती है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने के बीच हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। इस रुकने की क्रिया को कुम्भक कहते हैं। कुम्भक दो प्रकार से की जाती है। पहला श्वास को अन्दर भरकर सप्रयास रोके रखना अथवा श्वास को बाहर निकालकर ही रोके रखना।

कपालभाति — श्वास लेने और श्वास छोड़ने की तेज प्रक्रिया को कपालभाति कहते हैं।

5. पांचवां अष्टांग योग—प्रत्याहार महर्षि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का पांचवां अंग प्रत्याहार बताया है। प्रत्याहार दो शब्दों प्रति+आहार से मिलकर बना है। जिसका अर्थ-प्रति-प्रतिकूल और आहार-वृत्ति होता है। इन्द्रिय नियंत्रण करना प्रत्याहार है। प्राणायाम द्वारा प्राण के शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव स्वभावतः

कम हो जाता है और इन्द्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। इसी का नाम प्रत्याहार है।

6. छठवां अष्टांग योग—धारणा महर्षि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का छठवां अंग धारणा बताया है। धारणा शब्द 'धृ' धातु से बना है। इसका अर्थ धारण करना, संभालना, थामना या सहारा देना होता है। जब मन की बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है और अंतर्मुख होकर स्थिर करने की चेष्टा करता है। इसी चेष्टा की आरम्भिक दशा का नाम ही धारणा है अर्थात् शरीर के किसी अंग पर जैसे- हृदय में, नासिका के अग्रभाग पर अथवा बाह्य पदार्थ जैसे- इष्ट देवता पर चित्त को लगाना या स्थिर करना ही 'धारणा' है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियों को उनके विषयों- रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श आदि से हटाकर चित्त को स्थिर किया जाता है। स्थिर एवं एकाग्र किए गए चित्त को एक 'स्थान विशेष' पर रोक लेना ही धारणा है।

7. सातवां अष्टांग योग—ध्यान महर्षि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का सातवां अंग ध्यान बताया है। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरन्तर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब वस्तु का ज्ञान उस देश विशेष में एकाकार रूप से प्रवाहित होता है। तब उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान में सदृश वृत्ति का ही प्रवाह होता है। उसके विरुद्ध नहीं। ध्यान धारणा की आगे की दशा है।

8. आठवां अष्टांग योग—समाधि महर्षि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का आठवां अंग समाधि बताया है। ध्यान की परिपक्वावस्था का नाम ही समाधि है। समाधि योग की अन्तिम अवस्था एवं लक्ष्य है। इसमें मनस् एक पदार्थ पर ध्यान केन्द्रित कर उस पदार्थ से अपने आपको एक कर देता है और अपना स्वत्व खो बैठता है अर्थात् चित्त आलंबन के आकार में प्रतिभासित होता है और अपना स्वरूप शून्यवत हो जाता है और एकमात्र आलंबन ही प्रकाशित होता है। यही समाधि की दशा कहलाती है। समाधि के बाद ज्ञान का उदय होता है और यही योग का अन्तिम लक्ष्य है। समाधि दो प्रकार की होती है। पहली सम्प्रज्ञात

समाधि और दूसरी असम्प्रज्ञात समाधि। सम्प्रज्ञात समाधि में आनन्द, विचार, वितर्क और अस्मितानुगत होती है। असम्प्रज्ञात समाधि में सात्त्विक, राजस और तामस आदि सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है।

7. सूर्य नमस्कारः— सूर्य नमस्कार 12 (बारह) चरणों में किया जाने वाला आसन है। जिसके नाम इस प्रकार हैं- 1. प्रणामासन, 2. हस्तउत्तानासन, 3. हस्तपादासन, 4. अश्व संचलानासन, 5. अधोमुखश्चानासन, 6. पर्वतासन, 7. अष्टांग नमस्कार, 8. भुजंगासन, 9. अधोमुखश्चानासन, 10. पर्वतासन, 11. अश्व संचलानासन, 12. हस्तपादासन। इसको प्रतिदिन सूर्य के सम्मुख होकर स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के साथ-साथ श्वास की गति (प्राणायाम) का तालमेल होना चाहिए।

सूर्य नमस्कार करने के कई लाभ हैं-

1. रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली होती है।
2. हृदय की क्रिया में सुधार होता है।
3. रक्त संचरण बेहतर हो जाता है।
4. शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं।
5. सूर्य नमस्कार करने से चेहरे की झुरियां कम होने लगती हैं।
6. सूर्य नमस्कार करने से शरीर की आयु में वृद्धि होती है।
7. दिनभर ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है।
8. शरीर में थकान कम होती है।
9. शरीर में पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है।
10. मानसिक विकास होता है और नेत्र ज्योति बढ़ती है।
11. शरीर का आलस्य दूर होता है।
12. उदर की बीमारियां नहीं होती हैं।

व्याख्याता (इतिहास)

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय
विरौधा, धौलपुर (राज.)
मो.नं. 8505013053

मेरी भाषा की कक्षा

□ डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता

कक्षा में बागड़ी भाषा और हिन्दी, दोनों के साथ काम करने के अनुभव दर्शाते हैं कि दो भाषाओं में एक साथ काम कैसे किया जा सकता है, साथ ही यह भी कि कक्षा में मानक भाषा और स्थानीय भाषा दोनों का एक साथ प्रयोग करना संभव है। दोनों भाषाओं का साथ-साथ प्रयोग सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के अन्य पहलुओं, शिक्षक के साथ सहजता, सीखने की ललक, सीखने वाले में आत्मविश्वास आदि को भी प्रभावित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में वर्णित है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण जितना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है उससे कहीं ज्यादा रोचक अनुभव प्रदान करने वाला होता है। शुरुआती दिनों में जब बच्चा अपने घर से विद्यालय आता है तो उसका साक्षात्कार विद्यालय की उस भाषा से होता है जो उसके घर की भाषा से कई अर्थों में भिन्न होती है। भाषा के शिक्षक के लिए यह एक बड़ी चुनौती होती है कि स्थानीय भाषा जो बच्चे के घर और पड़ोस की भाषा हो सकती है को उचित सम्मान देते हुए वह कैसे विद्यालय की भाषा का परिचय बच्चों के साथ कराता है। मेरा शिक्षण विद्यालय ऐसे भाषायी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ हिन्दी बच्चों की दूसरी भाषा है। बागड़ी बच्चों की मातृभाषा है और अंग्रेजी तीसरी भाषा के रूप में देखी जा सकती है। बागड़ अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों का परिवेश शहर और विकसित कस्बे के आस-पास रहने वाले बच्चों से भिन्न है। ऐसे भाषायी परिवेश में बच्चों को हिन्दी सिखाना लगभग उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना कि अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा सिखाना।

मैं बच्चों से बात करता उनके अनुभव सुनता, बच्चे बागड़ी में बोलते, मैं बागड़ी बोलते-बोलते हिन्दी के कुछ शब्द और वाक्य बोल दिया करता। एक दिन बारिश हो रही थी। मैंने बच्चों के साथ बरसात पर बात शुरू की। मैंने पूछा कि बरसात में क्या होता है? एक बच्चे ने कहा कि बरसात में डेडका आता है। मैंने कहा, 'डेडका मतलब मेंढक होता है।' इस शब्द का दो-तीन बार अलग-

अलग तरह से प्रयोग हुआ। अगले दिन कक्षा में एक मेंढक आ गया। मैंने कहा, देखो बच्चो! मेंढक आ गया है। अभी कुछ दिनों पूर्व बिल्ली के तीन बच्चे कहानी की बिग बुक दिखाते हुए जब मैंने मेंढक पर अंगुली रखकर बच्चों से पूछा कि यह क्या है? तो बच्चे जोर से बोले- मेंढक। ये मेरे लिए एक नई बात थी कि बच्चे जिसको अब तक डेडका बोलते थे, उसे अब वे मेंढक बोलने लगे। इसी तरह एक दिन कक्षा में चिड़िया आई तो बच्चे बोले- सर सकली आवीगी। मैंने बच्चों से कहा, सकली को चिड़िया कहते हैं। दूसरे दिन कक्षा में फिर चिड़िया आई तो बच्चे बोले, सर चिड़िया आवीगी। इस तरह, कभी चित्र दिखाकर तो कभी वास्तविक चीजें दिखाकर उन वस्तुओं के नाम बागड़ी से हिन्दी में बताने का क्रम चलता रहा। यह ध्यान रखा कि एक सप्ताह में दो या तीन चीजों के ही नाम बागड़ी से हिन्दी में बताए जाएं। इस तरह बच्चे कुछ शब्द हिन्दी में बोलते और कुछ शब्द व वाक्य बागड़ी में।

इसके अलावा बच्चों में एक दूसरा परिवर्तन देखा, जो मेरे लिए विस्मयकारी था। मैं बच्चों के साथ काफी बातें हिन्दी में करता, बच्चों ने क्रिया शब्दों को पकड़ना प्रारम्भ किया और अपनी आम बोलचाल में उसका प्रयोग भी शुरू किया। मैं कक्षा में रोजाना बच्चों से पूछता, आज कौन-कौन नहा कर आया है? बच्चे बोलते- सर, मू जीली न आवियु हूँ। धीरे-धीरे बच्चे बोलने लगे, सर, मैं नहा कर आया हूँ। इसी तरह से मध्याह्न भोजन के समय बच्चों से कहता, चलो खाना खा लो। धीरे-धीरे होता यह गया कि बच्चे 'रोटा खावु है' को रोटी खानी है बोलने लगे। बच्चों का क्रिया शब्दों को हिन्दी में बोलना एवं सुखद आश्चर्य था। यहाँ समझने वाली बात यह थी कि इसके लिए कोई सायास प्रयास (जैसा मेंढक या चिड़िया के लिए किया गया था) नहीं किया गया, जबकि बच्चे मेरे द्वारा बोले जा रहे हिन्दी के वाक्यों की संरचना के पैटर्न को पकड़ते हुए क्रिया शब्दों में हेरफेर कर हिन्दी की वाक्य संरचना करना सीख रहे थे। इस तरह, बच्चों से लगातार

बागड़ी मिश्रित हिन्दी में बात करने का परिणाम यह निकला कि आज तीन महीने बाद अधिकांश बच्चे हिन्दी समझते हैं और बोलते भी हैं।

बच्चों को हिन्दी तक ले जाने के इस प्रयास और अनौपचारिक बातचीत का एक और आश्चर्यजनक परिणाम दिखा, एक दिन मैं पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ बात कर रहा था। उन्हें एक कविता सुनाने के बाद मैंने उनके नाम पूछे। उस वक्त मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब पहली कक्षा के एक नए बच्चे महावीर ने मेरे पास आकर दूसरे बच्चे की शिकायत करते हुए मेरा नाम लेकर कहा, 'दिनेश जी, आनी मानतोए।' कई दिन तक अन्य बच्चे भी मेरा नाम लेकर मुझसे बात करते रहे और मैंने भी प्रयास नहीं किया कि बच्चे मुझे 'सर' या 'मास्टरजी' बोलें। बच्चों का यह व्यवहार मुझे थोड़ा अटपटा लगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि जो बच्चे बेझिझक कक्षा में मेरा नाम ले रहे थे उनके साथ भाषा पर कार्य करना ज्यादा आसान लग रहा था। जबकि जो बच्चे अभी भी संकोच कर रहे थे उनकी कठिनाइयों को मैं नहीं समझ पा रहा था। यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि बच्चों को अपने शिक्षक को 'सर जी' या 'माट सा' कहकर क्यों सम्बोधित करना चाहिए? क्या यह सम्बोधन बच्चों और शिक्षक के बीच अन्तर पैदा करने का पहला आधार न होता होगा? खैर धीरे-धीरे अब सारे बच्चे मुझे 'सर' कहकर सम्बोधित करते हैं। लेकिन नाम लेकर सम्बोधित करने से 'सर' तक के सफर ने उन्हें मेरे प्रति विश्वास से भर दिया है। कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया पर इसके सकारात्मक असर दिख रहे हैं।

अपना नाम बताना - अपने अध्ययन और प्रशिक्षणों के दौरान मैंने लोगोग्राफिक पठन के बारे में पढ़ा, यानी शब्द की आकृति को चित्र की तरह पढ़ना। उस समय मैं इस प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पाया था। मैंने कक्षा में इस पर काम करने की योजना बनाई। कक्षा में बच्चों से कहा कि एक खेल खेलेंगे, सब बच्चे एक-एक कर

अपना नाम बताएंगे और मैं उन्हें लिखूंगा। बच्चे एक-एक कर अपना नाम बताते गए, मैं उन्हें श्यामपट्ट पर बोल-बोल कर लिखता गया और एक बार नाम लिखकर उसके एक-एक वर्ण को बुलवाता गया। जैसे मनीष ने खड़े होकर अपना नाम बताया तो मैंने नाम लिखकर बुलवाया, 'म-नी-ष'। इसके बाद उस बच्चे के नाम की ताली बजती। जब सारे बच्चों ने अपने नाम बता दिए तो मैंने प्रत्येक बच्चे से पूछा कि उसका नाम कहाँ लिखा है? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उपस्थित 21 बच्चों में से 17 बच्चों ने श्यामपट्ट पर बता दिया कि उनका नाम कहाँ लिखा है। इसके बाद इन नामों को शीट पर लिखकर कक्षा-कक्षा में चिपका दिया गया। हम धीरे-धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते गए। आज बच्चे बता देते हैं कि उनके और उनके दोस्तों के नाम शीट में कहाँ लिखे हुए हैं। इस प्रक्रिया का एक और परिणाम दिखा, बच्चे कार्डशीट पर लिखे नामों की नकल कर अपनी कॉपियों पर उतारने भी लगे हैं। हालांकि अभी बच्चे पूरी तरह से अपने नामों में प्रयुक्त हो रहे वर्णों और ध्वनियों को पहचान तो नहीं पा रहे हैं लेकिन किसी चित्र की भांति नाम लिखकर खुश जरूर हो रहे हैं।

बच्चों ने बताए खेतों में लगने वाली 43 चीजों के नाम - बच्चों के साथ उनके परिवेश के बारे में अनौपचारिक बातचीत अब मेरी शिक्षण पद्धति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। पहली और दूसरी कक्षा में शिक्षण की शुरुआत ऐसी ही किसी चर्चा से होती है। इस चर्चा में बच्चे अधिकांशतः अपने दैनिक जीवन और आस-पास की घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। यह चर्चा उनको विषय के साथ जोड़ने में मदद तो करती ही है, साथ ही साथ बागड़ी भाषा के तमाम शब्दों को सीखने में हमें भी मदद मिलती है और यहीं से हिन्दी तक ले जाने की प्रक्रिया की शुरुआत भी होती है। ऐसे ही एक दिन कक्षा 1 व 2 की सामूहिक कक्षा में बच्चों से बातचीत के दौरान एक बच्चे ने बताया कि कल उसके यहाँ 'वाडी' थी, यानी मक्के की फसल पकने के बाद उसे देवताओं को अर्पण करने वाली पूजा। वाडी की बात चल रही थी तो मैंने बच्चों से पूछा कि खेतों में और कौन-कौन सी चीजें होती हैं। बच्चे बताते गए और मैं उन सारी चीजों के नाम श्यामपट्ट पर

लिखता गया। बच्चों ने 43 तरह की चीजों के नाम बताए, इनमें नारियल और नीलगर जैसे पेड़ों के नाम भी थे जो इस क्षेत्र में नहीं उगते हैं। जब मैंने बच्चों से यह जानने का प्रयास किया कि नारियल और नीलगर के पेड़ कैसे होते हैं और उन्होंने इन्हें कहाँ देखा है, तो एक बच्चे ने कक्षा में लटकाई हुई कहानियों की किताबों में से एक किताब निकालकर मुझे थमा दी। खैर, जब मैंने बच्चों द्वारा बताई हुई चीजों की सूची पर नजर डाली तो पता चला कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका नाम बच्चों ने अपनी स्थानीय भाषा (बागड़ी) में बताया है। कई चीजों के नाम हिन्दी में भी थे। बातचीत के दौरान ही बच्चों को उन वस्तुओं के हिन्दी और अंग्रेजी नामों से भी परिचित कराया गया तथा बच्चों की मदद से ही इसका एक चार्ट बनाकर कक्षा-कक्षा में लगा दिया गया। मुझे अब बार-बार महसूस होने लगा है कि कक्षा-कक्षा में चुप्पी की संस्कृति को छोड़कर बच्चों से बात करना आवश्यक है। बात करने से एक तो बच्चे अपने अनुभवों से नए ज्ञान को जोड़कर सीखते हैं, दूसरे वे घर की भाषा से मानक भाषा की ओर अग्रसर होते हैं। हम अक्सर यह मानते हैं कि बच्चे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। बच्चों से यदि बातें की जाएं और उनकी बातों को तवज्जो दी जाए तो वे बहुत सारी जानकारियाँ साझा करते हैं।

अर्थ निर्माण - पाठों में आए नए/कठिन शब्दों के अर्थ बताने के बाद यह मान लिया जाता है कि बच्चों को इन नए शब्दों की जानकारी हो चुकी है। परन्तु शब्दों को संदर्भ के साथ व बच्चों के रोजमर्रा के जीवन के साथ जोड़ कर अर्थ बताने के बारे में कहा गया तो अनुभव अलग प्रकार के रहे। बच्चों के साथ कक्षा 3 में मीठे बोल कहानी पर चर्चा हो रही थी, तो दयालु शब्द पर बात करते हुए दया की बात आई और मैंने बच्चों से पूछा कि दया क्या होती है? एक बच्चे ने जो उत्तर दिया वह मेरे लिए आंखें खोल देने वाला था। बच्चे ने कहा, 'सर, दया होती है जैसे कि उस दिन आपने हमारे ऊपर दया करके हमको जूते बाँटे थे।' दरअसल कुछ दिन पूर्व ही एक संस्था द्वारा स्कूल में जूते बाँटे गये थे। उस बच्चे द्वारा दिया गया यह जवाब मेरी आंखें गीली करने वाला था। उसकी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने तुरन्त बात बदली और सोचा कि आखिर यह क्यों हुआ,

और बच्चे ने इस तरह का जवाब क्यों दिया होगा? सरकारी संस्थाओं या अन्य स्रोतों द्वारा गाँव में कभी-कभी कुछ सामान का वितरण किया जाता है। मुझे लगा कि बच्चे ने भी जूते वितरण करने वाली घटना को अपने परिवेश के इन्हीं संदर्भों के साथ जोड़ा होगा।

दरअसल, बच्चे जब भी किसी शब्द का अर्थ बनाने की प्रक्रिया में होते हैं तो अपने संदर्भों और आस-पास की घटनाओं, अनुभवों से तथ्य एकत्र कर रहे होते हैं। इसको इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है। एक दिन कक्षा 1 में जैसे ही मैं घुसा, बच्चे बोले, 'सर, काले गाम में मोदी जी आए थे।' मुझे आश्चर्य हुआ कि गाँव में मोदी जी कहाँ से आ गए? तभी कक्षा 3 के एक बच्चे ने बताया कि कल गाँव में राजस्थान सरकार के एक मंत्री, जो इसी जिले के रहने वाले थे, सौर ऊर्जा की लिफ्ट का उद्घाटन करने आए थे। मुझे लगा बच्चों से इस पर बात करनी चाहिए। मैंने बच्चों से पूछा कि और क्या हुआ? बच्चों ने बहुत सारी बातें बताईं। सात गाड़ियाँ आई थीं पुलिस वाले आए थे, माला पहनाई थी। तभी एक बच्चा बोला, 'सर एक करोड़ लोग आए थे।' बच्चे के जवाब को यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि एक करोड़ किसी मात्रा का बोध नहीं कराता है, बल्कि बच्चे के लिए बहुत अधिक संख्या का बोध कराता है। बच्चों द्वारा किसी भी शब्द के अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया में यह जरूरी नहीं है कि वे शिक्षक द्वारा बताए गए/शिक्षक द्वारा समझे गए अर्थ को ही ग्रहण करें। बच्चे अपने आस-पास की घटनाओं के बारे में अपनी एक राय कायम करते हैं, इन सब घटनाओं के बारे में बात न करने पर उनकी वही राय मजबूत होती जाती है और यह अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षण के दौरान अपनाई गई इन गतिविधियों ने बच्चों और मेरे स्वयं के लिए सीखने-सिखाने को अत्यन्त ही रोचक बना दिया है। मैं बच्चों को काफी हद तक बागड़ी से हिन्दी तक लाने में सफल हुआ हूँ, प्रयास अभी भी जारी है।

प्रवक्ता, अग्रवाल महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुर सिटी (राजस्थान) 322201 मो.: 9462607259

पाठशाला बने संस्कार शाला

□ डॉ. चेतना उपाध्याय

रोटी कपड़ा और मकान हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। शिक्षा की आवश्यकता द्वितीय पायदान पर आती है। यह सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि शिक्षा हमारी प्राथमिक आवश्यकता की आपूर्ति सम्मानजनक स्वरूप में करवा पाने में मददगार रहती है। अतः शिक्षा वर्तमान सभ्य समाज की प्राथमिकताओं में शामिल हो गई है। शिक्षा के माध्यम से जीवन जीने हेतु कुशलताओं की प्राप्ति की अपेक्षा स्वभाविक ही है। अतः शिक्षालय समाज की प्राथमिकता बन गए हैं। परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति, संस्कार और सरोकार भी शिक्षालयों से पोषण की अपेक्षा रखते ही है। अतः शिक्षालयों को जीवन्त जीवन की पाठशाला होना अत्यावश्यक है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए यह महसूस हो रहा है कि, यह एक बेहद महत्वपूर्ण आवश्यक चुनौती है। अतः इस दिशा में कार्य किया जाना अत्यावश्यक है। यह सत्य है कि परिवार प्रत्येक बालक की प्रथम स्नेहिल पाठशाला है। मगर जब भी शिक्षा की बात आती है तब शिक्षालयों की जवाबदेही स्वतः ही बन जाती है। संपूर्ण समाज शिक्षालयों/पाठशालाओं से सार्थक शिक्षा की अपेक्षा करता ही है।

वर्तमान समाज में चहुँओर दृष्टिपात करने पर पाया गया कि शिक्षा का संबंध मात्र संबंधित परीक्षाओं तक सीमित हो गया है। परिणाम स्वरूप परीक्षा पश्चात शिक्षा का व्यक्तिगत या सामाजिक मूल्य नहीं रह पा रहा। जबकि होना तो इसके विपरीत चाहिए ताकि शिक्षा जीवन निर्माण की शिक्षा रहे। पाठशाला के माध्यम से बालकों में जीवन-कौशल/कुशलताओं का विकास हो। उन्हें अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास के अवसर प्राप्त हों। अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता आधार पर सुखद जीवन शैली की जानकारी प्राप्त हो। तभी पाठशाला संस्कारशाला बन जीवन निर्माण की शिक्षा का संस्कार विद्यार्थियों में पोषित कर पाएगी। एक शिक्षक होने के कारण हम शिक्षकों का यह सम्मानजनक दायित्व है। इस दायित्व के सार्थक निर्वहन में ही हमारा गौरव - गरिमा पूर्ण व्यक्तित्व निर्भर है। यह हमें समझना ही होगा। हमारा शिक्षकत्व ही तभी सार्थक हो पाएगा, जब

हमारे विद्यार्थियों में जीवन निर्माण की शिक्षा का संस्कार पोषित हो पाएगा। इस हेतु हमें स्वयं ही अपने शिक्षकत्व को जागाना होगा। और विषयगत शिक्षक से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व का अवलोकन कर उसे और संवारना, निखारना होगा। ताकि हमारा प्रतिबिंब प्रति छायां बन हमारे विद्यार्थियों में निखार ला सके। हमारा दूसरा दायित्व यह है कि, अपने कक्षा-कक्षीय शिक्षण से पूर्व अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ का निर्धारण कर, उसकी मूल भावना, उसका मुख्य उद्देश्य, उससे संबंधित पाठ्यचर्या को जानना, समझना होगा। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि उस पाठ्यांश के माध्यम से हम उक्त पाठ्यचर्या को अपने विद्यार्थियों में भलीभांति पोषित कर पाएं। तब ही हमारा कक्षा-कक्ष में व्यतीत किया गया समय सार्थक सिद्ध हो पाएगा।

यहाँ अक्सर ही हमसे यह गलती हो जाया करती है कि, हम पाठ्य पुस्तक में दिए पाठ को ही अत्यावश्यक समझ उसके अंत में दिए प्रश्नोत्तरों पर ही अपना और अपने विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित कर लिया करते हैं। यह हमें और हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा तक सीमित कर दिया करता है। इस तरह जब हमारी शिक्षा ही परीक्षा केंद्रित हो जाती है तो स्वतः ही जीवन निर्माण हेतु अत्यावश्यक कौशल पीछे छूट जाते हैं। परीक्षा केंद्रित शिक्षा, मात्र अंक प्राप्ति कौशल में निपुण बना पाती है। अपने प्राप्तांको के आधार पर हम रोजगार प्राप्त कर आय प्राप्ति के साधन जुटा लेते हैं। आय प्राप्ति से जीवन में अर्थाभाव नहीं रहता मगर जीवन-कौशल/कुशलताओं का अभाव रह जाता है। परिणाम स्वरूप हमारा समाज आनंददाई संतुष्ट जीवन जीने की शिक्षा की अपेक्षा और अपेक्षा मात्र ही करता रह जाता है। उक्त अपेक्षा की आपूर्ति हेतु शिक्षकों में दायित्व बोध का होना अत्यावश्यक है। तब ही हमारी शिक्षा, सार्थक शिक्षा में रूपांतरित हो पाएगी। इस हेतु हम शिक्षकों को समय के साथ परिवर्तित स्थितियों के आधार पर पहले स्वयं को अधिकाधिक जानने, समझने व सीखने का प्रयास करना चाहिए। ताकि हम कक्षा-कक्षीय

शिक्षण प्रक्रियाओं में सहजता से जीवन कौशल की शिक्षा का बीजारोपण अपने विद्यार्थियों में कर पाएं। इसके लिए हमें यह प्रयास करना होगा कि, पाठ्यांश को सहज- सरल दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। ताकि उक्त पाठ्यांश का मर्म विद्यार्थियों में सहजता से पोषित हो पाए। दैनिक जीवन के उदाहरण जीवन्त होने के कारण सहजता से आत्मसात भी हो पाएंगे। परिणाम स्वरूप जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उनका सदुपयोग भी हो पाएगा। हमारी कक्षा-कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि विद्यार्थियों को जीवन की बारीकियों को समझना सरल हो जाए। वे स्वयं ही जीवन की चुनौतियों को समझ आगामी जीवन में सहज - सरल जीवन व्यतीत कर पाएं। विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम को रचनात्मक, सृजनात्मक गतिविधि रूप में प्रेषित किए जाने पर यह सहज संभव हो पाएगा। कारण मात्र यह की सृजनात्मक गतिविधियों हेतु सहयोग, सद्भाव, विनम्रता, लचीलापन, समझ-बूझ सक्रियता की विशेष भूमिका रहती है। परिणाम स्वरूप इन गुणात्मक संस्कारों का पोषण उनमें सहज ही हो जाता है। साथ ही उग्र भर बने रहने की संभावना भी बन जाती है। क्योंकि कक्षा में विभिन्न पृथकताओं वाले बालकों को एक साथ काम करने का अवसर मिलता है। जो कि आगामी जीवन की चुनौतियों का सामना करने का व जीवटता से पार पाने का हौसला उन्हें प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप वे आगामी जीवन में हस्तकला कौशल के साथ लघु उद्योग, लघु व्यवसाय कर आजीविका भी स्वयं ही निर्मित कर पाते हैं। विद्यार्थियों को परिवार, समाज, संस्कृति, प्रकृति को पहचानन, समझने के अवसर भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान इत्यादि विषयों का अध्ययन करने के दौरान ही प्राप्त होने चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या का पोषण प्रकृति के सानिध्य में सामाजिक प्रयोगशाला के मध्य सहज गतिविधियों के माध्यम से हो। प्रत्येक तथ्य को विद्यार्थियों में कर के सीखने की प्रवृत्ति हम पोषित करें। प्रकृति, समाज, विज्ञान, अध्यात्म चरण बद्ध तरीके से

समझने के अवसर हम विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा पाने में कामयाब हो पाएं। इनसे जुड़ी विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं हम समय पर उनकी क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए शांत करने का बीड़ा उठाने का साहस हम शिक्षक उठा पाएं। सभी कुछ प्रकृति, समाज, संस्कृति की सीमाओं मर्यादाओं को दृष्टिगत रखते हुए संप्रेषित हो तभी हमारी शिक्षा द्वारा जीवन निर्माण का संस्कार बालकों में विकसित हो पाएगा। हमारे इस कर्तव्य बोध के जागते ही सामाजिक बगिया में नव पुष्प स्वतः ही पल्लवित होंगे। ऐसा पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। यहाँ एक विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि, हम जो कुछ भी विद्यार्थियों में बीजारोपण करना चाहते हैं। इसका शुभारंभ सर्वप्रथम हम से ही हो। कारण की सीखना आसान है सिखाना जटिल या मुश्किल। आप सभी जानते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। हमारे सीखने सिखाने के क्षेत्र में कदम सरल से जटिल की ओर बढ़ाने से सफलता की गुंजाइश बढ़ जाया करती है।

अतः हमें इस दिशा में ही सर्वप्रथम कदम अत्यावश्यक रूप से बढ़ाने चाहिए। ताकि हमारा श्रम व्यर्थ न जाए। कार्य सरलता से हो जाए। वैसे भी शिक्षक की भूमिका शिक्षा देने वाले की जगह एक सूत्रधार तथा सुविधा प्रदाता (फैसिलिटेटर) की रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। विद्यार्थियों को सिखाने हेतु संसाधन, परिवेश, माहौल, अवस, उपलब्ध हों तो वे सहज ही अधिगम कर लेते हैं।

अतः शिक्षकों को शिक्षा - ज्ञान - सूचना - जानकारी देने की बजाय इन्हें स्वयं ही ग्रहण कर पाने के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में भी ज्ञान के प्रति जिज्ञासा भाव पैदा हो और वे भी अधिकाधिक ग्राह्यता की ओर उत्सुक हो सकें। इससे विद्यार्थियों में स्वमेव ही समझने, बूझने, जानने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है। सहज व स्वयं सीखे गए ज्ञान का कहीं कोई मुकाबला नहीं क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक स्थाई होता है। शिक्षकों का व्यवहार, व्यक्तित्व, कार्य प्रणाली आचरण, ऊर्जा ही विद्यार्थियों हेतु प्रेरणादायक हो, अनुकरणीय हो। जिससे विद्यार्थियों में सहज ही ग्राह्यता बढ़ जाती है। इस प्रकार पाठशाला

बगैर प्रयास ही संस्कारशाला बन जाती है। इस हेतु शिक्षक को अनुकरणीय आचरण वाला आचार्य मात्रा होना है। हमारी पाठशाला सहजता से संस्कारशाला बनने में देर नहीं लगेगी। हमारी पाठशाला में हमारी पाठ्य पुस्तकें, हमारे पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या सभी कुछ सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़े रहे। विद्यार्थियों को उक्त सामाजिक - सांस्कृतिक, सरोकारों से जुड़ाव बनाए रखने का अवसर प्रदान करने वाले हो। पाठशाला में जो कुछ भी विद्यार्थी को सीखने, समझने, जानने का अवसर प्राप्त हो। उसकी दैनिक जीवन में सार्थक उपयोगिता हो। वह अपने जीवन में उसका उपयोग कर पाए। इतिहास भूगोल से वह उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर स्वयं की समझ विकसित कर पाए, तो यह ज्ञान स्थाई रूप में उसके जीवन को रोशन कर पाने का सामर्थ्य रख पाएगा। इस तरह पाठशाला के माध्यम से जीवन निर्माण की शिक्षा का संस्कार विद्यार्थियों में ढल पाएगा भाषा तो एक सशक्त माध्यम है ही। जिसके माध्यम से हम बेहद जटिल ज्ञान को भी सहज सरल कहानियां, कविताओं, गीतों, रोचक पहेलियों, प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुँचाने का रोचक और मनोरंजक रूप में प्रयास कर पाएं।

विद्यालय में नियत समय पर पूर्ण गणवेश में प्रवेश अभिवादन, अनुशासित सांस्कृतिक प्रार्थना, योग - व्यायाम पश्चात मर्यादित रूप से कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं, गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो पाने की व्यवस्था रहे। जहाँ बालकों की विभिन्नताओं, क्षमताओं रुचियों को दृष्टिगत रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था हो। शिक्षकों में बाल मन को समझने व उसके अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में सहज परिवर्तन लाने की क्षमता, योग्यता व धैर्य बना रहे। कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में शिक्षक व सभी विद्यार्थियों की आनंदित स्वरूप में सहभागिता रहे। शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों सभी को पाठशाला आनंद शाला सी महसूस हो। आनंद शाला की गूँज समाज में आनंदित वातावरण बना पाने में कामयाब हो। शिक्षा को गंभीर कार्य की बजाय सहज सुखद खेल रूप में स्वीकार - अंगीकार किया जा सके। शिक्षा के उद्देश्यों

शिक्षित व्यवहार, एक दूसरे के गुणों का सम्मान, जीवन कौशल, समाज व राष्ट्र निर्माण की जानकारी, योग्यता व क्षमता पाठशालाओं के माध्यम से प्राप्त हो, तो स्वाभाविक रूप से पाठशालाएं संस्कार शालाओं का स्वरूप धारण कर लेंगी।

आवश्यकता मात्र यह कि हम शिक्षक, शिक्षण को, मात्र आय स्रोत मानने की जगह सेवा - समर्पण, ईश्वरीय आराधना का स्थान दे पाएं। वैश्वीकरण के इस युग में नवीन तकनीकी संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के दौर में हम नव पीढ़ी के अनुरूप तकनीकी ज्ञान को धारण करने, समझने व भविष्य की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने हेतु स्वयं भी ता-उम्र शिक्षार्थी बने रहें। हमारे विद्यार्थी बने रहने पर निरंतर सीखते रहने से हम संकल्पवान चाणक्य से शिक्षक बन पाए तो सामान्य बालकों में से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे विद्वान व योग्य शासकों की फौज सहजता से तैयार होगी। विद्यार्थियों की योग्यता का लाभ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक रूप में संपूर्ण समाज, प्रकृति को प्राप्त होगा। पाठशाला में प्रवेश लेने वाला प्रत्येक बालक सुसंस्कार स्वरूप में शाला से बाहर समाज को रौशन कर पाएगा। समाज में किस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को स्थापित किया जाए। पारिवारिक, व्यक्तिगत जटिलताओं को किस तरह से सुलझाया जाए। जीवनयापन हेतु सशक्त जीवनवृत्ति को किस प्रकार से अपना पाएं। कार्य जीवन संतुलन किस प्रकार से बनाया जाए। इस तरह की समस्त योग्यताएं विद्यार्थियों को पाठशाला के माध्यम से सहज ही प्राप्त हो जाएं।

इस हेतु मात्र यह आवश्यक है कि हम शिक्षा को निजी स्वार्थ व राजनीतिक प्रयत्नों से दूर रख पाने का हींसला व सामर्थ्य जुटा पाएं, तो पाठशाला की शिक्षा जीवन की संस्कार शाला बन उभरेगी और यह प्रण हम शिक्षकों को ही करना होगा प्रशासन व समाज पर इसकी जवाब देही डालकर हम मुक्त नहीं हो सकते। हम शिक्षक हैं आम कर्मचारी नहीं.....

वरिष्ठ व्याख्याता डायट मसूदा अजमेर
निवास-49, गोपाल पथ, कृष्ण विहार
कुंदन नगर, अजमेर राजस्थान 305 001
मो.- 9828186706

आदेश-परिपत्र : मार्च, 2024

1. बोर्ड परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के सत्यापन एवं प्रबोधन के संबंध में दिशा निर्देश।
2. शिक्षक पूर्ण तैयारी व प्रभावी शिक्षण के साथ कक्षा-कक्ष विषय शिक्षण करावे।
3. प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश।
4. प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) 2024 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश।
5. वेबसाइट के अवलोकन तथा सूचनाओं को अद्यतन रखने के संबंध में कम्प्यूटर प्रयोग एवं साईबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों की अनुपालना के संबंध में विभिन्न कार्यों हेतु अनुभागों द्वारा ई-मेल से पत्राचार के संबंध में।
6. Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के सम्बन्ध में।

1. बोर्ड परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के सत्यापन एवं प्रबोधन के संबंध में दिशा निर्देश।

- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- क्रमांक : शिविरा - माध्य / माध्यमिक/ मॉनिटरिंग / बोर्ड /2024 दिनांक 21.02.24 • समस्त संस्था प्रधान निजि एवं राउमावि/राबाउमावि
- विषय बोर्ड परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के सत्यापन एवं प्रबोधन के संबंध में दिशा निर्देश। प्रसंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का परिपत्र दिनांक:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र द्वारा कक्षा 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षा में सैद्धान्तिक, प्रायोगिक एवं विद्यालय स्तर के सत्रांक निर्धारण का उल्लेख है। इनमें गैर प्रायोगिक विषय परीक्षाओं में बोर्ड की अंतिम परीक्षा के अंक के 20% तथा प्रायोगिक विषयों के लिए प्रायोगिक परीक्षा के अंक कम करने के बाद शेष अंक के 20% सत्रांक का प्रावधान है। जैसे हिन्दी में 100 में से 20 अंक आन्तरिक मूल्यांकन के तथा 80 अंक सैद्धान्तिक परीक्षा के निर्धारित है। बोर्ड के प्रासंगिक परिपत्र अनुसार इन सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन निम्नानुसार है :-

1. विद्यालय स्तर पर होने वाले तीन टेस्ट एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के कुल अंकों के 10% इस सत्रांक के रूप में सम्मिलित होते हैं, जो बोर्ड परीक्षा के कुल अंक के 10 प्रतिशत होंगे।
2. पाँच प्रतिशत अंक प्रोजेक्ट कार्य के होते हैं विषय अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी से पृथक-पृथक प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाता है।
3. तीन प्रतिशत अंक विद्यार्थी की उपस्थिति के होते हैं परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक न्यूनतम 75% से 80% उपस्थित रहने पर एक अंक 80% से अधिक 90% तक उपस्थित रहने पर दो अंक और 90 से अधिक 100% उपस्थिति के लिए पूरे तीन अंक दिए जाने का प्रावधान है।
4. इन सत्रांकों में दो प्रतिशत अंक व्यवहार एवं अनुशासन के होते हैं जो की विषय अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के सत्र पर्यन्त व्यवहार एवं अनुशासन के आधार पर दिए जाते हैं। अतः उक्तानुसार समस्त विद्यालयों द्वारा बोर्ड परीक्षा हेतु विद्यालय भिजवाए जाते हैं।

यद्यपि सत्रांको के लिए प्रत्येक परीक्षा, प्रोजेक्ट आदि की वस्तुनिष्ठता (Objectivity) स्पष्ट है, परंतु यह ध्यान में आया है कि व्यवहार रूप में सत्रांक की सत्यता एवं वस्तुनिष्ठता को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि विद्यार्थी के सत्रांक की तुलना में सैद्धान्तिक परीक्षा में कम प्रतिशत अंक आते हैं।

विद्यालय में सतत मूल्यांकन विद्यार्थी की नियमित अध्ययन के

प्रबोधन के लिए सत्रांक अत्यंत आवश्यक है। सत्रांक परख को विद्यालय स्तर पर गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्नांकित निर्देश। जारी किए जाते हैं :-

- संस्था प्रधान द्वारा हर परीक्षा व परख के बाद प्रत्येक विषय के 2% की उत्तर पुस्तिकाओं की मिलान एवं जाँच कर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उनके द्वारा यह सैंपल जाँच कर ली गई है।
- 3 वर्षों तक अर्द्धवार्षिक और परख की कॉपियों को सुरक्षित रखी जाए। जिसे उस जिले की डाइट स्टाफ द्वारा कभी भी जाकर जाँच किया जा सकता है।
- जिस प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक का प्रावधान है, उसी प्रकार सत्रांक के अंतिम अंग्रेषण से पूर्व संस्थाप्रधान द्वारा उसी पीईईओ परिक्षेत्र से एक अन्य शिक्षक से लगाए जाएं, जो अंकों का मिलान कर, विषयाध्यापक के साथ एक हस्ताक्षित प्रमाण पत्र दें कि परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के साथ बोर्ड को प्रेषित अंकों से मिलान कर लिया गया है। प्रमाण पत्र पर बाह्य परीक्षक, संस्था प्रधान एवं विषयाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे।

• ऐसे प्रकरण जहाँ तीनों परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत तथा बोर्ड परीक्षा के अंक प्रतिशत के मध्य 50 प्रतिशत से अधिक अन्तर होगा, वे संदिग्ध माने जाएंगे एवं संस्था प्रधान को उक्त का तार्किक कारण स्पष्ट करना होगा। कारण सही न होने पर विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी। जैसे कक्षा 10 के विज्ञान विषय में सत्रांक 9 अंक (तीनों परख एवं अर्द्धवार्षिक के कुल प्राप्तांक 91 के 10 प्रतिशत) अर्जित हुए यानी 10 में से 9 पूरे नब्बे प्रतिशत। वहीं दूसरी ओर सैद्धान्तिक परीक्षा में 80 में से 30 अंक यानि 38.75 प्रतिशत। सत्रांक में 90 प्रतिशत और सैद्धान्तिक में 38.75 प्रतिशत और दोनों में अन्तर 50 प्रतिशत से अधिक होने से यह प्रकरण जाँच योग्य बनेगा। इस प्रकार आंतरिक मूल्यांकन के तहत दिए जाने वाले सत्रांक का वस्तुनिष्ठ एवं व्यवहारिक बनाए रखने के लिए संस्था प्रधान..... पर जाने वाले अधिकारी भी जाँच कभी भी कर सकेंगे। मूल्यांकन के लिए सत्रांकों की सही प्रविष्टि का दायित्व शिक्षकों एवं संस्था प्रधान का है, जिसका निर्वहन आवश्यक है।

(आशीष मोदी) आइ.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

2. शिक्षक पूर्ण तैयारी व प्रभावी शिक्षण के साथ कक्षा-कक्ष विषय शिक्षण कराए।

- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर •क्रमांक:- शिविरा-माध्य / गुण. एवं प्रशि. अनुभाग/ गुण.प्र./गुणवत्ता/ 61186/2024-25 दिनांक: 19.02.2024 •परिपत्र
- समाज में शिक्षक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वे समाज आगामी पीढ़ी को तैयार करते हैं। अतः शिक्षक से अपेक्षा रहती है कि उनके द्वारा सिखाए जाने वाले विषय-वस्तु तथा सम्प्रत्यय की जानकारी अद्यतन हो, जिससे शिक्षक, विद्यार्थी की अध्ययन के दौरान उत्पन्न जिज्ञासाओं का समाधान कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक पूर्ण तैयारी व प्रभावी शिक्षण कार्ययोजना के साथ कक्षा-कक्ष विषय शिक्षण करावें।

सूचना तकनीकी के इस युग में विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है। सूचनाओं एवं ज्ञान का प्रवाह तीव्र एवं सहज हो गया है। इसलिए यह आवश्यक है, कि शिक्षक पाठ्यवस्तु एवं उसके उद्देश्य के संबंध में अद्यतन रहें। विषय-सामग्री (Content) के साथ-साथ अवधारणा (Concept) की व्यावहारिक तैयारी, शिक्षण-अध्ययन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की

जिज्ञासाओं व समस्याओं का समाधान करेगी तथा विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अधिक रोचक व सुगम्य बनेगा। विद्यार्थी, अध्ययन में सहज भागीदार बनेंगे। इससे विद्यार्थियों में स्वतन्त्र सोचने और सीखने की प्रवृत्ति (Independent thinking and learning tendency) विकसित हो सकेगी।

कक्षा-कक्षीय प्रतिफलों को और अधिक श्रेयकर बनाने एवं प्रभावी शिक्षण के लिए की जाने वाली पूर्व तैयारी में निम्नांकित बिन्दुओं को सम्मिलित किया जा सकता है -

1. शिक्षण की वार्षिक, मासिक एवं दैनिक शिक्षण योजना:- प्रत्येक शिक्षक अपनी दैनन्दिनी में पाठ्यक्रम के अनुसार वार्षिक, मासिक एवं दैनिक शिक्षण योजना बनाता है। प्रायः इसका आधार पाठ्यक्रम की पूर्णता के लिए समय प्रबंधन होता है। यदि यहाँ पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के साथ अवधारणा एवं लक्षित दक्षता की प्राप्ति को, समय प्रबंधन के मुख्य आधार में सम्मिलित कर लिया जाए, तो लक्षित अध्ययन की प्राप्ति सहज हो जाएगी।

2. संदर्भ स्रोत का प्रभावी उपयोग :- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु के संबंध में विभिन्न संदर्भ स्रोतों यथा वर्कबुक, संदर्भ पुस्तकों, संदर्भ आलेख, डिजिटल अध्ययन सामग्री आदि को अध्ययन में सम्मिलित कर शिक्षक, प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयास कर सकते हैं।

3. पाठ्य विषय-वस्तु को रोचक बनाना :- पाठ्य विषय-वस्तु को रोचक बनाने के लिए शिक्षक सहायक अध्ययन सामग्री के उपयोग को अपनी प्राथमिकता में सम्मिलित कर, अध्ययन में रोचकता ला सकते हैं। पाठ के विकास में गतिविधि को सम्मिलित करना तथा व्यावहारिक परिवेश के उदाहरण भी सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं।

4. व्यावहारिक एवं परिवेश के उदाहरणों के अधिगम को ग्राह्य बनाना:- व्यावहारिक/प्रेक्टिकल से अवधारणा की समझ विकसित करना आसान होता है। विद्यार्थी की भागीदारी से किया गया गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम को ग्राह्य बना सकेगा। उदाहरणार्थ विज्ञान लिए प्रायोगिक कार्यों में विद्यार्थियों की संलिप्तता, तकनीकी तथा, आई टी साधनों का उपयोग वैज्ञानिक / महापुरुषों पर बने चलचित्र आदि से विद्यार्थियों को विषय के साथ सहज संबंध किया जा सकता है। शिक्षक, इसके लिए न केवल पूर्व योजना बनाए वरन् पूर्व तैयारी भी करे। परिवेश के उदाहरणों से परिस्थिति का सृजन (डॉ. रीतिरंजित लीशरीश) कर भी, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाया जाना प्रभावी होता है, जिससे विद्यार्थियों को किताबों में विषयवस्तु का व्यावहारिक अनुप्रयोग भी समझ आ सके।

5. प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमताओं, आवश्यकताओं का आकलन:- कक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, न केवल अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक परिवेश से आते हैं साथ ही उनकी क्षमता, अभिव्यक्ति-कौशल, आवश्यकता की प्रकृति एवं मनोस्थिरता भी पृथक-पृथक होती है। अतः आवश्यक है, कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को निरपेक्षतः स्वाभाविक स्वरूप में स्वीकार करे तथा विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि वे भी शिक्षक को सहज स्वीकार करे। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य इस सहज मनो-स्वीकार्यता का साइको-सोशियल बॉन्ड बनाने के लिए की गई प्रारंभिक तैयारी, अध्ययन को आसान करेगी तथा शिक्षण के मध्य विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा उठाने के लिए सहज बनाएगी।

6. पाठ योजना के अनुरूप समय प्रबंधन:- यद्यपि कक्षा-क्रिया तात्कालिक कक्षा के परिवेश, विद्यार्थियों की भागीदारी और अध्ययन के

मध्य शिक्षण संक्रियाओं एवं उदाहरणों के अनुरूप ही समय होता है। शिक्षक, शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण हेतु प्रारम्भ की गई अवधारणा को पूर्णता या स्वाभाविक ठहराव प्रदान करें, जिससे आज के शिक्षण की, आने वाले नवीन कालांश के शिक्षण के साथ तारतम्यता बनी रहे।

7. सहायक शिक्षण सामग्री उपयोग :- शिक्षण योजना में उल्लेखित विषयवस्तु की आवश्यकता के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री यथा चार्ट, ग्लोब, चित्र, मानचित्र, नमूने की सामग्री अथवा डिजिटल सामग्री तैयार रखनी चाहिए। शिक्षक द्वारा स्वयं सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना और अधिक प्रभावी शिक्षण को प्रेरित करता है।

8. कक्षा-कार्य, ग्रहकार्य एवं आकलन संबंधी तैयारी :- विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति दायित्व बोध तथा अधिगम की निरन्तर प्रगति के ज्ञान की दृष्टि से गृहकार्य एवं कक्षा कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा के विकास में विद्यार्थी का अवधान बना रहने से, सीखने की प्रक्रिया सहज होती है। इसलिए विद्यार्थी को दिए गए, कक्षा-कार्य एवं गृहकार्य के प्रति शिक्षक की गंभीरता, उसे सीखने के लिए एक आकलन प्रदान करती है। अतः गृहकार्य एवं कक्षाकार्य की जाँच, पाठ के विकास की रूपरेखा बनाने की तैयारी शिक्षक द्वारा की जानी चाहिए।

9. उपलब्ध डिजिटल सामग्री का उपयोग:- विषय वस्तु की तैयारी के लिए उपलब्ध डिजिटल अध्ययन सामग्री की पहचान और चयन किया जाकर, उसका यथोचित उपयोग करना, फलदायक प्रतिफल देगा। जैसे- आईसीटी का उपयोग, इंटरनेट के माध्यम से संबद्ध सामग्री खोजना, श-कक्षा अथवा श-विद्या जैसे शैक्षिक पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल अध्ययन सामग्री उपयोग, किज करवाने के लिए निःशुल्क उपलब्ध विभिन्न वेबसाइट्स जैसे- मैन्टीमीटर, नियरपोड, काहूट इत्यादि का प्रयोग किया जाना इत्यादि।

10. कक्षा-कक्षीय पूर्व तैयारी में शिक्षक साथी की सहायता:- अपने समुदाय और साथी शिक्षकों से कंटेट डिलीवरी में सहायता और समर्थन प्राप्त करने से भी विद्यालय के माहोल में उत्साह की अभिवृद्धि होगी। साथ ही शिक्षक को विद्यालय के अन्य वरिष्ठ एवं अनुभवी साथियों के अनुभव एवं कौशल का सानिध्य भी मिलेगा। इसके लिए विद्यालय के शिक्षकों के मध्य औपचारिक एवं अनौपचारिक अकादमिक मंथन होना भी, शिक्षण प्रारंभ के पूर्व की जाने वाली तैयारी का भाग बन सकता है।

11. नियमित स्टॉफ मीटिंग :- कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली जटिलता को दूर करने तथा सामान्य कठिनाईयों के निवारण के लिए सभी शिक्षकों का दायित्व, कक्षा एवं विषय की सीमाएं लांघ कर होता है। शिक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाली, ऐसी विषमताओं का हल ढूंढने के लिए संस्था प्रधान को निर्धारित एवं आकस्मिक स्टॉफ मीटिंग करनी चाहिए। इन बैठकों में अधिगम की प्रगति की समीक्षा के साथ ही अध्ययन की उत्कृष्टता हेतु पूर्व तैयारी हेतु भी विमर्श कर शिक्षण हेतु सुझाव तैयार हो, जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण में हो सके।

उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त भी विद्यालय की परिस्थिति, विद्यालयों के स्तर, स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर भी शिक्षण पूर्व तैयारी हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि कक्षा प्रवेश से पूर्व शिक्षक द्वारा की गई तैयारी, निश्चित रूप से किसी भी कक्षा-कक्ष में कंटेट डिलीवरी के सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों को एक सकारात्मक, सुरक्षित एवं वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

(आशीष मोदी) आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

3. प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 हेतु दिशा-निर्देश।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक:-शिविरा /प्रारं / पंविप/प्राशिअमू /दिशानिर्देश/2023 दिनांक 09-01-2024 • पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर • वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) NIC, शिक्षा संकुल जयपुर। • निदेशक आर.एस.सी.आर.टी., उदयपुर • संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग • प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)समस्त • मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी समस्त, विषय:-प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 हेतु दिशा-निर्देशों के क्रम में। प्रसंग :- शासन का पत्र क्रमांक प. 17. (30) प्राशि/2017-03839 जयपुर, दिनांक 28.12.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदित पत्र के क्रम में लेख है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 के सुव्यवस्थित एवं सुचारू संचालन के क्रम में सामान्य दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।

उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न:-उपर्युक्तानुसार (दिशा-निर्देश)

(सीताराम जाट)आइ.ए.एस.

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)

विभाग, राजस्थान बीकानेर

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश

1. नाम (Name): प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2024 (Primary Education Learning Level Evaluation 2024)

2. मूल्यांकन के प्रतिभागी (Participants): राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/ संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मदरसों एवं अन्य समकक्ष विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर)। विशेष - उक्तानुसार वर्णित समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा।

3. पृष्ठभूमि व उद्देश्य :- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन प्रथम बार सत्र 2016-17 में हुआ। कक्षा 5 के विद्यार्थियों हेतु आयोज्य इस मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य है :- मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना। कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार करना।

शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर तदनुसार ही सुधार हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माँड्यूल डिजाइन कर लागू करना।

यह मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा / एस.ए-3 (सी.सी.ई विद्यालय) के स्थान पर आयोजित किया जाएगा। जिला स्तर पर इस मूल्यांकन का आयोजन, संचालन, परिबीक्षण एवं प्रबोधन सम्बन्धित डाइट्स के द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन पत्रक निर्माण, माँडरेशन एवं मुद्रण राज्य स्तर पर किया जायेगा। मूल्यांकन के सुव्यवस्थित नियोजन, आयोजन एवं संचालन के

लिए डाइट द्वारा जिला स्तर पर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। गत वर्ष तक आयोजित होते रहे उक्त मूल्यांकन के लिए पूर्व में विभिन्न अभिकरणों को सौंपे गए परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों एवं प्रक्रिया के स्थान पर वर्ष 2024 में आयोज्य मूल्यांकन हेतु नए सिरे से विभिन्न विभागों / संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व / कार्यों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

4. निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:- • परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना। • कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) के लिए पूर्व में गठित प्रकोष्ठ के अतिरिक्त परीक्षा के ऑनलाइन, प्रबोधन एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके। • परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना। • कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवंटन करना। • परीक्षा को लेकर बजटरी प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर का सहयोग करना। • पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के प्रस्ताव पर भौतिक एवं माननीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिए क्षेत्र से शिक्षकों/की ड्यूटी इत्यादि के निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।

निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी:- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2024 के लिए अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे। मूल्यांकन (परीक्षा) के संचालन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन के किसी भी स्तर का अवलोकन एवं समीक्षा कर सम्बन्धित को निर्देश जारी करने, आवश्यक पत्राचार करने एवं समुचित नियन्त्रण करने के लिए वे अधिकृत होंगे।

5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्व :- • मुख्य व पूरक परीक्षा हेतु दक्षता आधारित मूल्यांकन पत्रक (प्रश्न पत्र बुकलेट) निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, मूल्यांकन पत्रक निर्माणकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को सहयोग प्रदान करना।

• प्रश्न पत्र बुकलेट निर्माण, मोडरेशन सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित करना। • बैठकों, कार्यशालाओं, वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को यथा आवश्यकता सहयोग प्रदान करना।

6. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :-

• केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाइट्स के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों / संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर शत प्रतिशत प्रविष्टि करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना। • कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाना। निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर एवं RSCERT, उदयपुर के लॉगिन पर उक्त विद्यालयों

की सूची उपलब्ध करवाना। • कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित राजकीय विद्यालयों के लिए उक्त मूल्यांकन में समुचित प्रावधान करने हेतु स्पष्ट निर्देश, आवश्यकतानुसार RSCERT, उदयपुर एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्धित अधिकारियों एवं यथा आवश्यकता अन्य सम्बन्धित अधिकरणों के साथ मिलकर तैयार करना।

• SA-1, SA-2 के अंकों को समेकित करने के लिए तैयार Formula कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी राजकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

• विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्रा.शि./मा.शि. / डाइट्स / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं परीक्षा से सम्बन्धित अन्य अधिकरणों / संगठनों हेतु प्रसारित किए जाने वाले आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि अधिकृत वेब पोर्टल (education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

7. NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व:-

• मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त अधिकरणों / संगठनों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा (मूल्यांकन) की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।

• RSCERT, उदयपुर एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर द्वारा विनिर्दिष्ट समस्त प्रकार के ऑनलाइन कार्यों हेतु सहयोग प्रदान करना।

• निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि., निदेशक, RSCERT, उदयपुर व पंजीयक, समुचित विभागीय परीक्षाएँ द्वारा समय-समय पर की जाने वाली मांग के अनुसार समुचित सहयोग करना।

• आनलाइन आवेदक कराने, आवेदन पत्र में विद्यार्थी की श्रेणी और विद्यालय की श्रेणी मैपिंग नामांक जारी करने, प्रवेश पत्र जारी करने, सत्रांक फीडिंग करने मूल्यांकन की ऑनलाइन फीडिंग कराने, परिणाम जारी कर ग्रेड तालिका प्रमाण पत्र जारी कराने तथा टी. आर. तैयार कराने से सम्बन्धित समस्त कार्यों क्रियान्वित एवं नियंत्रित करना।

• मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त प्रकार के ऑनलाइन प्रपत्र तैयार कर जारी करना।

• पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से प्रत्येक डाइट को विद्यालय का श्रेणीवार (राजकीय / गैर राजकीय / संस्कृत राजकीय / संस्कृत निजी / मदरसा) सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवाना।

• पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से डाइट का परीक्षार्थियों की संख्या वर्गवार, लिंगवार (छात्र एवं छात्रा) सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवाना।

• आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करना।

8. कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व :-

• प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के आयोजन, संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन में एक समन्वयक अधिकरण के रूप में निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, RSCERT, NIC, शिक्षा संकुल जयपुर, डाइट्स एवं अन्य जिला कार्यालयों के मध्य पारस्परिक समन्वयन करना।

• यथा सम्भव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन (मुख्य व पूरक परीक्षा) करवाने, संग्रहण केन्द्रों का निर्धारण

करवाने, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षार्थी नामांक जारी करवाने, वीक्षको / परीक्षकों / मूल्यांकन कर्ताओं का निर्धारण/आवंटन करवाने, सत्रांक प्रविष्ट करवाने, मूल्यांकन करवाने, शाला दर्पण पर परीक्षकों / मूल्यांकनकर्ताओं के स्टाफ विंडो लॉगिन / मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन द्वारा प्रासांक प्रविष्टि करवाने, परीक्षा परिणाम तैयारी करवाने, परीक्षा परिणाम घोषणा करवाने, टी. आर. तैयार करवाने, ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र व क्रमोन्नत प्रमाण पत्र, जारी करवाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सम्बन्धित अधिकरणों / कार्यालयों में निरन्तर पारस्परिक समन्वयन स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं का नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।

• सम्बन्धित आदेश-निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in) व शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना। इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।

• प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 के प्रश्न पत्र बुकलेट (मूल्यांकन पत्रक) मुद्रण एवं वितरण करना

• परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।

• परीक्षा आयोजन के लिए आवश्यकतानुसार समिति निर्माण, नियन्त्रण कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लेना।

• राज्य स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर सूचना संकलन करना एवं तदनुसार प्रशासनिक नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।

• परीक्षा / मूल्यांकन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका तुरन्त नियमानुसार निराकरण करना अथवा आवश्यक होने पर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी, अति-निदेशक (प्रशासन), प्रा.शि. को अवगत कराते हुए उसका निस्तारण करवाना।

• मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय के शुल्क जमा होने पर विद्यार्थियों की समेकित सूची जारी करवाना।

• आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करवाना।

• मूल्यांकन (परीक्षा) कार्य हेतु डाइट को मेन विद मशीन हेतु बजट आवंटन करवाना। (अधिकतम 3 माह के लिए)

• प्रत्येक डाइट को विद्यालय का श्रेणीवार (राजकीय / गैर राजकीय / संस्कृत राजकीय / संस्कृत निजी / मदरसा) सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवाना।

9. शिक्षा विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व:- • संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने संभाग के समस्त जिलों पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर परीक्षा सम्बन्धी सूचना राज्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।

• मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाइट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश-निर्देश जारी करेंगे।

• जिला शिक्षा अधिकारी (मु.). माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य, डाइट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार आदेश जारी करेंगे।

10. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के कार्य एवं दायित्व :-

• प्रधानाचार्य, डाइट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन, संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबंधन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकारी, गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फ़ैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक, अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गए अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे। इसके अतिरिक्त प्राचार्य डाइट नवगठित 17 जिलों में परीक्षा संचालन संबंधी उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे।

• निदेशालय, प्रा. शि. बीकानेर, RSCERT, उदयपुर एवं कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के निर्देशानुसार परीक्षा (मूल्यांकन) से सम्बन्धित समस्त कार्यों में सक्रिय भूमिका अदा करना।

• प्रश्न पत्र बुकलेट एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण करना।

• परीक्षा के दौरान आवश्यकतानुसार उड़न दस्तों का गठन (अधिकतम चार) कर परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। • परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षकों / मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण / मैपिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा) से सहयोग प्राप्त करना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उक्त कार्य करवाना।

• जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन कर समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।

• जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण / मैपिंग सी.बी.ई.ओ. के माध्यम करवाना एवं मॉनिटरिंग करना।

• सी.बी.ई.ओ. के माध्यम से तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी करना।

• परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।

• परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ग्रेड तालिका सह प्रमाण-पत्र सी.बी.ई.ओ. के माध्यम से विद्यालयों को वितरित करना।

• परीक्षा परिणाम जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करना।

• जारी ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने अथवा त्रुटिपूर्ण स्थिति में परीक्षार्थी एवं संस्था प्रधान के लिखित आग्रह पर कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा / प्राशि / पंविप/5-8/विधि/2022 दिनांक : 29/03/2023 में प्रदत्त

निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति सशुल्क (100₹) जारी करना।

• समय-समय पर निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर एवं कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

मूल्यांकन व्यवस्था एवं परीक्षा आयोजन हेतु मूल्यांकन संग्रह.....के केन्द्राधीक्षकों हेतु यथा आवश्यक दिशा निदेश जारी करना एवं.....।

11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

• ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे।

• मूल्यांकन (परीक्षा) के राज्य स्तरीय अधिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाइट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।

• ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना। • संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों / परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग / निर्धारण कर सूचना डाइट को प्रेषित करना। • संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु) • प्राप्त प्रश्न पत्र बुकलेट एवं अन्य परीक्षा संबंधी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों / परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने/चौकी पर सुरक्षित रखवाना।

• मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल चेकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैंपल चेकिंग करवाना। • पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./केन्द्राधीक्षक जो कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना। • परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र / पी.ई.ई.ओ./ यू.सी.ई.ई.ओ./ केन्द्राधीक्षक के माध्यम से करना। • अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र बुकलेट को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक/पी.ई.ई.ओ./ यू.सी.ई.ई.ओ. के माध्यम से सुनिश्चित करना। • ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 सेल का गठन किया जाएगा जो वर्ष पर्यन्त परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी।

• परीक्षा के दिन अपने परिक्षेत्र में केन्द्राधीक्षकों द्वारा सीलबद्ध प्रश्न पत्र बुकलेट पैकेट को पुलिस थाने से सुरक्षित परीक्षा केन्द्र तक लाने की समस्त

प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए रिकार्ड संधारित करवाना।

12. मूल्यांकन (परीक्षा) के लिए समितियों का गठन:-

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 के सफल संचालन एवं नियंत्रण हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का निम्नानुसार गठन किया जाएगा

परीक्षा संचालन समिति (33 जिला व्यवस्थानुसार)

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्रधानाचार्य डाइट	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. (मनोनीत-1)	सदस्य
7.	प्रमारी अधिकारी, कक्षा 5 परीक्षा, डाइट	सदस्य
8.	सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार (मनोनीत)	सदस्य

• नवीन जिला व्यवस्था में ऐसे नवीन 17 जिले जो पूर्व जिले से अलग/विभक्त होकर बने हैं, उसके लिए पूर्व (मूल जिला) जिले के प्राचार्य डाइट द्वारा उक्त परीक्षा संबंधी समस्त कार्य हेतु डाइट में पदस्थापित वरिष्ठ व्याख्याता को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वरिष्ठ व्याख्याता नवीन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय) से समन्वय स्थापित कर परीक्षा के सफल संचालन हेतु कार्य करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय) नवीन जिला आवश्यकतानुसार परीक्षा संबंधी आवश्यक आदेश जारी करने हेतु अधिकृत होंगे। नवीन जिलों हेतु जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति निम्नानुसार रहेगी-

परीक्षा संचालन समिति (17 नवगठित जिला व्यवस्थानुसार)

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ व्याख्याता डाइट एवं प्राधिकृत अधिकारी, (मूल जिला डाइट)	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
4.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम (जिला मुख्यालय)	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. (मनोनीत-1)	सदस्य
7.	प्रमारी अधिकारी, कक्षा 5 परीक्षा, डाइट (मूल जिला)	सदस्य
8.	सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार (मनोनीत)	सदस्य

• उक्त नवीन जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति परीक्षा संबंधित प्राप्त परिवेदनाओं को मूल जिला समिति को आवश्यकतानुसार अग्रेषित कर सकेगी।

• इस समिति की बैठक सत्र में दो बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावे। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी की जा सकती हैं।

• परीक्षा आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं के लिए डाइट द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का अनुमोदन करवा लिया जावे।

• प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5) 2024 की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति' का गठन किया जावे।

• इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाइट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।)

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक (CBEO द्वारा चयनित-1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्थाप्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्थाप्रधान, रा.उ.मा.वि. (जि.शि.अ.मु.प्रा.शि.द्वारा मनोनीत-2)	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

13. प्रवेश योग्यताएं एवं क्षेत्राधिकार:- किसी भी राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन में भाग लेंगे। संस्थाप्रधान का यह दायित्व होगा कि अपने विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु ऑन लाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

14. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण:- • परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण इस तरह से किया जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केन्द्र निर्धारित हो उसकी दूरी सम्बन्धित विद्यालय से 4 कि.मी. से अधिक ना हो। यदि किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा उपरान्त जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। • अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, यथासम्भव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जावे, जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं।

15. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र:- • प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केन्द्र होगा, उसी को मूल्यांकन केन्द्र भी माना जायेगा। • संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या एवं केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम ना हो।

16. आवेदन एवं मूल्यांकन (परीक्षा) व्यवस्था शुल्क:- • मूल्यांकन व्यवस्था शुल्क:- कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान, के पत्रांक : शिविरा /प्रा शि/पंविप/प्रा.शि.पू.प/दिशा निर्देश/2022 दिनांक:-14/01/2023 के सन्दर्भ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानानुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा किन्तु मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों से प्रति परीक्षार्थी 50/- रुपये की दर से राशि ली जाएगी। उक्त राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जायेगी बल्कि मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय इसे वहन करेंगे। उक्त राशि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा अध्यक्ष, डाइट विकास एवं प्रबन्धन समिति को जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रेषित की जावेगी। • मूल्यांकन व्यवस्था:- मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र से अधिकतम 15 कि.मी. की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

17. मूल्यांकन पत्रको की जाँच व्यवस्था:- • मूल्यांकन कार्य हेतु DIET/ जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय). प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे। • ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक की देखरेख में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) 2024 के प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन कार्य करवाया जाएगा एवं मूल्यांकन कर्ता प्रासांक अपने स्टाफ लोगिन एवं पासवर्ड से सीधे पोर्टल पर अपलोड करेगा।

18. ग्रेडिंग स्केल :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिका अधिनियम 2019 (संशोधित) 15 सितम्बर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक मे वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान मे कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा-5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा-

स्केल	81-100	61-80	41-60	33-40	0-32
ग्रेड	A	B	C	D	E

• ग्रेड (ई) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूरक परीक्षा देनी होगी। • पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15.09.2020 के अनुसार आगामी कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा। • कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / गुण व प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2023-24 दिनांक 05.08.2023 एवं 06/10/2023 की अनुपालना में कक्षा 5 के लिए मूल्यांकन हेतु दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे। • 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं।

19. सत्रांक निर्धारण :- i. CCE संचालित विद्यालय एवं अन्य विद्यालय (राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत आकलन नहीं होने वाले) में सत्रांक निर्धारण:- सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा

1. उपस्थिति के लिए 5 अंक
2. एस.ए.-1 एस. ए.-2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण तथा अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक (प्रपत्र 2 अ में दी गयी तालिका के अनुसार)
- किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 5 पाइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ऑवर ऑल ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें सी.जी.पी.ए. का प्रावधान नहीं होगा। • आर.टी.ई. एकट के प्रावधानानुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंको का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।

- 86 से 100 तक - 5 अंक
- 76 से 85 तक - 4 अंक
- 71 से 75 तक 3 अंक
- 60 से 70 तक 2 अंक (केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्था प्रधान

द्वारा उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो)।

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय)

अंकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया	प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि	व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां	विषय
अधिगम क्षेत्र	लिखित आकलन (SA-1, SA-2) के फोर फोल्डो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	सर्वयोग
अंक	10	10	10	100
नाम				
छात्र/छात्रा				

इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए एवं इसकी सहायता से सत्रांक ऑनलाइन फिडिंग की जाए।

• राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा / माध्य/गुण व प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2023-24 दिनांक 05.08.2023 एवं 06/10/2023 की अनुपालना में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जहाँ RKSMBK के अन्तर्गत आकलन लिया जा रहा है। सत्रांक निर्धारण का फॉर्मूला प्रपत्र 2 ब के अनुसार रहेगा

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय)

अंकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया	प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि	व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां	विषय
अधिगम क्षेत्र	लिखित आकलन (SA-1, SA-2) के फोल्डो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	सर्वयोग
अंक	10	5	10	100
नाम				
छात्र/छात्रा				

नोट :- हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2-अ के अनुसार होगा।

विद्यालय स्तर पर सत्रांक निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं।

• शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया : विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन (एस.ए. -1. एस.ए.-2) पोर्टफोलियो स्थिति, चेकलिस्ट अंकन, RKSMBK आकलन 1 व 2 के अंक तथा टिप्पणियों के आधार पर। • प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता व समयबद्धता, वर्तनी उच्चारण एवं लिखावट सुधार के आधार पर। • व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ व्यक्तिगत गुण व अभिवृत्तियों, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता, नो बेग डे गतिविधियां आदि

विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर। • परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में:- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने एवं संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों की पालना की जाएगी।

20. अन्य दिशा-निर्देश:- • प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2024 जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35 तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राजपत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।

• केवल नियमित विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन (परीक्षा) में बैठ सकेंगे। स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। • भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे। प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में होंगे। जिसमें दिए गए स्थान पर परीक्षार्थियों को उत्तर लिखना होगा। • श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक पक्षाघात ग्रस्त, सेरेब्रल पैल्सी, मानसिक विमन्दता (एम. आर) एवं ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थियों को निर्धारित समयावधि से 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। • दृष्टिहीन (Blind). हाथ से निःशक्त व लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर विद्यार्थी को भी 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इन विद्यार्थियों को श्रुतलेखक (Writer) भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। ऐसा श्रुतलेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुतलेखक की अनुज्ञा/अनुमति केन्द्राधीक्षक द्वारा जारी की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पृथक से बैठक व्यवस्था की जाएगी।

• निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) में मुख्य चार विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन) के अध्ययन का प्रावधान है सामान्य विद्यालयों में इन्हीं विषयों का अध्यापन कार्य संपादित होता है। विशेष भाषा विद्यालयों के अतिरिक्त विषय (उर्दू, संस्कृत, सिंधी) का अध्यापन निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 हेतु मुख्य परीक्षा मूल्यांकन में मुख्य चार विषयों के अंक निर्धारक / ग्रेड निर्धारण का प्रावधान किया जाता है। विशेष/अतिरिक्त विषय के अंक/ग्रेड निर्धारक विद्यालय स्तर से किया जाना है। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव की तरह अतिरिक्त विषय की अंक प्रविष्टि (100 अंक में से) विद्यालय स्तर से प्रावधान किया जाना है। • कला शिक्षा कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइंट स्केल आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। • प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-

5), 2024 मूल्यांकन / पूरक (परीक्षा) के परिणाम की घोषणा उपरान्त पुर्नगणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाइट द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

• प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 / पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट जाँच कार्य करने वाले परीक्षक को 3 रु/काँपी देय प्रस्तावित है। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद - 42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा। • डाइट जि.शि.अ. (मु.) प्रा.शि. / मा.शि. मु.ब्लॉक शि.अ. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ एवं आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर के कार्यालयों में परीक्षा एवं प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालयों में भी नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। • सानुग्रह अंक - न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान मुख्य परीक्षा में ही होगा। • प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2024 के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी आवश्यक है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जाए :-

1. प्रश्न पत्र बुकलेट प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में यदि थाना परीक्षा केन्द्र के नजदीक ना हो तो नजदीक की पुलिस चौकी में और यदि पुलिस चौकी भी नजदीक न हो तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ विद्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में प्रश्न पत्र बुकलेट रखने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की इयूटी लगाकर प्रश्न पत्र बुकलेट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे।

2. प्रश्न पत्र बुकलेट्स के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरती जाए।

3. प्रश्न पत्र बुकलेट्स का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया जाए। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र बुकलेट के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने दिये जाए।

• प्रश्न पत्र बुकलेट पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.30 घण्टे होगा।

• उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जाएगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जाएंगे।

(सीताराम जाट) आइ.ए.एस.
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)
विभाग, राजस्थान बीकानेर

4. प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) 2024 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक:-शिविरा /प्रारं/पंविप/5वीं 8वीं/दिशा-निर्देश/2023 दिनांक 09.01.2024 • पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर • वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) NIC, शिक्षा संकुल जयपुर। • निदेशक आर.एस.सी.आर.टी., उदयपुर • संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग • प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) समस्त • मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त • विषय :- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा 8), 2024 हेतु दिशा-निर्देशों के क्रम में • प्रसंग :- शासन का पत्र क्रमांक प.17. (30) प्राशि /2017-03839 जयपुर, दिनांक 09.01.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा-8) परीक्षा, 2024 के सुव्यवस्थित एवं सुचारू संचालन के क्रम में सामान्य दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न:- उपर्युक्तानुसार (दिशा-निर्देश)

(सीताराम जाट)आइ.ए.एस.

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान बीकानेर

प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) 2024 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश सत्र 2015-16 से कक्षा 8 की परीक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तर्ज पर 'प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। यह परीक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 30 (2) के तहत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आधार मूल्यांकन प्रणाली रही है। दिनांक 29.09.2015 को शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में उक्त परीक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक. प.17 (30)/2017 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 से आयोज्य परीक्षा हेतु नए सिरे से विभिन्न विभागों /संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व / कार्य हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:- i. परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।

ii. कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) के लिए गठित प्रकोष्ठ हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन,

नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।

iii. परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।

iv. आवश्यकतानुसार पारम्परिक मर्दों हेतु कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर समस्त डाइट से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवण्टन करना।

v. परीक्षा को लेकर बजटरी प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार नोडल एजेन्सी का सहयोग करने के लिए निर्देशित करना।

vi. नोडल एजेन्सी के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिए क्षेत्र से शिक्षकों / कार्मिकों की ड्यूटी इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।

2. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्व:-

i. परीक्षा हेतु सभी विषयों के दक्षता आधारित मॉडल पेपर (द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में भाषायी विषयों के अतिरिक्त) तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करना तथा विभिन्न विभागीय सोशल मीडिया ग्रुप पर प्रचारित करना।

ii. परीक्षा हेतु दक्षता आधारित (Competency Based) प्रश्न-पत्र बुकलेट निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, प्रश्न पत्र निर्माण-कर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में नोडल एजेन्सी को सहयोग प्रदान करना।

iii. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा एवं आरक्षित हेतु सभी विषयों के तीन सेट दक्षता आधारित प्रश्न-पत्र बुकलेट द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में (भाषायी विषयों के अतिरिक्त) का निर्माण करना।

iv. आवश्यकतानुसार वर्तमान सत्र में चल रही कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों के सेट (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) नोडल एजेन्सी अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय / संस्था / संगठन को उपलब्ध करवाना।

v. बैठकों, कार्यशालाओं, वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए नोडल एजेन्सी को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।

vi. नोडल एजेन्सी की मांग पर परीक्षा सम्बन्धी चाहे गए समस्त अकादमिक कार्यों में सहयोग देना।

3. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषदब, जयपुर के कार्य एवं दायित्व:-

i. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाइस डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों / संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल/पी.एस.पी. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पूर्व शत प्रतिशत प्रविष्टि / संशोधन करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना।

ii. कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पूर्व तक शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाना। निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर एवं RSCERT, उदयपुर के लॉगिन पर उक्त विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाना।

iii. कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित विद्यालयों में SA-3 के स्थान पर आयोजित होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश आवश्यकतानुसार RSCERT उदयपुर, एवं एस. आई. क्यू. ई. अनुभाग, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के साथ मिलकर तैयार करना।

iv. SA-1, SA-2, के अंको को समेकित करने का तैयार Formula कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों एवं शिक्षण-प्रशिक्षणों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

v. विद्यालयों / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्राशि / मा.शि. / डाइट / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हेतु प्रसारित किए जाने वाले आदेश / सामग्री इत्यादि अधिकृत वेबपोर्टल (www.education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

4. NIC शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :-

i. परीक्षा की नोडल एजेन्सी (पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर) को तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं को तथा यथा आवश्यकता नोडल एजेन्सी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।

ii. परीक्षार्थियों के शाला दर्पण/पी.एस.पी. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाना।

iii. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संशोधन करने / निरस्त कर नए आवेदन करने की सुविधा सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर करना।

iv. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदनों की समेकित सूची छात्र और छात्रा वार तैयार करने हेतु तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध करना।

v. परीक्षा केन्द्रों की मैपिंग का मॉड्यूल सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।

vi. संग्रहण केन्द्रों की मैपिंग का मॉड्यूल सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।

vii. परीक्षा केन्द्र आवंटन करना एवं तदनुसार रोल लिस्ट परीक्षा केन्द्र / विद्यालय पर जारी करवाना।

viii. प्रवेश पत्र (रोल नम्बर) विद्यालय लॉगिन पर जारी करना।

ix. आंतरिक मूल्यांकन प्रविष्टि (सत्रांक मॉड्यूल) की सुविधा विद्यालय लॉगिन पर प्रदान करना।

x. परीक्षा संबंधी समस्त प्रपत्र परीक्षा केन्द्रों के लॉगिन पर उपलब्ध करवाना

xi. परीक्षकों की मैपिंग का मॉड्यूल सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर प्रारंभ करवाना।

xii. संग्रहण / मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन पर प्रासांक प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करना।

xiii. विभागीय नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी करवाना तथा इंटरनेट अंक तालिका जारी करना।

xiv. टी. आर. (टेबुलेशन रजिस्टर) विद्यालय वार उपलब्ध करवाना।

xv. डाइट लॉगिन पर प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका प्रदर्शित करना।

xvi. निदेशालय, आरएससीआईआरटी उदयपुर व पंजीयक स्तर से समय-समय

पर जारी निर्देशों की पालना करना।

xvii. मुख्य परीक्षा आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल अद्यतन करना।

xviii. पूरक परीक्षा / पुनर्गणना के आवेदन ऑनलाइन करवाना।

5. कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-

i. समस्त छः विषयों अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती) के प्रश्न पत्र बुकलेट, पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट एवं वैकल्पिक प्रश्न पत्र बुकलेट का राज्य स्तर पर मुद्रण करवा कर समस्त डाइट को वितरित करवाना।

ii. विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाए रखते हुए परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन, सफल आयोजन तथा प्रश्न पत्र बुकलेट की सुरक्षा के लिए अधीनस्थ कार्यालयों एवं परीक्षा केन्द्रों को निर्देश जारी कराना।

iii. यथा संभव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम (शाला दर्पण) से विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करना केन्द्रों का निर्धारण, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाना, परीक्षा नामांक जारी करवाना, वीक्षकों/परीक्षकों / मूल्यांकन कर्ताओं का निर्धारण / आवंटन करवाना, सत्रांक प्रविष्टि करवाना, मूल्यांकन करवाना, मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन द्वारा प्रासांक प्रविष्टि करवाना, परीक्षा परिणाम तैयार करवाना, परीक्षा परिणाम की घोषणा करवाना, टीआर (टेबुलेशन रजिस्टर) तैयार करवाना, प्रमाण पत्र जारी करना, पुनर्गणना के आवेदन लेना, पुनर्गणना करवाकर परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रमाण पत्र जारी करवाना, परीक्षा से सम्बंधित अन्य प्रपत्र तैयार करवाना एवं परीक्षा के सफल संचालन हेतु अन्य कार्य करवाना।

iv. सम्बंधित आदेश निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in) एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।

v. परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।

vi. परीक्षा आयोजन के लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर द्वारा बतौर नोडल एजेन्सी यथा आवश्यकता समिति निर्माण, नियन्त्रण कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकेंगे।

vii. परीक्षा के दौरान दो राज्य स्तरीय उड़न दस्तों का गठन कर, परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।

viii. परीक्षा कार्य हेतु मेन विद मशीन के लिए डाइट को बजट उपलब्ध करवाना। (अधिकतम तीन माह हेतु)

6. शिक्षा विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व :-

i. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने संभाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर प्रतिदिन परीक्षा संबंधित सूचनाएँ राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवाएंगे।

ii. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी

(प्रधानाचार्य डाइट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश / निर्देश जारी करेंगे।

iii. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य डाइट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यथा आवश्यकता आदेश जारी करेंगे।

7. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के कार्य एवं दायित्व :-

I. प्रधानाचार्य डाइट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य प्रभारी अधिकारी गठित समिति एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैकल्टी सदस्य गैर शैक्षणिक अधिकृत एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गए अपने कार्यों के लिए सामुहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे। इसके अतिरिक्त प्राचार्य डाइट जिलों में परीक्षा संचालन संबंधी उन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन भी करें।

ii. राज्य नोडल एजेन्सी (पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।

iii. प्रश्न पत्र बुकलेट के सीलबन्द लिफाफों एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का विश्वसनीयता एवं गोपनीयता रखते हुए संग्रहण, संकलन एवं वितरण करना।

iv. परीक्षा के दौरान चार उड़न दस्तों का गठन कर, परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।

v. परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षकों / मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण / मैपिंग की मॉनीटरिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।

vi. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।

vii. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण / मैपिंग करवाना।

viii. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार पैनाल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।

ix. परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।

X. परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ग्रेड तालिका सह प्रमाण-पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों को वितरित करना।

xi. परीक्षा परिणाम जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य ऑनलाइन सम्पादित करना।

xii. जारी ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र के खो जाने / गुम हो जाने, क्षति ग्रस्त होने / कट-फट जाने / नष्ट हो जाने एवं त्रुटिपूर्ण स्थिति में परीक्षार्थी एवं संस्था प्रधान के लिखित आग्रह पर कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रा शि/पंविप/5-8/विविध/2022 दिनांक: 29/03/2023 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति सशुल्क (100₹) जारी करना।

xiii. समय-समय पर नोडल एजेन्सी द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों की पालना

सुनिश्चित करना।

8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

i. ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे।

ii. परीक्षा के राज्य स्तरीय अधिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाइट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।

iii. ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।

iv. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों / परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग / निर्धारण कर सूचना डाइट को प्रेषित करना।

v. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु)

vi. प्राप्त प्रश्न पत्र बुकलेट एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने / चौकी पर सुरक्षित रखवाना।

vii. मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैपल चेकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना प्रत्येक मूल मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैपल चेकिंग करवाना।

viii. पी.ई.ई.ओ. / यू.सी.ई.ई.ओ. / केन्द्राधीक्षक जो कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।

ix. परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/पी.ई.ई.ओ. / यू.सी.ई.ई.ओ. / केन्द्राधीक्षक के माध्यम से करना।

x. अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र बुकलेट को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित पी.ई.ई.ओ. / यू.सी.ई.ई.ओ. / केन्द्राधीक्षक के माध्यम से सुनिश्चित करना।

xi. ब्लॉक स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) सेल का गठन किया जावे। जिसके अधीन ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी।

xii. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा के प्रश्न पत्र बुकलेट की जाँच हेतु परीक्षकों की विषयवार की मैपिंग करवाना।

xiii. परीक्षा संबंधित आवश्यक कार्य हेतु शिक्षकों को संस्था प्रधान के माध्यम से कार्य मुक्त करवाना।

9. ग्रेडिंग स्केल :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2019 (संशोधित 15 सितम्बर, 2020) के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रेडिंग स्केल निम्ननुसार हैं।

स्केल	81-100	61-80	41-60	33-40	0-32
ग्रेड	A	B	C	D	E

• ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जावेगा।

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/गुण व प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2023-24 दिनांक 05.08.2023 एवं 06.10.2023 की अनुपालना में कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2024 में दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे। • 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं।

10. सत्रांक निर्धारण :-

i. CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण:- CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक SA-1, SA-2, अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि के लिए निम्नांकित प्रपत्र 2 अ के अनुसार निर्धारित होंगे।

उपस्थिति के अंक निम्नानुसार निर्धारित होंगे :-

65 से 75 प्रतिशत उपस्थिति - 3 अंक

76 से 85 प्रतिशत उपस्थिति - 4 अंक

86 से 100 प्रतिशत उपस्थिति - 5 अंक

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय)

क्र. सं.	नाम छात्र/छात्रा	विषय										योग सत्रांक		
		अकलन क्षेत्र	विषय	अधिगम	एवं	कक्षा	प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि	व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ	विषय	विषय	विषय		विषय	
अंक		10	10	10	20	10	10	10	10	10	100	15	5	20
नाम छात्र/छात्रा														

ii. राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक :

शिविरा / माध्य / गुण व प्रशि अनु/गुण प्र/RKSMBK/61186/2023-24 दिनांक 05.08.2023 एवं 06/10/2023 की अनुपालना में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय जहाँ RKSMBK के अन्तर्गत आकलन लिया जा रहा है। सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब के अनुसार रहेगा।

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 ब

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय)

क्र. सं.	नाम छात्र/छात्रा	RKSMBK - 1 (3 Subject) अंक	RKSMBK - 2/ अर्द्धवार्षिक परीक्षा (3 Subject) अंक	प्रथम परख	द्वितीय परख	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
1		15	15+80	10	10	100	15	5	20

नोट :- हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2-स के अनुसार होगा।

अन्य विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण:- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु एवं 80 अंक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित है। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परख, द्वितीय परख, अर्द्धवार्षिक परीक्षा, नो बैग डे गतिविधियों के लिए प्रपत्र 2 स के अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे।

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 स

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु (विषय)

क्र. सं.	नाम छात्र/छात्रा	प्रथम परख	द्वितीय परख	अर्द्धवार्षिक परीक्षा अंक	नो बैग डे गतिविधियाँ	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक	उपस्थिति	योग सत्रांक
		10	10	70	10	100	15	5	20
1									

11. सामान्य दिशा-निर्देश :-

• इस परीक्षा का नाम प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2024 (Elementary Education Completion Certificate Examination, 2024) होगा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राज पत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।

• केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों का यह दायित्व होगा कि वे इस परीक्षा हेतु अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाएँ। कक्षा आठ के लिए यह दक्षता आधारित वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जाएगी।

• दृष्टिहीन एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए इस दक्षता आधारित इस वार्षिक परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा, ऐसे परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधा / शिथिलता उपलब्ध करवाने हेतु जारी प्रपत्र 33 अनुसार लाभ दिया जायेगा। दृष्टिहीन एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए इस दक्षता आधारित इस वार्षिक परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा, ऐसे परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधा / शिथिलता उपलब्ध करवाने हेतु जारी प्रपत्र 33 अनुसार लाभ दिया जाएगा।

• राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त उर्दू सिन्धी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु

ऐसे विद्यार्थियों के लिए भाषा विषय के प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त शेष विषय (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित) के प्रश्न पत्र सम्बन्धित माध्यम में प्रदान किए जाएंगे। • **उपस्थिति एवं उसकी गणना** : कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है। संस्था प्रधानों द्वारा विद्यार्थियों की रूग्णता अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों के आधार पर विवेकानुसार उपस्थिति में दस प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है। • परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। • मूल 6 विषयों का दक्षता आधारित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइन्ट स्केल पर आधारित ग्रेड दी जाएगी।

• **सानुग्रह अंक** - चूंकि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) के तहत वर्तमान में कक्षा की परीक्षा में वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्णक से कम अंक प्राप्त वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया गया एक विषय में अधिक से अधिक अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2 प्रतिशत अंक सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगी।

• पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल डाइट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकती है। शाला दर्पण पोर्टल पर पुनर्गणना हेतु आवेदन किया जा सकता है। जिसके लिए डाइट द्वारा ₹ 100/- प्रति विषय की दर से पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा। समस्त डाइटमें पुनर्गणना सम्बन्धी व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाए -

1. **पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि** :- परीक्षा परिणाम घोषणा से 09 दिवस के भीतर।

2. डाइट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य सम्पादन हेतु समयवधि :- आवेदन की अन्तिम तिथि से 10 दिवस के भीतर।

3. पुनर्गणना पश्चात् ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र वितरण :- पुनर्गणना कार्यवाही सम्पादन की अन्तिम तिथि से 07 दिवस के भीतर।

• निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण कराना है, अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

• प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक

विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती) विषयों के प्रश्न पत्र होंगे।

• प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2024 के सफल आयोजन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाना है।

क्र.सं.	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, सम्बन्धित संभाग	मुख्य पर्यवेक्षक
2.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जिला	जिला पर्यवेक्षक
3.	प्रधानाचार्य, डाइट, सम्बन्धित जिला	अध्यक्ष
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सम्बन्धित जिला	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, सम्बन्धित जिला	सदस्य
6.	सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक सम्बन्धित संभाग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित डाइट	सदस्य सचिव
8.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जिला	सदस्य

• नवीन जिला व्यवस्था में ऐसे नवीन 17 जिले जो पूर्व जिले से अलग / विभक्त होकर बने हैं, उसके लिए पूर्व (मूल जिला) जिले के प्राचार्य डाइट द्वारा उक्त परीक्षा संबंधी समस्त कार्य हेतु डाइट में पदस्थापित वरिष्ठ व्याख्याता को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वरिष्ठ व्याख्याता नवीन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय) से समन्वय स्थापित कर परीक्षा के सफल संचालन हेतु कार्य करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय) नवीन जिला आवश्यकतानुसार परीक्षा संबंधी आवश्यक आदेश जारी करने हेतु अधिकृत होंगे। नवीन जिलों हेतु जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति निम्नानुसार रहेगी-

17 नवीन जिलों हेतु परीक्षा संचालन समिति

क्र.सं.	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, सम्बन्धित संभाग	मुख्य पर्यवेक्षक
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक	जिला पर्यवेक्षक
3.	प्रधानाचार्य, डाइट, मूल जिला	अध्यक्ष
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, सम्बन्धित जिला	सदस्य
5.	वरिष्ठ व्याख्याता डाइट एवं प्राधिकृत अधिकारी, (मूल जिला डाइट)	सदस्य सचिव
6.	सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक सम्बन्धित संभाग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी अधिकारी, मूल जिला डाइट	सदस्य
8.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मूल जिला	सदस्य

• उक्त नवीन जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति परीक्षा संबंधित प्राप्त परिवेद को मूल जिला समिति को आवश्यकतानुसार अग्रेषित कर सकती है।

• जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की देखरेख में समस्त कार्य सम्पादित किए जाएंगे।

• प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2024 (कक्षा-8) की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जावे।

• इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाइट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।)

ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.सं.	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक (CBEO द्वारा चयनित-1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्था प्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्था प्रधान, रा.उ.प्रा.वि. (जि.शि.अ.मु.प्रा.शि. द्वारा मनोनीत-2)	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

• प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अपनी टीम के साथ परीक्षा के प्रत्येक चरण के नियमबद्ध, समयबद्ध, सुव्यवस्थित व सुचारु संचालन के लिए अधिकृत तथा उत्तरदायी अधिकारी होंगे।

सदस्य

• जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों के पैकेट की प्राप्ति व जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य डाइट द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

• कला शिक्षा कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तीनों विषयों की

विद्यालय स्तर पर सम्पादित गतिविधियों का मूल्यांकन कर शाला दर्पण / पी. एस.पी पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन द्वारा इनके मूल्यांकन प्रपत्रों की नियमानुसार प्रविष्टि की जावेगी।

• प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी आवश्यक है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जाए :-

1. प्रश्न पत्र बुकलेट प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में यदि थाना परीक्षा केन्द्र के नजदीक ना हो तो नजदीक की पुलिस चौकी में और यदि पुलिस चौकी भी नजदीक न हो तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ विद्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में प्रश्न पत्र रखने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की इयूटी लगाकर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे।

2. प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरती जावे।

3. प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया जाए। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र बुकलेट के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने दिये जाए।

• समस्त प्रधानाचार्य, डाइट अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0 एवं मा0 (मुख्यालय), से समन्वय स्थापित कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विषयवार परीक्षकों का शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन पैनल तैयार करेंगे। पैनल के विषय अध्ययपको से ही सम्बन्धित विषय की प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन करवाया जावे।

• प्रधानाचार्य, डाइट विषयवार परीक्षकों का पैनल सम्बन्धित इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना को गम्भीरता से लिया जाए। आदेशों अवहेलना की स्थिति में सक्षम स्तर पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाया जाए।

• परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात प्रश्न पत्र बुकलेट सुरक्षित रूप से निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाई जाए।

• प्रधानाचार्य डाइट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0 एवं मा0 (मुख्यालय). जिले को क्षेत्रवार वर्गीकृत कर परीक्षा के पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन का उत्तरदायित्व वहन करेंगे। संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा प्रतिदिन सांयकाल अपने संभाग की परीक्षा सूचना कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर के नियन्त्रक को देंगे।

• जिला अन्तर्गत एक ब्लॉक की प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन दूसरे ब्लॉक के मूल्यांकन केन्द्र से करवाया जाये। उक्तानुसार गोपनीयता के के लिए लिए पूर्ण सावधानी बरती जाए।

• प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन कार्य हेतु निकटतम स्थानों पर कार्यरत परीक्षकों को ही लगाया जाकर उनसे निर्धारित अवधि में मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया जाए।

• मूल्यांकन पश्चात सभी मूल्यांकन केन्द्रों से एकत्रित प्रश्न पत्र बुकलेट डाइट में संकलित कर आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जायेंगी। विवादित प्रश्न पत्र बुकलेट को सुरक्षित रखा जाए। विवादित प्रश्न पत्र बुकलेट की नीलामी नहीं की जाएगी।

• भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे। प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में होंगे। जिसमें दिए गए स्थान पर परीक्षार्थियों को उत्तर लिखना होगा।

• प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8), 2024 परीक्षा / पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट जाँच कार्य करने वाले परीक्षक को 5 रु /काँपी राशि देना प्रस्तावित है। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्य मद के उपमद 42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा।

• संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन / संग्रहण वितरण केन्द्रों को स्टेशनरी एवं अन्य खर्च हेतु 2000/- (अक्षरे रुपया दो हजार मात्र) प्रति केन्द्र को एकमुश्त राशि देना प्रस्तावित है। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8), 2024 परीक्षा, शिक्षा के उपमद 42 द्वारा होगा जिसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

• मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र से अधिकतम 15 कि.मी. की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

• अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, यथासम्भव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जावे, जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं।

• प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8), 2024 हेतु जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केन्द्र होगा, उसी को मूल्यांकन केन्द्र भी माना जायेगा। संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या एवं केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम ना हो।

• परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य सरकार से अनुमोदित एवं निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी पंचांग (कैलेण्डर के अनुसार सम्पादित किए जाएंगे।

• परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा संबंधित प्रावधान :- एक मार्च, 2024 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं हो। विशेष परिस्थितियों में आयु सीमा में शिथिलन के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान की अध्यक्षता में पाँच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विभाग स्तर पर निर्णय ले सकेगी।

• प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.30 घण्टे होगा।

• उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्द के सम्बन्ध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी, दिशा निर्देशों के हिस्से माने जाएंगे।

(सीताराम जाट)आइ.ए.एस.

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग

5. वेबसाइट के अवलोकन तथा सूचनाओं को अद्यतन रखने के संबंध में कम्प्यूटर प्रयोग एवं साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों की अनुपालना के संबंध में विभिन्न कार्यों हेतु अनुभागों द्वारा ई-मेल से पत्राचार के संबंध में।

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक:- शिविरा माध्य/कम्प्यूटर/सामान्य (वो. II)/50809/2020-21 दिनांक:- 12 फरवरी, 2024 • समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) मा. शिक्षा, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा समस्त अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय।

• विषय:- अ. वेबसाइट के अवलोकन तथा सूचनाओं को अद्यतन रखने के संबंध में। ब. कम्प्यूटर प्रयोग एवं साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों की अनुपालना के संबंध में। स. विभिन्न कार्यों हेतु अनुभागों द्वारा ई-मेल से पत्राचार के संबंध में। दैनिक कार्यकलापों में कम्प्यूटर उपकरणों पर कार्य करते समय निम्नांकित व्यवस्था सुनिश्चित करें

विभिन्न कार्यों हेतु अनुभागों द्वारा ई-मेल से पत्राचार के संबंध में।

अ. अनुभागों द्वारा जारी आदेश आदि सम्बन्धित प्रेषित को अपने अनुभाग की राजकीय ई-मेल से ही प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

ब. यदि राजकीय ई-मेल निर्मित नहीं किया गया है तो अविलम्ब प्राप्त कर उनयोग करे।

स. अपने राजकीय ई-मेल के लॉग-इन अधिकार अपने नियंत्रण में सुरक्षित रखे। अपने अधिनस्थ समस्त स्टाफ द्वारा भी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करावें।

वेबसाइट के अवलोकन तथा सूचनाओं को अद्यतन रखने के संबंध में:

अ. सभी अनुभागाधिकारी विभागीय वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें तथा अपने अनुभाग से संबंधित किसी भी प्रदर्शित सूचना में संशोधन / अद्यतन किया जाना हो तो सम्पूर्ण सूचना के साथ कम्प्यूटर अनुभाग में सम्पर्क करें।

ब. विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी, यथा योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, योजना से जुड़े अधिकारियों के संपर्क सूत्र, इत्यादि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा कर उसे अद्यतन करावें।

स. विभाग द्वारा किए गए नवावार, सफलता की कहानी, विशेष पुरस्कार आदि से संबंधित दस्तावेज, फोटो, इत्यादि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा कर उसे अद्यतन करावें।

द. विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु यदि कोई दस्तावेज ई-मेल से प्रेषित किया जा रहा है तो प्रेषित करने वाले अधिकारी तथा अनुभाग का नाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। ई-मेल में दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाए।

य. विभागीय वेबसाइट / जनकल्याण पोर्टल पर कोई भी सूचना अथवा दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में उस दस्तावेज के पृष्ठांकन में केवल सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित न करते हुए स्पष्ट रूप से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भी अंकित किया जाए अथवा इस संबंध में पृथक से ई-मेल या यू.ओ. नोट प्रेषित किया जावे।

2. यदि विभागीय वेबसाइट / जनकल्याण पोर्टल पर अपलोड करने योग्य

कोई दस्तावेज किसी बजट घोषणा / जनघोषणा / मुख्यमंत्री जी की घोषणा / मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदि से संबंधित हो तो इसका स्पष्ट विवरण (घोषणा वर्ष व विन्दु सहित) उस दस्तावेज के साथ प्रेषित किया जाए।

कम्प्यूटर प्रयोग एवं साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देश: अ. विभिन्न पोर्टल, वेब एप्लीकेशन, ई-मेल, एस.एस.ओ. इत्यादि के अपने लॉगइन अधिकारों को

सुरक्षित रखना आपका व्यक्तिगत दायित्व है। इनकी जानकारी सार्वजनिक न करें अन्यथा इनका अनाधिकृत उपयोग हो सकता है जिससे आपको असुविधा का सामना कर पड़ सकता है। आपसे संबंधित लॉगइन अधिकारों के पासवर्ड समय-समय पर (30 दिन में तो अवश्य ही) बदलते रहें। इनके लीक होने की आशंका होने पर इन्हें अविलम्ब बदलें। सुरक्षा की दृष्टि से कम्प्यूटर को चालू करते समय पासवर्ड सेट किया जा सकता है। विभिन्न कार्मिकों के एक पर कार्य करने की दशा में प्रत्येक यूजर का अलग पासवर्ड भी सेट किया जा सकता है।

ब. राजकीय कार्य हेतु केवल राजकीय डोमेन प्रयोग करें। ईमेल पर प्राप्त होने वाली अवांछित ऐसी मेल को डिलीट करें।

विभाग की संवेदनशील जानकारी किसी ऐसे ई-मेल पर प्रेषित न करें जिसके बारे में आप सुनिश्चित न हों।

स. अपने कम्प्यूटर पर बाहरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे सी.डी., पेन ड्राइव आदि का प्रयोग विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त होने पर अपरिहार्य स्थिति में ही करें तथा प्रयोग करने से पूर्व एण्टी वायरस सॉफ्टवेयर से भली-भांति जांच कर लें।

द. नेटवर्क प्रणाली से अनाधिकृत छेड़-छाड़ न होने दें तथा अपने स्तर पर विभागीय नेटवर्क प्रणाली से ऐसे किसी उपकरण को न जोड़ें जिसके लिए आपको अधिकृत न किया गया हो। विभागीय नेटवर्क प्रणाली से संबंधित सैटिंग्स (आई.पी. एड्रेस, एडेप्टर सैटिंग्स आदि) को अपने कम्प्यूटर पर बदलने का प्रयास न करें। वाई-फाई स्विच का अनाधिकृत प्रयोग न करें।

य. स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करें और ऑटो अपडेट मोड पर रखें। अपनी तरफ से पाईरेटेड सॉफ्टवेयर को कम्प्यूटर पर इन्स्टाल न करें, यदि ऐसा है तो इस प्रकार के पाईरेटेड सॉफ्टवेयर को हटा दें।

र. कार्य करते कम्प्यूटर को छोड़ कर जाना पड़े तो स्क्रीन लॉक कर जाएं अथवा कम्प्यूटर बंद करके जाएं। ऐसा न करने पर आपकी अनुपस्थिति में अनाधिकृत प्रयोग हो सकता है। अपने कार्य का समय-समय पर बैकअप लेते रहें।

ल. स्थापित कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट संसाधनों का दुरुपयोग न होने दें। राजकीय इण्टरनेट नेटवर्क प्रणाली से जुड़े कम्प्यूटरों पर देखी जा रही समस्त वेबसाइट का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। अतः इंटरनेट पर अनावश्यक वेबसाइट न खोलें। ऐसा करना आपके कम्प्यूटर तथा सम्पूर्ण नेटवर्क प्रणाली को असुरक्षित कर सकता है। अनावश्यक वेबसाइटें खोलने से पूरी नेटवर्क प्रणाली पर बोझ बढ़ता है और आवश्यक कार्य प्रभावित होते हैं। प्रिंटर से अनावश्यक प्रिंट न निकालें।

गौरव शर्मा

सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर

6. Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के सम्बन्ध में।

• कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2023-24/531 • दिनांक :- 02-02-2024 • समस्त आहरण वितरण अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान • विषय:- Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के सम्बन्ध में। • प्रसंग वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के आदेश क्रमांक प.6 (10) वित्त (नियम) / 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 30.01.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग ने अपने प्रासंगिक आदेश के द्वारा अपने पूर्व आदेश क्रमांक प.8 (10) वित्त (नियम) / 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 01.03.2023 एवं 04.04.2023 के क्रम में प्रासंगिक आदेश द्वारा Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेशनरों के दिनांक 30.09.2021 तक के चिकित्सा पुनर्भरण दावे RGHS Portal पर प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31.03.2024 तक पूर्वानुसार शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बढ़ाई है। अतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालय/विद्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों के दिनांक 30.09.2021 तक के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण दावों को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के आदेशों में वर्णित शर्तों एवं प्रक्रियान्तर्गत RGHS Portal पर प्रस्तुत करने की कार्यवाही दिनांक 31.03.2024 तक करवाना सुनिश्चित करें। यहाँ यह भी ध्यान दिया जावे कि आपके विद्यालय/कार्यालय के वे समस्त कार्मिक, जो वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके दावे

आपके कार्यालय/विद्यालय में बकाया पड़े हैं अथवा कार्मिक के पास बकाया है तो भी उन सभी की उचित मॉनिटरिंग / पर्यवेक्षण करते हुए RGHS पोर्टल पर दावे अपलोड/ प्रस्तुत करने की कार्यवाही करावे। दिनांक 30.09.2021 तक के बकाया दावों के बजट आवंटन आदि हेतु अब इस कार्यालय को कोई भी प्रकरण नहीं भिजवाने हैं, सीधे RGHS पोर्टल पर ही अपलोड किए जाने की कार्यवाही की जानी है।

संजय धवन, वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के सम्बन्ध में।

• राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम अनुभाग) • क्रमांक प.6 (10) वित्त (नियम) / 2021 पार्ट जयपुर. दिनांक: 30 जरवरी 2024 • आदेश • विषय: Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एव इन्डोर चिकित्सा के संबंध में। • संदर्भ वित्त (नियम) विभाग का आदेश क्रमांक प.6 (10) वित्त / नियम / 2021 पार्ट दिनांक 01.03.2023 एवं 04.04.2023

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेशों के क्रम में आर जी एच एस के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेशनरों के दिनांक 30.09.2021 तक के चिकित्सा पुनर्भरण दावे RGHS portal पर प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31.03.2024 तक पूर्वानुसार शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बढ़ाई जाती है। यह आदेश माननीय पूर्व मन्त्रीगण / पूर्व विधायकगण के दिनांक 31.10.2021 तक लम्बित चिकित्सा पुनर्भरण दावों पर भी लागू होगा।

(नरेश कुमार ठकराल)
शासन सचिव, वित्त (व्यय)

मार्च-2024					
शुक्र	31	3	10	17	24
शनि	4	11	18	25	
रविवार	5	12	19	26	
सोम	6	13	20	27	
मंगल	7	14	21	28	
बुध	1	8	15	22	29
गुरु	2	9	16	23	30

मार्च 2024 • कार्य दिवस-23, रविवार-05, अवकाश -04, उत्सव-03 • 03 मार्च : विश्व श्रवण दिवस (समग्र शिक्षा)। 05 मार्च : स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती (उत्सव)। 08 मार्च : महाशिवरात्री (अवकाश), विश्व महिला दिवस (उत्सव) (RSCERT)। 15 मार्च : विश्व उपभोक्ता दिवस (उत्सव)। 17 मार्च : विश्व दिव्यांग दिवस। 24 मार्च : होलिका दहन (अवकाश)। 25 मार्च : धूलन्डी (अवकाश)। 29 मार्च : गुड-फ्राइडे (अवकाश)। 30 मार्च : राजस्थान दिवस (उत्सव)।

विद्यार्थी अर्थात् जो विद्या अर्जित करना चाहता है जो बालक-बालिका विद्यालय में प्रवेश लेते हैं अपनी अज्ञानता, नादानी, नासमझी और जिज्ञासा को शमन कर ज्ञान रूपी प्रकाश में अपना भविष्य निहारते हैं। प्रतीक्षा करते हैं, सफलताओं की, उपलब्धियों की, विकास की और सर्वोच्च मंजिल की। इन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का दायित्व सर्वप्रथम अभिभावक और गुरुजनों का है। कच्ची मिट्टी को जो आकार दिया जाता है उसी अनुरूप अपना रूप धारण करती जाती है। फिर उसे आग में पकाकर अपरिवर्तित रूप में परिणत कर दिया जाता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण में हमारा अधिकतम योगदान रहता है।

आज की दौड़ती-भागती, आधुनिक तकनीकी जिन्दगी के साथ हमें भी दौड़ना है। हम कुछ बिन्दुओं पर विचार करेंगे।

1. संस्कार : संस्कार परिवार, घर और अंग्रेजों से प्राप्त होते हैं उसका पालन और परिमार्जन एक शिक्षक करता है और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करता है। इन्हीं संस्कारों में सामान्य आदतें समाहित होनी चाहिए जैसे सूर्योदय से पूर्व जागना, बड़ों के चरण स्पर्श, अपना काम स्वयं करना, सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव स्वच्छ व सरल मित्रता। महावीर और बुद्ध के सिद्धान्तों को स्वीकारना तथा आचरण में उतारना जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। यदि विद्यार्थी इन चार व्रतों को अपने आचरण में उतारता है तो कई प्रकार की बुरी आदतों से बच सकता है।

2. सामाजिकता : सामाजिकता के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। परिवार में भाई-बहनों के साथ जिसने बांट कर खाना सीख लिया तो मन में भ्रातृत्व, प्रेम, स्नेह, सम्मान सदा बना रहेगा। वही विद्यार्थी विद्यालय में भी वैसा ही व्यवहार करेगा जिससे आपसी लड़ाई-झगड़े, बहस क्रूरता, नफरत, एक दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना कभी उनके मन में जन्म नहीं लेगी और विद्यालय का वातावरण भी स्वच्छ तथा सौहार्दपूर्ण रहेगा। विद्यालयों में चलाए जाने वाली योजना No bag day इसी लक्ष्य की पूर्ति करता है। स्मरण शक्ति को उभारने के लिए रटन विद्या को त्यागना जरूरी है।

3. विभिन्न गतिविधियाँ : विद्यालय में संचालित-आयोजित विभिन्न गतिविधियों में मुखर होकर अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना। प्रत्येक क्षेत्र में रुचि लेना। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी

विद्यार्थी-व्यक्तित्व निर्माण

□ अरविन्द कुमार शर्मा

सृजनात्मकता प्रदर्शित करना। साहित्यिक सृजनात्मकता प्रदर्शित करना। साहित्यिक सांस्कृतिक, विज्ञान-गणित भाषा से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना। विद्यार्थी के मन से ये डर खत्म हो जाना चाहिए कि मैं हार जाऊँगा, सब मुझ पर हँसेंगे, मैं गलत कर रहा हूँ। शिक्षक डाँटेंगे। ऐसे डर को समाप्त कर विद्यार्थियों के मन में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास एक शिक्षक ही कर सकता है यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यदि शिक्षक शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है। यदि किसी सूरत में वो बिन्दु गलत भी होगा तो भी बच्चा शिक्षक पर ही अधिक भरोसा करता है। माता-पिता पर भी नहीं। इस विश्वास को बनाए रखना शिक्षक का दायित्व है और यही मार्गदर्शन प्रदान कर विद्यार्थी में उचित-अनुचित का अन्तर समझने की निर्णय लेने की क्षमता पैदा करना है। पाठ्यक्रम से इतर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध करवाना जिससे विद्यार्थी किताबी कीड़ा या श्रेष्ठ प्रतिशत प्राप्त करने की उलझन से बाहर निकल सके।

4. वर्तमान परिप्रेक्ष्य से तादात्म्य-: विद्यार्थी को वर्तमान परिस्थितियों में समायोजन कर चलना आना चाहिए। विभिन्न क्षेत्र जैसे- वैज्ञानिक आविष्कार, संगीतकला संविधान में उल्लिखित अपने मौलिक अधिकारों की जानकार, राजनीतिक उथल-पुथल, चिकित्सालय भौगोलिक परिवर्तन और नवीन तकनीकों के उपयोग के लाभ महत्त्व आदि की समझ पैदा हो सके। स्वयं जुड़ा रहे सोशल मीडिया से या अन्य बाह्य साधनों से विद्यार्थी में तर्क विर्तक की योग्यता भी पैदा होती है। स्वयं को प्रतिभावान की पंक्ति में खड़ा कर सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के विविध बिन्दुओं पर यदि चर्चा-परिचर्चा का अवसर उपलब्ध करवाया जाए तो विद्यार्थी में आत्मविश्वास से मंच पर खड़े रहने की हिम्मत भी आ जाती है। Stage Fobia टूट जाता है। कई बार हमने महसूस किया है कि विद्यार्थी कक्षा में उत्तर देने से घबराता है। यदि हम उनमें निडरता पैदा कर सकें तो उनके व्यक्तित्व में चार चाँद लग जाते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने की उकंठा पैदा हो जाती है और प्रतिस्पर्धा की भावना उसे अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर देती है। भविष्य में वह कम्पनी के साक्षात्कार में

सफलता प्राप्त कर सकता है। **5. तकनीकी साधनों का सकारात्मक उपयोग-** आज इंटरनेट के माध्यम से इन तकनीकी टूल्स का सकारात्मक उपयोग करना सीखाना उन पर नजर रखने का दायित्व परिजनों और शिक्षकों का होता है। गूगल, यूट्यूब, ट्वीट, फेसबुक, Online games, instagrame, whatsapp तथा अन्य apps जो इनके ज्ञान में शीघ्र अभिवृद्धि कर सकते हैं और करते हैं। इन सब पर एक तीसरी आँख क्री नजर आवश्यक है। विद्यार्थी इंटरनेट का उपयोग सकारात्मक, अपने ज्ञान वृद्धि के लिए करे। उन्हें भटकाव से रोकना जरूरी है। इन टूल्स पर कोई नियंत्रण नहीं है अच्छा बुरा सब Contant उपलब्ध है। विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के विषयों से संबंधित अतिरिक्त बिन्दुओं का भी अध्ययन करे। विभाग ने भी स्मार्ट क्लास, हार्डीडिस्क, E-gyan portal, राजीव गाँधी केरियर पोर्टल, डायल फ्युचर, मिशन ज्ञान एप जैसे नवाचार कर विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया है। विद्यार्थी भी बहुत रुचि से ज्ञानार्जन करते हैं। अध्ययन करते हैं।

6. अन्य विद्यार्थी में धैर्यता, ना सुनने और कहने की क्षमता एक अच्छा श्रोता, उसकी Body Language, उसका आशावादी होना, आपसी व्यवहार आवश्यकता अनुसार उचित स्थान पर बोलना। आपराधिक, सांप्रदायिक गतिविधियों से दूर रहना, अच्छे मित्रों का चयन, भीड़ से हटकर स्वयं को साबित करने की महत्त्वाकांक्षा समय पर घर में उपस्थिति, रिश्तों को निभाना उनका आदर सम्मान करना, कुंठा से बाहर निकलना, अपनी परेशानियों, समस्याओं को Share करना। समाधान पूछना या स्वयं ढूँढ़ना, गलतियाँ स्वीकार करने की हिम्मत रखना, गलतियाँ का सुधार करने की भावना उत्पन्न होना या करना। तैयार पाठ्य सामग्री के स्थान पर स्वयं पढ़ने, उत्तर ढूँढ़ने लिखने की प्रेरणा प्राप्त करना या लेना एवम् अन्तरमुखी भावनाओं से बाहर आना। विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण के सोपान हैं।

अध्यापक एल-1

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज

छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ (राज.)

मो. 9950545050

दक्षताएँ और शिक्षक

□ विक्रम चौधरी

कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। किसी राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में उसका अमूल्य योगदान रहता है। इसी कारण उसे अपने पेशे में कछ विशेष व्यावसायिक दक्षताओं में परिपूर्ण होना अति आवश्यक है किसी भी अध्यापक को अपने पढ़ाए जाने वाले विषय में पूरा दक्ष हो। यही नहीं, उसे सम्बन्धित विषयों का भी ज्ञान हो। सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। अध्यापक जितना ही विषय पर अधिकार रखता होगा वह छात्रों के लिए उतना ही प्रिय बन जाता है। विषय में मास्टरी रखने वाला व्यक्ति ही अधिगम कराने में सक्षम होगा। यह क्रिया उसके लिए आनंद की क्रिया हो जाती है। इस हेतु अध्यापक को एक अच्छा पाठक, एक अच्छा अधिगमकर्ता होना चाहिए।

शिक्षण कार्य के लिए सबसे मुख्य कार्य जो अध्यापक को करना होता है वह है विषयवस्तु (ज्ञान) का सम्प्रेषण करना अर्थात् ज्ञान को छात्रों तक पहुँचाना, जिससे वे ज्ञान को आत्मसात् कर सकें। तभी अधिगम (सीखना) का स्तर भी बढ़ता है। ज्ञान स्मृति पटल से चिन्तन पटल तक ले जाता है, जहाँ सम्प्रेषण विधियों को लगाने पर अध्यापक को मनोवैज्ञानिक विधियों का भी ज्ञान होना जरूरी है। उसे अपनी योग्यता, क्षमता के अलावा छात्र की रुचि, योग्यता, पूर्वज्ञान एवं उन परिस्थितियों को जानना भी आवश्यक होता है जो सम्प्रेषण को बढ़ाती है।

विषयवस्तु का सम्प्रेषण करने के लिए पाठ्येतर क्रियाओं की आवश्यकता होती है। हाथों द्वारा बनाए गए उपकरण, इधर-उधर संसाधनों का उपयोग, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग, सामाजिक पर्वों का आयोजन, जिससे हम भ्रमण, श्रमदान, सहयोग, विचार-चिन्तन, आपसी भाईचारा सीखते हैं वहीं विद्यार्थी अन्य गुणों को भी सीखते हैं जो भावात्मक रूप से उपयोगी होता है।

अधिगम के प्रभावी सम्प्रेषण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक ऐसे उपकरण बनाने में दक्ष हों, जिससे बालक विषयवस्तु को शीघ्रता से सीखें, जैसे- गत्ते से घटाव खिड़की बनाना, गत्तों से विभिन्न गणितीय आकृतियाँ बनाना आदि। एक दक्ष अध्यापक अपने छात्रों को हाथ से बनाए गए अनेक उपकरण बनाने की प्रेरणा दे सकता है। अध्यापन के समय बाजार निर्मित उपकरणों की जगह पर अध्यापक या छात्रों द्वारा स्वनिर्मित

उपकरण अधिक प्रभावी रहते हैं।

सभी विषय, परन्तु विशेष रूप से विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाते समय मूलभूल या आधारभूत प्रत्यय स्पष्ट करने हेतु सन्दर्भगत दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। यह दक्षता इस बात पर जोर देती है कि हम जब तक पाठ्यवस्तु के संदर्भ में बिन्दुओं को समझ नहीं लेते, तब तक विषयवस्तु भी समझ में नहीं आती। किसी घटना को तब ही हम भली-भाँति समझ सकते हैं जब हम उस संदर्भ की परिस्थितियों (आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक) को समझ लेते हैं। आजादी प्राप्ति के समय हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही थी वह अभी भी चल रही है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ नए-नए विषय आ रहे हैं, मूल्य भी बदल रहे हैं। आधुनिक काल में कम्प्यूटर विषय के सम्बन्ध में जानकारी होना हमारी आवश्यकता हो गयी है। सफल अध्यापक वही है जो लगातार अध्ययनरत रहता है और अपने ज्ञान की क्षुधा को शान्त करने में लगा रहता है।

अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उसमें जटिल संकल्पनाओं को सरल ढंग से स्पष्ट करने की दक्षता होनी चाहिए। अध्यापन कार्य प्रारम्भ करने से पहले हमें छात्र की आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए और यह भी कि उसको पूर्व ज्ञान कितना है, तभी प्रभावकारी ढंग से अध्यापन प्रारम्भ हो सकेगा। केवल विषयवस्तु की संकल्पनाओं में दक्षता प्राप्त कर लेने से काम नहीं चल पाता, बल्कि शिक्षण विधियों की संकल्पनाओं में भी दक्षता होनी चाहिए। कभी-कभी केवल व्याख्यान विधि उबाऊ साबित हो सकती है, जबकि अवलोकन एवं प्रायोगिक विधियाँ अधिक शीघ्रता से सीखने को प्रेरित करती हैं। वर्तमान में अनेक कार्यक्रम जैसे RKSMBK, निपुण भारत, निष्ठा, प्रशिक्षण दीक्षा एप एवं NEP 2020 आदि में इस हेतु विशेष बल दिया जाता है जो बताते हैं कि बालकों को किस प्रकार से उनको विषय की संकल्पनाएँ स्पष्ट की जाए।

शिक्षण मूल्यांकन का अति महत्त्व है। बिना इसमें दक्षता प्राप्त किए अध्यापकीय दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता। मूल्यांकन परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी। गुणात्मक मूल्यांकन को परिमाणात्मक रूप देना बिना क्षमता प्राप्त किए नहीं हो सकता। उसका

आई.क्यू. कितना है, व्यक्तित्व कितना एवं कैसा है, उसकी रुचि, अभिवृत्ति आदि क्या है, इसके लिए अलग से मूल्यांकन परीक्षण लिए जाते हैं। अध्यापक को इन सभी प्रकार की मूल्यांकन विधियों का पता होना चाहिए। एक सफल अध्यापक/अध्यापिका को मूल्यांकन की आधुनिक विधियों का पता होना चाहिए।

लोकतंत्रीय शासन में शिक्षा का कार्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है। समाज को जिस वस्तु की आवश्यकता है, शिक्षा उसकी पूर्ति करती है। इसी प्रकार समाज भी विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संसाधन समाज ही जुटाता है। विद्यालयों को लघु समाज का रूप दिया जाता है। विद्यालय समाज में होने वाली क्रियाओं का प्रतिमान है। अध्यापक, अभिभावक संघ SDMC/SMC विद्यालयों में आयोजित राष्ट्रीय एवं सामाजिक पर्व, समाज एवं विद्यालय में रिश्तों को उद्घाटित करता है।

विद्यालयों में अच्छे ढंग से पढ़ाई अच्छे अध्यापक, अनुशासन एवं व्यवस्थित प्रबन्धन के कारण ही सम्भव है। अध्यापन कार्य के साथ-साथ अध्यापक सामाजिक मूल्यों को बालकों में प्रेषित कर देता है। विद्यालय में आयोजित पर्वों में अतिथियों का स्वागत, उनके प्रति उचित व्यवहार करने की ट्रेनिंग अध्यापकों द्वारा ही सिखायी जाती है। साफ सफाई, समाज सेवा, सामूहिक क्रियाकलाप में स्वयं एवं पात्रों की भागीदारी तथा उनमें उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना अध्यापकों का ही कर्तव्य है। इतना ही नहीं वे कार्यालय के कार्यों में, प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य कार्यों में भी योगदान करते हैं। किसी शैक्षिक संस्थागत विविध क्रियाकलापों के कुशल संगठन और प्रबन्ध के लिए टाइम-टेबिल बनाने से लेकर कक्षा प्रबंधन तक अनेक क्रियाकलापों का आयोजन एवं संचालन करना एक कुशल अध्यापक/अध्यापिका का दायित्व होता है। इसलिए विद्यालय के प्रबन्धन कौशलों में दक्ष होना अनिवार्य है। यह विद्यालयी व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा ही सीखा जाता है।

प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में बीच में ही स्कूल छोड़ देने की समस्या रहती है। अध्यापकगण इस समस्या को सुलझाने में सहायक हो सकते हैं। छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले लेता या प्रायः अनुपस्थित रहता है तो बालकों के अभिभावकों को मामले की सूचना

देकर बालक को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वार्षिक कार्यक्रमों में अभिभावकों को भागीदारी हेतु निमन्त्रित किया जाने से वे विद्यालय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं से अवगत होंगे तथा विद्यालय एवं समाज के प्रति भाईचारा बढ़ेगा। अभिभावकों से विद्यालय का सीधा सम्बन्ध होने से उनके बालक विद्यालयों में अनुशासित रहते हैं। अभिभावकों की निकटता होने पर अपने बालकों के सम्बन्ध में विद्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त होती रहेगी। अध्यापक भी बालक की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। बालक की पढ़ाई, स्वास्थ्य, खेलकूद सम्बन्धी बालकों को सलाह देते रहेंगे।

छात्रों के लिए सीखने का कार्य प्रायः विद्यालयों में होता है। बालक सीखता तब है जब सीखने का विषय रुचिकर हो। भावी जीवन के लिए रुचिकर, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होती है तथा सिखाने वाले की विधि इस प्रकार की हो जिससे बालक बिना किसी थकावट के कम से

कम समय में अधिक से अधिक सीख सकें। बालक को यह महसूस होना चाहिए कि अधिगम कोई कष्टकारी कार्य न होकर रुचिकर क्रिया है। बालक में उत्सुकता का गुण जन्मजात होता है, वह संसार के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, उसकी उत्सुकता को शान्त करने के लिए तर्कसंगत विधि से उसके प्रश्नों का उत्तर दे। अध्यापक को भी अधिगमकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रति सहनशील होना चाहिए तथा उससे एक साथी के रूप में व्यवहार देना चाहिए। इसके लिए आत्म-नियंत्रण का होना जरूरी है। अध्यापकीय व्यवहार बालक के लिए अनुकरणीय होना चाहिए।

अध्यापन कार्य में, यदि अध्यापक की अपने कार्य में दक्षता नहीं है तो वह व्यावसायिक रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए उसे अपने कार्य में गर्व का अनुभव होना चाहिए। वह राष्ट्र-निर्माता है, वह संस्कृति का वाहक है, वह बालकों में ज्ञान सम्प्रेषित करता है। एक अध्यापक समाज में सम्मान पाता है। उच्च पद प्राप्त हो जाने के बाद भी बहुत से छात्र

अपने अध्यापकों को सम्मान करना नहीं भूलते। अपने आदर्श व्यवहार, चरित्र, नैतिकता एवं उत्कृष्ट गुणों के कारण अध्यापक जीवन पर्यन्त छात्रों के हृदय में बसा रहता है। अध्यापकीय व्यवसाय में लगे व्यक्ति को अन्य लाभ भी मिल जाते हैं।

आजकल सामाजिक क्षेत्र में मूल्यों का हास हो रहा है। घोटाला, घूसखोरी, बेईमानी, यौन शोषण जैसी गन्दगी हमारे समाज में तेजी से फैल रही है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सेवाभाव, समयबद्धता का आम जीवन में अभाव हो रहा है। अध्यापक को अप्रत्यक्ष रूप से इन गुणों को बालकों में सम्प्रेषित करना चाहिए और वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें एक मूल्यवान, व्यावहारिक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्व का व्यक्ति बनाने का प्रयास करना चाहिए।

अध्यापक
रा.प्रा.वि.सनलानाड़ी वाड़ाभोजा
रानीवाड़ा, सांचोर-343029
मो.: 8386919794

नौनिहालों का भविष्य निश्चरण में समर्थ है - सरल, सहज और सुबोधगम्य शिक्षण

□ विनय कुमार भट्ट

शिक्षक के रूप में समाज और राष्ट्र का स्वर्णिम भविष्य बनाने की दिशा में सर्वाधिक एवं अहम् जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी शिक्षण अधिगम के माध्यम से यथासंभव सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करें और अपने ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर व्यक्तित्व विकास को उत्तरोत्तर प्रगतिकारी आयाम देते रहें। शिक्षक शिक्षा में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उन छात्रों के जीवन में जिन्हें वे कक्षा में पढ़ाते हैं। एक शिक्षक की पहचान उसकी छात्रों को पढ़ाने की क्षमता और उन पर सकारात्मक प्रभाव से होती है।

आमतौर पर विद्यालय में शिक्षक की भूमिका शिक्षण से परे होती है। आज की दुनिया में, शिक्षण के अलग-अलग पहलू हैं और एक शिक्षक को बाहरी माता-पिता, परामर्शदाता, संरक्षक, रोल मॉडल इत्यादि की भूमिका निभानी होती है।

इसके लिए शिक्षकीय संवेदनाओं के साथ बच्चों के शिक्षण के साथ उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ग्राह्यकारी शिक्षण धाराओं का समावेश करना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कक्षा कक्ष के मल्टी लेवल व मल्टीग्रेड के बच्चों को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन तथा सम्प्रेषण कौशल को अपना कर उनकी समझ को और अधिक विकसित एवं स्वीकार्य कर सकते हैं।

हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वे विभिन्न क्षेत्रों, जाति समुदायों, वर्गों और अलग-अलग परिवारों से आते हैं जिनकी अपनी पारिवारिक, सामुदायिक एवं क्षेत्रीय पृष्ठभूमि तथा सामाजिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां भी पृथक-पृथक होती हैं। इनमें घर परिवार, भाई-बहन, माता-पिता, बन्धु-बांधवों के साथ भांति-भांति की मानवीय संवेदनाओं, संवेगों और जीवन मूल्यों तथा स्वभाव एवं व्यवहार का भी पुट होता है। ऐसे में शिक्षण अधिगम को सरल सहज बनाने के लिए शिक्षक को अपनी विषय वस्तु के सम्प्रेषण के

लिए विभिन्न विधाओं को ध्यान में रखना होता है जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। मुखर अभिव्यक्ति के लिए समझ जरूरी कक्षा के सभी बच्चों की मौलिक वृत्तियां और स्वभाव भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। कुछ बच्चे घर परिवार के स्वस्थ माहौल के कारण अभिव्यक्ति के मामले में मुखर होते हैं और कुछ बच्चों के सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण व अन्य मादक पदार्थों के सेवन से घर के लड़ाई-झगड़ों के कारण गुमसुम से अन्तर्मुखी होते हैं सहज रूप से बोल नहीं पाते डरते हैं। कक्षा के बच्चों के साथ सहज नहीं हो पाते व बोलने में झिझक महसूस करते हैं। इस झिझक के कारण वे शिक्षण अधिगम के दौरान सहज नहीं हो पाते या कभी विषय वस्तु के प्रति अच्छी तरह समझ एवं स्पष्टता रखने के बावजूद साफ-साफ उत्तर नहीं दे पाते। कुछ बच्चों में अपने आस-पास के वातावरण के अनुसार मौजमस्ती लिए होते हैं जो दूसरे बच्चों को भी शिक्षण अधिगम के दौरान व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कुछ बच्चे विद्यालय में

अनियमितता के कारण विषय वस्तु से कनेक्ट नहीं हो पाते व उनकी कक्षा-कक्ष की गतिविधियों के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके माता-पिता शिक्षित होने व परिवार के अन्य सदस्यों के शैक्षिक माहौल की जागरूकता के कारण व उनके सम्बलन से रुचि पूर्वक अध्ययन करते हैं।

हमारा दैनन्दिनी शिक्षण इन्हीं तरह की ढेर सारी विभिन्नता का साक्षात् कराता है। इन्हें चुनौतियों के रूप में लेकर हमें सकारात्मक एवं व्यापक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

बाल मनोविज्ञान के अनुरूप शिक्षण प्रभावी बच्चों की जिज्ञासाओं के समाधान के प्रति जागरूक रहते हुए शिक्षण अधिगम को लक्ष्य समूह के अनुरूप ढालकर हम शिक्षण को सहज, सरल एवं बच्चों के लिए सुगमतापूर्वक ग्राह्य बना सकते हैं।

इसके लिए कक्षा-कक्ष में बच्चों के स्तर के अनुरूप लक्ष्य तय करते हुए विज्ञान के प्रयोग, चित्रांकन, कला किट, गणित किट, विज्ञान किट, भ्रमण दृश्य श्रव्य प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लास आदि साधनों के साथ ही गतिविधि आधारित शिक्षण के रोमांचक स्वरूप प्रदान कर सहज स्वीकार्य रुचिपूर्ण अधिगम सुनिश्चित कर सकते हैं। इस स्थिति में बच्चों को शिक्षण में आनंद भी आता है और खुशी-खुशी भी समझ विकसित होती चली जाती है। इसी के साथ बच्चा निरन्तर विद्यालय से जुड़ता चला जाता है उसमें नियमितता, अनुशासन, सहयोगी प्रवृत्ति के मनोभाव विकसित होते हैं। आपस में वार्तालाप से मुखर अभिव्यक्ति होती है और कुछ नया पढ़ने की आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है जिससे बच्चों में सर्जनात्मकता का विकास होता है।

अनुकूल माहौल करता है प्रेरणा संचार यह स्थिति सुगम शिक्षण संवहन की दृष्टि से आदर्श अवस्था प्राप्त करने लगती है। बच्चे उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं जो उनकी रुचि और रचनात्मकता को संवेग प्रदान करता है। इससे बच्चों में स्कूली शिक्षा व विद्यालयों में नियमितता के प्रति रुचि की निरन्तरता बनी रहने के साथ ही सार्थक शिक्षा प्राप्ति के लिए सतत् प्रोत्साहन एवं मनोनुकूल माहौल की उपलब्धता मिलती रहती है। इस हेतु कक्षा कक्षीय प्रबन्धन में

निम्न बातों से सकारात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं-

- (1) बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर दें।
 - (2) बच्चों को अपने बारे में बताने का अवसर दें।
 - (3) उसके अच्छे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करें।
 - (4) बच्चों को भाषा कालांश के दौरान पुस्तकालय से कहानी पढ़ने व सुनने का मौका दिया जाए।
 - (5) पुस्तकालय से घर ले जाकर किताब पढ़ने का मौका दें।
 - (6) उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए प्रोत्साहन दें उसे करीब से देखें।
 - (7) कक्षा में सबके सामने पढ़ने का अवसर दें।
 - (8) महापुरुषों के अनमोल वचन, समाचार तथा सुनी हुई कहानी के बारे में चर्चा का अवसर दें।
- प्रार्थना सभा में भी बच्चों के द्वारा कहानी, प्रेरक प्रसंग, सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्नोत्तर द्वारा अभिव्यक्ति दी जा सकती है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे की भागीदारी कालांश शिक्षण अधिगम के दौरान संवाद के दौरान भी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं।
- हम अपने विद्यार्थियों के लिए कक्षा में समान एवं यथोचित अवसर पैदा कर बच्चों की अभिव्यक्ति को मुखरित कर सकते हैं। इससे बच्चों में विषय कंटेंट के प्रति कौतूहल, जिज्ञासा और सोच को एक नई दिशा मिलती है। यह अभिव्यक्ति बच्चों के अपने निजी अनुभव के आधार पर उन्हें विभिन्न प्रश्नों व उनके उत्तर द्वारा विषय की समझ बनाने को प्रेरित करती है। साथ ही शिक्षक को अपने कंटेंट को स्पष्ट समझने और प्रस्तुत करने से सभी बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सहज, सरल एवं सुबोधगम्य लगने लगता है।

सीख-समझ से उन्नयन

बच्चे जब सब कुछ देखकर स्वयं करके सीखते हैं तब उनकी समझ और अधिक स्पष्टता के साथ विकसित होती है जिससे लार्निंग इफेक्टिव होने लगता है और बच्चों को वह कभी भी बोझिल महसूस नहीं होता। बच्चे आत्मप्रेरणा एवं प्रसन्नता के साथ विद्यालय से जुड़ने लगते हैं, नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे वे अपने अनुभवों को न केवल साझा करते

हैं बल्कि इसका सीधा असर उनके सहपाठियों पर भी पड़ता है जो कि आपसी सहयोग व समन्वय भाव के साथ शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर बने रहते हैं।

शिक्षक अपनी पूर्ण तैयारी के साथ अपने कंटेंट को सम्प्रेषित कर सकते हैं। हम अपने विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

शिक्षकीय स्वभाव व आचरण उत्प्रेरक

विद्यालय में प्रत्येक बालक विविधता लिए हुए होता है। वह अपने शिक्षकों को देखकर उनके रहन-सहन उनके आपसी वार्तालाप, स्वभाव, व्यवहार, आचरण, स्व अनुशासन तथा उनकी अभिव्यक्ति सम्प्रेषण को सुनकर बहुत कुछ समझते हुए अपने मन मस्तिष्क में नए विचारों व संकेतों के बीज बोने लगता है वह अपने जीवन में भी उसी के अनुरूप बनने की कोशिश करने लगता है। इसी तरह धीरे-धीरे अपने में सुधार करते हैं जिससे कक्षा के बच्चों के साथ एक अलग मुकाम हासिल करता है।

जीवन व्यवहार पर भी करें चर्चा

हम केवल अपने विषय के शिक्षण पर ही फोकस न करें बल्कि कभी-कभी शिक्षण अधिगम के दौरान अपने आत्म कथ्य, निजी अनुभव, अपने विद्यालय के शिक्षण काल में हुए अनुभवों व उनसे मिली सीख को बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। कभी-कभी अपने घर-परिवार के बच्चों को जिस प्रकार मोटिवेट करते हैं उनकी भी चर्चा करें ताकि इन अनुभवों को जानकर सफलता व असफलता से सीख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, गलतियों में सुधार की समझ विकसित हो सके और अपने जीवन लक्ष्यों को पाने में बाधक बनने वाली स्थितियों से बचे रहकर आगे बढ़ते रहने का माद्दा पैदा हो सके।

जीवन यात्रा में अपनाने योग्य सीख, माता-पिता, क्षेत्र का नाम रोशन करने की दिशा में करणीय कार्यों, सेवाओं आदि की जिज्ञासाओं का शमन इस प्रकार के संवादों से हो सकता है।

आत्मीय पारिवारिक स्नेह का अहसास कराएं

हम अपने विद्यार्थियों से उनके सामाजिक परिवेश और घर की विभिन्न परिस्थितियों का आंकलन

करते हुए बच्चों के संवाद कर सकते हैं, उनकी समस्याओं और अभावों के बारे में टोह लेते रहें, जिससे बच्चों को अपना-सा आत्मीय माहौल लगे और बच्चा अपने परिवार में आने वाली समसामयिक परिस्थितियों में पढ़ने हेतु माहौल बनाकर वह बच्चा स्वयं आत्मविश्वास के साथ अनवरत् शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित हो सके।

उचित दिशा-निर्देश देना- जीवन में प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उचित दिशा-निर्देश की आवश्यकता पड़ती है। यह निर्देशन कई प्रकार का होता है जैसे- व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता, व्यावसायिक निर्देशन द्वारा व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता की जाँचकर उसी के अनुरूप उसे व्यवसाय चुनने का परामर्श दिया जाता है। एक शिक्षक अपने छात्रों को इन सभी विषयों में उचित दिशा-निर्देश देकर देश का सफल नागरिक बनने में उनकी सहायता करता है।

डिजिटल युग का सदुपयोग सिखाएं

वर्तमान की डिजिटल दुनिया में बच्चों की मनोवृत्तियों का नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। बालकों में कुछ मनोवृत्तियाँ जन्म होने के बाद से शुरू हो जाती हैं। बच्चे के रोने पर या जिद्द करने पर मोबाइल थमा दिया जाता है व माता-पिता अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। यही आदतें विद्यालय में आने पर बच्चों द्वारा आपस की बातचीत में भी आती है ऐसी स्थिति में एक शिक्षक उन मनोवृत्तियों को शुद्ध करता है, उनका मार्ग निर्देशन करता है तथा उन्हें नियंत्रित करने का कार्य भी कर सकता है। इससे बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षक का कार्य है कि वह बालक की मूल प्रवृत्तियों में सुधार करके उसे समाज तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित कर सकता है।

आज के डिजिटल युग में प्रभावी शिक्षण

अत्यधिक सुगम हो गया है। आज बच्चे मोबाइल के उपयोग से गूगल, यूट्यूब व अन्य चैनलों के माध्यम से ज्ञानार्जन कर रहे हैं लेकिन उसकी सही दिशा शिक्षक के माध्यम से ही प्राप्ति हो सकती है।

मोबाइल के माध्यम से लर्निंग करने वाले बच्चों में कई साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे हैं।

कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षण से जहां सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं वही उनके दुष्प्रभाव भी अधिक देखने में आए हैं। कुछ बच्चे गेमिंग एप्स, यूट्यूब व अन्य इंटरनेट सर्च कर घंटों तक अपना समय नष्ट करते हैं। उनकी मानसिक मनोदशाओं में भी बदलाव देखा गया है इसी तरह मोबाइल की लत से वह गलत राह पर निकल पड़ते हैं जिससे आर्थिक परेशानियों के साथ घर की पारिवारिक परिस्थिति भी प्रभावित होने लगती है और बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। साथ ही शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर दिखने लगा है। इसलिए हम अपनी कक्षा-कक्षीय गतिविधियों के बीच इसके अच्छे उपयोग के प्रति जागरूकता इंटरनेट की दुनिया गूगल, मोबाइल का उपयोग से पढ़ाई की अध्ययन कंटेंट भौगोलिक स्थिति जीव-जन्तुओं, वैज्ञानिक प्रयोगों, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण किलों समुद्र के जीवों, विलुप्त प्राणियों, जैव विविधता आदि की ज्ञानवर्धक कंटेंट के वीडियो को देखने व वर्तमान परिदृश्य पर जानकारी रखने के साथ जागरूक नागरिकता के रूप में सजगतापूर्ण संदेश देने की जरूरत है। हम सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकते हैं इससे लर्निंग इफेक्टिव होगा।

सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का लक्ष्य रखें

(1) आज बच्चों को शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, दर्शन, समृद्ध इतिहास, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, अपनी सनातन संस्कृति, मानवीय संवेदनाओं व जीवन मूल्यों के साथ हम निम्न बातों पर संवाद कर सकते हैं।

(2) विभिन्न उत्सवों, त्योहारों को मनाने का उद्देश्य व महत्त्व का संदेश।

(3) महापुरुषों व वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी।

(4) हमें मिली स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर बात।

(5) समसामयिक घटनाओं की जानकारी।

(6) देश के प्रति हमारे कर्तव्यों व अधिकारों की समझ आदि।

देश के लिए संस्कारित एवं मेधावी सुनागरिक दें हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि इन सारे विषयों एवं सहज-सुगम, सरल तथा सुबोधगम्य शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करते हुए इस प्रकार का शिक्षण विकसित करें कि जिससे समाज और देश के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह ऐसे नागरिक तैयार हों जो अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा, क्षमता, सामर्थ्य और आत्मविश्वास से अपने जीवन के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएं।

आज शिक्षक एक समन्वयक के रूप में भी होता है, क्योंकि शिक्षक की भूमिका अधिगम के ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां बच्चे स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता का अहसास कर सकें और ज्ञान का निर्माण कर सकें। आज हमारी भूमिका एक अन्वेषक, एक्शन रिसर्च, प्लानर, मैनेजर, फैसिलिटेटर, लीडर आदि विविध रोल निभाता है।

हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी सामाजिक जीवन और देश के लिए उपयोगी एवं अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान कायम करें। हमारे देश की सभ्यता व सांस्कृतिक विरासत के साथ राष्ट्र सर्वोपरि संस्कार के साथ अपने जीवन में खूब प्रगति कर एक सफल उद्यमी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक उच्च अधिकारी, समृद्ध किसान, वैज्ञानिक, शिक्षक और एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा में समर्पित हो।

विनय कुमार भट्ट

औदीच्यवाड़ा बाँसावाड़ा 327001 राजस्थान

मो :- 9413947374




पुस्तक समीक्षा

जुगाड़, व्यंग्य संग्रह

लेखक : रामजीलाल घोड़ेला
प्रकाशक बोधि प्रकाशन जयपुर
मूल्य : 150/- पृष्ठ : 80

साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य का सृजन अगर मातृ भाषा में किया जाए तो लेखनी समाज पर अपना अमित प्रभाव छोड़ती है। मातृ भाषण में लेखन को कम ही



साहित्यकारों ने स्वीकारा है। पिछले कुछ समय से जिन नए साहित्यकारों ने नई ऊर्जा से मातृभाषा में साहित्य सर्जना के आयाम स्थापित किए हैं, उनमें रामजी लाल घोड़ेला का नाम उल्लेखनीय है। घोड़ेला उन विरले लेखकों की श्रेणी में हैं जिन्होंने मातृभाषा में बाल साहित्य के साथ साथ कहानी व व्यंग्य विधा रचने में महारत हासिल की है। मातृभाषा में व्यंग्य की कमी को दूर करने के प्रयास में इनकी नई पुस्तक 'जुगाड़' जो कि राजस्थानी भाषा की अनुपम निधि बनने में सफल रही है। राजस्थानी के पाठक वर्ग में अपनी स्थायी छाप छोड़ने में यह पुस्तक चर्चा में रही है।

इस पुस्तक 'जुगाड़' का प्रथम व्यंग्य 'पड़ौसी री भैंस' में रचनाकार ने उन विषम परिस्थितियों का सटीक चित्रण किया है जो एक मौन के कारण उत्पन्न हुई। रचनाकार अपना स्थानान्तरण करवाने व अपने अधिकारी को खुश करने के लिए अपने घर भोजन पर आमंत्रित करता है, परन्तु भैंस के कारण उसका स्वप्न मटियामेट हो जाता है। लेखक को भैंस चाची ताड़का दिखाई देती है तो अपनी पूंछ से मकबूल फिदा हुसैन की माइन आर्ट की छाप भी लेखक के नये वस्त्रों पर अंकित कर देती है। यह व्यंग्य मनोरंजन के साथ प्रेरणा स्रोत भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। रचनाकार 'बोला, तोलर,

बोल' व्यंग्य में लिखते हैं कि अधिकांश महिलाएं शान्त स्वभाव की होती हैं। पर जब उन्हें बोलना पड़े तो सभी मर्यादाएं लांघने में भी संकोच नहीं करतीं। जुबान से निकली बात का प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहता है। चुनाव में अभद्र भाषा का प्रयोग मनुष्य की गरिमा के अनुकूल नहीं है। 'मन जीते, जग जीते' मनुष्य की वाणी से ही संभव है।

रिटायरमेंट व्यंग्य में रचनाकार सेवानिवृत्ति से जुड़े विषयों पर सेवानिवृत्ति के सुख-दुख पर अपने भाव प्रकट करता है। वैसे तो हर व्यक्ति, वस्तु आदि को एक दिन निवृत्त हो ही जाना होता है, चाहे वे वस्तुएं हमारी भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ी हों। 'गुरु घंटाल' एक सराहनीय व्यंग्य है जो फूटा राम जी जैसे पढ़ाने के अलावा अन्य सभी गुणों से सम्पन्न हो। इस व्यंग्य की ये पंक्तियां - 'फूटा राम जी नींद रा काचा, घरवाली कक्को कोनी जाणे, पण मास्टरनी बाजौ नौकरी मांय टेंशन री जिन्दगी, गली पीठ रो सनमान, श्वान भक्ति रा कायल, हर बगत चरतो रैवण वाळो बकते, भैडा नै प्रणाम। 'आदि उपमाओं से ऐसे शिक्षक चर्चा में रहते हैं। 'बेबस' व्यंग्य में वर्तमान समय में प्रत्येक कार्य करने में बेबसी प्रकट करना एक फैशन बन गया है। बेरोजगारी, आतंक, भाषा मान्यता, अपराध, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं बेबसी का रूप धारण कर समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। 'पोल' व्यंग्य में आज के युग में मिली खुली छूट, पोल में ढोल कहावत को चरितार्थ करती है। 'मोबाइल री माया' व्यंग्य में रचनाकार लिखता है कि मोबाइल क्रान्ति असरदार तो किया जाए। मोबाइल का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में है, इसका सदुपयोग उपयोगी है, लेकिन इसके दोष भी कम नहीं हैं। कार्य करने में बेबसी प्रकट करना एक फैशन बन गया है। बेरोजगारी, आतंक, भाषा मान्यता, अपराध, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं बेबसी का रूप धारण कर समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। 'पोल' व्यंग्य में आज के युग में मिली खुली छूट, चोल में ढोल कहावत को चरितार्थ करती है। मोबाइल के उचित उपयोग व दुष्परिणामों से बचने को 'जता पुराण' व्यंग्य में

वर्तमान परिस्थितियों पर शानदार व्यंग्य है। आज के युग में जूता मारने से जूता फेंकना अधिक प्रभावकारी हो गया है। जो काम बन्दूक और कानून नहीं करवा सकते वह काम जूता फेंकने की तरकीब से हो सकता है। 'मेरा जूता है जापानी जूता ले लो रुपये दे दो।' में भी मनोरंजन का भाव है 'कागराज' व्यंग्य संगठन में शक्ति है का प्रेरणादायी चित्रण है। 'जुगाड़' व्यंग्य में जो इस पुस्तक का शीर्षक भी है में राजस्थानी शब्दों का उचित प्रयोग हुआ है। घोड़ेला जी की यह दुनिया जुगाड़, से ही रही है। 'सुपना पररत, मुसाग पुराण आदि पठनीय व्यंग्य है ये वही पार पतियों पर सटीक चोट करते हैं। 'आज रो बुणगट, नको, ओळ्यां री र धृतराष्ट्र' जानबूझ कर अन्धा बन कर बैठा हुआ है। पुत्र-परिवार का मोह टूट नहीं रहा है। फिक्सिंग व्यंग्य मनुष्य का मनोभवों की पहचान करवाने वाला व्यंग्य है। इन व्यंग्यों द्वारा रचनाकार समाज की विदुपताओं को पाठकों के सामने लाने का भरसक प्रयास किया है। अन्य व्यंग्य जहाँ हंसाने व मनोरंजन के साथ-साथ प्रभावशाली व प्रेरणादायी सीख देने में सार्थक हैं।

घोड़ेला जी के व्यंग्य कथ्य और कथानक की दृष्टि से स्तरीय व सटीक है। लेखक ने अपने आस पास व समाज के वातावरण में जो महसूस किया उसको व्यंग्य के माध्यम से पाठकों को परोसे हैं। इस पुस्तक का मुख्यावरण राजूराम बिजारनिया की कला का अनूठा आकर्षक उदाहरण है, 80 पृष्ठों की इस पुस्तक में 17 व्यंग्य हैं जो बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं। यद्यपि व्यंग्य अपनी मायइ भाषा में सहज और आकर्षक है फिर भी कहीं-कहीं भाषा भावों की अपेक्षा में खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। भाषा की कसावट ढीली प्रतीत होती हैं। अतः अपने समग्र रूप में पुस्तक राजस्थानी भाषा की सुन्दर कृति हैं।

समीक्षक डॉ. संगीता पुरोहित सहायक
निदेशक शिविरा प्रकाशन अनुभाग माध्यमिक
शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर
मो.9950956577



राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा अपनी सृजित एवं स्वरचित कविता, गीत, कहानी, बोधकथा एवं चित्रों को इस स्तम्भ में प्रकाशन हेतु नियमित रूप से संस्थाप्रधान/बालसभा प्रभारी भिजवाएं। श्रेष्ठ का चयन करते हुए इस स्तम्भ में प्रकाशन किया जाता है।
-व. संपादक

भारत की विविधता

उड़ने दो पापा हमें,
जिंदगी की उड़ान में,
करके दूंगी सपने पूरे,



जो थे आपके अधूरे।
जीवन जीने की चाह में,
स्कूल जाने की राह में,
शिक्षा पाने की चाह में,
थोड़ा देखो मेरी परवाह में।

सीता, कक्षा-6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनिवालों की ठाणी, मंगले की बेरी, आठेल, बाड़मेर, राजस्थान-344033

मोबाइल

मोबाइल है हमारा दुश्मन,
बच्चों ना करो तुम रुदन,
किताब को पढ़ना तुम गहन,
सर की बात ना मानो चुभन।
बात मन में यह ठान लेना,



कोई भी दुविधा में ना रहना,
जीत के लिए कदम बढ़ा लेना,
अपना कितना दोस्त बना लेना।
किताब हमें मंजिल दिखाती,
कहानी, कविता से मन बहलाती,
दिन से जोड़ने की बात बतलाती,
मोबाइल है दुश्मन यह सिखलाती।

गंगा, कक्षा-6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनिवालों की ठाणी, मंगले की बेरी, आठेल, बाड़मेर, राजस्थान-344033



आत्मा की प्रकृति

हाय ! रे मानव अपने को पहचानता नहीं पर दूसरों पर दोष रचता है स्वयं जन की आत्मा कुचट पर अपने को जन का स्वामी समझता है । वह कहाँ जिन्होंने काल को गले लगाया पर आज मनुष्य अपने प्रचण्ड स्वार्थ का अभिमानी है । वह माटी का कण-कण अबूझ पर प्रकृति को गहरी घात

पहुँचाता है । ये जन मानव मूल्य का असामंजस्य पर अपने को समझने में नाकाम है । देखो इस जीव के जीवन की प्रकृति को पर स्वयं संसार नहीं पहचान पाता है । क्या है कारण ? क्या है, अर्थ ? पर अपने ही पथ का घातक है,

हाय! रे मानव ।

चतुर सिंह, कक्षा-12, राउमावि स्त्रीया, जैसलमेर

बेटियाँ

बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

अगर गुड़िया ना मिले तो, जिद पर अड़ जाती है बेटियाँ ससुराल में घर जोड़ा बन जाती है बेटियाँ

बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

छोटी-सी चोट लग जाए, तो रो-रो कर घर भर देती है बेटियाँ ससुराल में दुखों का पहाड़, सह लेती है बेटियाँ

बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

न जाने कितने सपने संजोए लेती हैं जिम्मेदारियाँ आने पर चुप हो जाती है बेटियाँ

बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

थोड़े से काम से थकने वाली जिम्मेदार बहू बन जाती है बेटियाँ

बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

बात-बात पर लड़ने वाली चुपचाप सहन कर लेती है बेटियाँ दुख हो या सुख हर परिस्थिति में, धैर्य रखती है बेटियाँ बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ सच ही है न जाने कब पापा की नासमझ परी जैसी बेटियाँ एक दिन कल्पना चावला जैसी बन जाती है बेटियाँ बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

बड़ी अनोखी होती है बेटियाँ

नेहा, कक्षा 12वीं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनौता कलाँ, नगर, डीग, भरतपुर



अपने शाला परिवार में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विग्रम प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर shivira.dsc@rajasthan.gov.in पर भिजवाकर सहयोग करें।
-व. संपादक

पुरस्कृत शिक्षक फोरम बालोतरा - बाड़मेर द्वारा राजकीय बालिका छात्रावास बाड़मेर में स्वागत समारोह का आयोजन



बाड़मेर फोरम के अध्यक्ष सालगराम परिहार ने बताया कि डॉक्टर तारा चौधरी अधीक्षक बालिका छात्रावास एवं शारीरिक शिक्षक की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए फोरम की ओर से साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष जीताराम मकवाना, स्टेट अवार्ड प्राप्त व्याख्याता मोहन सिंह सांखला, स्टेट अवार्ड प्राप्त प्रधानाध्यापक मुकेश बोहरा ने डॉक्टर तारा चौधरी का मालाओं से स्वागत किया।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सालगराम परिहार ने कहा कि बाड़मेर के पहले शारीरिक शिक्षक है जिन्होंने विद्यालय में नियमित विद्याध्ययन और पारिवारिक वातावरण में बालिका छात्रावास का संचालन करते हुए BA, Bed, MA, Med और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर तारा चौधरी ने विद्यालय में एवं बालिका छात्रावास में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुण सीखने का तथा योग के द्वारा व्यक्तित्व को निखारने के सूत्र बताए। खेल के माध्यम से बालिकाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जीताराम मकवाना ने कहा कि तारा चौधरी मेहनती एवं अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व की धनी हैं। स्टेट अवार्ड प्राप्त व्याख्याता मोहन सिंह सांखला ने कहा कि बालिकाओं के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास सराहनीय है। प्रधानाध्यापक मुकेश बोहरा ने कहा कि बालिकाओं को राष्ट्र सेवा के योग्य बनाना बड़ी उपलब्धि है। गुप फॉर पीपल बाड़मेर जैसलमेर द्वारा थार नारी शक्ति अवार्ड -2017, जिला प्रशासन बाड़मेर द्वारा दो बार जिलास्तरीय सम्मान, टीम बाड़मेर के द्वारा नारी शक्ति गौरव अवार्ड-2024 के साथ कई सम्मानों से डॉक्टर तारा चौधरी को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में मीडिया प्रभारी इंद्राराम भादू ने पुरस्कृत शिक्षक फोरम के पदाधिकारी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

छात्राओं को मिली साइकिलें, खिले चेहरे



बीकानेर राज्य सरकार की योजना निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोतीगढ़ में कार्यक्रम आयोजित करके 49 छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। साइकिलें मिलने के बाद छात्राओं के चेहरे खिल गए। कार्यक्रम अधिकारी मोहर सिंह सलावद ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच राम सिंह भाटी व अध्यक्षता प्राचार्य सीमा मैथिल ने की। कार्यक्रम में सरपंच भाटी ने छात्राओं से कहा कि देश के भविष्य के लिए भारत में लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है इसलिए आप सभी मन लगाकर पढ़ें व अपनी पढ़ाई नियमित रखें। प्राचार्य मैथिल ने कहा कि शिक्षित बालिकाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कार्यक्रम प्रभारी मोहर सिंह सलावद ने बताया कि कार्यक्रम में दो सत्रों की जिसमें कक्षा 9 व 10वीं की 22 व 27 सहित 49 छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। कार्यक्रम में सरपंच रामसिंह भाटी, समाज सेवी शेर खां, प्राचार्य सीमा मैथिल, व्याख्याता विनोद कुमार बिश्रोई, उर्मिला सहित शाला स्टाफ मौजूद रहा।

ग्रामीणों ने नौटंकी से जुटाए विद्यालय के चार लाख:-



भरतपुर। जिले के नदबई ब्लॉक में स्थित राजकीय बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय कवई में कक्षा-कक्षाओं के अभाव के कारण विद्यालय की अध्ययन व्यवस्था प्रभावित होती थी। विद्यालय में 5 कमरे हैं तथा 10 कक्षाएं संचालित हैं। कमरों की कमी को पूरी करवाने के लिए काफी समय से विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे थे। जब कहीं से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तो ग्रामवासियों ने जनसहयोग से कमरे बनाने की योजना बनाई। स्थानीय क्षेत्र में “नौटंकी” लोकनाट्य बहुत प्रसिद्ध है और लोग इसमें बहुत रुचि रखते हैं। मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी को ग्रामीणों ने विद्यालय के भवन निर्माण हेतु जनसहयोग जुटाने के लिए नौटंकी का आयोजन करवाया। नौटंकी मंचन के लिए मथुरा के प्रसिद्ध कलाकारों को बुलाया। नौटंकी में ‘सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र’ लोकनाट्य का मंचन हुआ। ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लिया, कई हजार दर्शक नौटंकी देखने आए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय भवन विस्तार के लिए चार लाख रुपये की राशि जनसहयोग से एकत्र हुई। इस राशि से दो कमरों का निर्माण प्रारम्भ कर आगे और भी राशि जनसहयोग से ही जुटाने का संकल्प स्थानीय ग्रामवासियों ने लिया।

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण



ब्लॉक भवानीमंडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूलिया में परीक्षा पे चर्चा विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मण्डप से किया गया उसका लाइव टेलीकास्ट कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को दिखाया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि पी एम मोदी जी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत साल 2018 से हुई जिसका उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं के समय विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव को दूर करने हेतु विद्यार्थियों को समझाना है। वर्ष 2024 में इस कार्यक्रम का 7 वां संस्करण का आज प्रसारण विद्यार्थियों को दिखाया गया। कम्प्यूटर अनुदेशक प्रफुल्ल सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने लाइव टेलीकास्ट में परीक्षा के तनावों को दूर करने के लिए टिप्स बताए गए। हमे स्वयं को हर प्रकार के प्रेशर से निपटने के लिए तैयार करना है। अध्यापक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज के सीधे प्रसारण के दौरान बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक दबाव को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर्स को मिलकर का करना होगा।

इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य गंगाप्रसाद गुदराशिया, व्याख्याता वन्दना गुनसारिया, राजेन्द्र कुमार रैगर, वरिष्ठ अध्यापक धीरज सिंह चन्द्रावत, ऋतुश्री महावर, शोभा गुप्ता, रेखा बैरागी, देवी सिंह नागर, ऋषिकेश मीणा, राजेश कुमार शर्मा, सुनील पुरोहित, अजयराज गुप्ता, अध्यापिका प्रीतिबाला जैन, गरिमा गौत, कम्प्यूटर अनुदेशक प्रफुल्ल सक्सेना, वरिष्ठ सहायक गोरधन सिंह आदि उपस्थित रहे। मध्याह्न पश्चात निःशुल्क साइकिल प्रभारी ऋतु श्री महावर ने सुन्दर आयोजन किया जिसमें छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया।

ज्ञान संकल्प पोर्टल

भामाशाहों ने बदली विद्यालयों की तस्वीर

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडा बालोतान (जालोर)

□ महेन्द्र कुमार गर्ग



पृष्ठभूमि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उदय स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद वर्ष 1948 में प्राथमिक शाला के रूप में हुआ। वर्ष 1954 में माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ। वर्ष 1959 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ था जहाँ उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। संभवतया इस विद्यालय ने कई राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी तथा अनगिनत राजकीय कर्मचारी दिए। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग तथा आहोरा विधानसभा के विधायक श्री छगनसिंह राजपुरोहित भी इसी विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी हैं। एक समय में यह नालन्दा और तक्षशिला की भांति क्षेत्र में विख्यात विद्यालय रहा था।

भामाशाह ने बदली स्कूल तस्वीर:- श्री संभवनाथ जैन संघ तथा श्री ऋषभदेव जैन संघ द्वारा सन् 1948 में विद्यालय का निर्माण करवाया गया। फिर वर्ष 1957 तथा वर्ष 1967 में कक्षा-कक्ष व प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था परन्तु वर्ष 2000 तक भवन शनै-शनै कमजोर होता गया तथा 2010 के बाद विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण की अवस्था में हो गया।

महेन्द्र कुमार गर्ग ने दिनांक 06 जनवरी 2021 को इस विद्यालय में प्रधानाचार्य पद कार्यग्रहण किया तथा जर्जर भवन की समस्या को चुनौती के रूप में लिया। स्टाफ, सरपंच व गणमान्य नागरिकों से सम्पर्क कर जैन संघ से पत्राचार किया। जैन समुदाय के वरिष्ठजनों से विचार विमर्श किया गया। कई तरह की तकनीकी

समस्याओं का समाधान करते हुए अन्ततः श्रीमती कान्तिबाई नथमलजी रामाणी चेरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई द्वारा 2.25 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण का प्रोजेक्ट दिनांक 26.10.2022 को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14.02.22 को शिलान्यास किया गया तथा दिनांक 28.12.2023 को विद्यालय के नवीन भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। जिसमें स्थानीय विधायक श्री छगनसिंह राजपुरोहित, ट्रस्ट के पदाधिकारियों की उपस्थिति तथा जैनमुनि श्री हितेशचन्द्र, विजयजी म.सा. की शुभनिश्रामें सम्पन्न हुआ।

भामाशाह का परिचय:-

श्रीमती कान्तिबाई नथमलजी रामाणी चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार रामाणी 09.12.1970 में गाँव गुडाबालोतान में ही जन्में थे। प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा गुडाबालोतान में प्राप्त की तथा स्नातक फालना (पाली) से उत्तीर्ण की। वर्तमान में श्री प्रवीण ज्वेल्स नाम से मुम्बई में प्रा0 लि0 व्यवसाय है जिसकी बैंगलुरु तथा कोयम्बदूर में शाखाएं हैं। गाँव की मिट्टी से गहरा लगाव होने के कारण पैतृक गाँव गुडाबालोतान में आधुनिक सुविधा युक्त नवीन भवन का निर्माण करवाने का निर्णय लिया जो आज एक विशाल तथा आकर्षक भवन के रूप में खड़ा है।

शैक्षिक गतिविधियाँ:-

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अध्ययन-अध्यापन के कार्य के साथ-साथ विद्यालय में सत्र पर्यन्त नियमित रूप से सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जिसमें खेलकूद प्रतियोगिता नृत्य, गायन निबन्ध, पोस्टर मॉडल, प्रश्नोत्तरी आदि का

आयोजन किया जाता है। जिसमें विद्यार्थी की प्रतिभा में निखार आता है। उनमें आत्मबल को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे विद्यालय की छात्र संसद द्वारा समय-समय पर विज्ञान, लोकक्षेत्र एवं लोककला से जुड़े कार्यक्रम किए जाते हैं जो स्टाफ एवं विद्यार्थियों का सराहनीय कदम है। विभिन्न भौतिक सुविधाओं से सम्पन्न परिवेश:-

भामाशाह द्वारा विद्यालय में 16 कक्षा-कक्ष, 4 प्रयोगशालाएं, 1 स्टाफ-कक्ष, 1 प्रधानाचार्य कक्ष, 1 उपप्रधानाचार्य कक्ष सहित 35x50 फिट का एक हॉल का निर्माण करवाया गया है। साथ ही 300 विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार फर्नीचर भी उपलब्ध करवाया गया है। छात्राओं के लिए 5 मुत्रालयों-शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में पंखे, लाइट तथा ग्रीनबोर्ड की व्यवस्था भी है। पेयजल हेतु 1 बोरेल दो पानी की टंकियों का निर्माण करवाया गया है। हरितिमा के लिए विद्यालय में पौधारोपण भी करवाया गया है।

गुडाबालोतान में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण:-

दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 को परम पुज्य मालव केशरी मनोनीत आचार्य मुनिराज श्री हितेशचन्द्र विजयजी म.सा. की शुभनिश्रामें तथा माननीय विधायक श्री छगनसिंह जी राजपुरोहित के मुख्य आतिथ्य में भव्य उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री मनोहर लाल मौना, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक श्रीराम गोदारा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहनलाल परिहार की गरिमामयी उपस्थिति रही।

संस्थाप्रधान की कलम से:-

भवन निर्माण कार्य 14 फरवरी, 2022 में प्रारम्भ हुआ। लगभग 22 माह की अवधि में भवन पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। 28 दिसम्बर, 2023 को माननीय विधायक श्री छगनसिंह जी के कर कमलों से भव्य उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ। जिसके साक्षी लगभग 4000 नागरिक बने। कम समय में इतना विशाल भवन बनाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य था, परन्तु भामाशाह की सजगता तथा ठेकेदार की कार्यप्रणाली व सहयोग से भवन बनकर तैयार है। यह ब्लॉक का पहला विद्यालय है जो इतनी सुविधाओं से युक्त है।

प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
गुडा बालोतान (जालोर)

हमारे भामाशाह

ज्ञान संकल्प के विकल्प विकल्प Donate to A School के माध्यम से राजकीय विद्यालयों को माह - जनवरी 2024 में 50,000 एवं अधिक राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह

S.NO.	Donar Name	NameInEnglish	Block_Name	Dist_Name	AMOUNT
1	GURGAON INFOSPACE LIMITED	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KIRATPURA (494944)	BAMANWAS	SAWAIMADHOPUR	2100000
2	VIVRE PANELS PVT LTD	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KASUMBI UPADARA (477642)	LADNUN	NAGOUR	1225000
3	VIVRE PANELS PVT LTD	SHAHEED SUBEDAR SHRI MODARAM GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SUNARI LADNUN (213496)	LADNUN	NAGOUR	700000
4	VIVRE PANELS PVT LTD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MUNDRA (215498)	SUJANGARH	CHURU	600000
5	OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHAKAR ROAD HANUMAN NAGAR (460508)	NAGOUR	NAGOUR	480000
6	MANA RAM PACHAR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MUNDWA NO.3 (502986) MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PADAN NO. 2 GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PADAN NO 1, NAGOUR	MUNDWA	NAGOUR	428800
7	RAKESH KUMAR THORY	SHAHID HANUMAN SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAISLAN (213474)	LADNUN	NAGOUR	200000
8	MAHENDER SINGH BHOOKER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANIYALA (226869)	TARANAGAR	CHURU	113000
9	KANHAIYALAL KISHANLAL JOSHI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BIKAMSARA SARDAR SHAHR CHURU (215354)	SARDARSHAHAR	CHURU	111000
10	MANOJ KUMAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TAJGAR (213107)	FATEHPUR	SIKAR	101000
11	RIDHI SIDHI RESORTS	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KEHARPURA KHURD (215803)	CHIRAWA	JHUNJHUNU	100000
12	AMIT GUM INDUSTRIES	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAKHOD (215867)	SURAJGARH	JHUNJHUNU	100000
13	AERO PLAST LTD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SURATPURA (212406)	BHADRA	HANUMANGARH	100000
14	RASRASNA FOODS PRIVATE LIMITED	SETH B. L. ROONGTA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL ADARSH NAGAR (215621)	JHUNJHUNU	JHUNJHUNU	100000

S.No.	Donar Name	English	Block	Dist	AMOUNT
15	RITU CHODHARI	SETH BALDEV DAS SAGARMAL KHETAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMPURA (211610)	ALSISAR	JHUNJHUNU	100000
16	TN JEWELLERS	SHAHID HANUMAN SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAISLAN (213474)	LADNUN	NAGOUR	100000
17	TN JEWELLERS	SHAHEED AMAR SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANWLOD (215911)	SINGHANA	JHUNJHUNU	100000
18	MANROOP DHETARWAL	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADET (211596)	ALSISAR	JHUNJHUNU	100000
19	JAI PRAKASH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UMARWAS (222809)	KUMBHALGARH	RAJSAMAND	100000
20	DINESH KUMAR DEWASI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOODA S (213683)	SARNAU	JALOR	71000
21	CHIMAN LAL FULWARIA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL URIKA (215874)	SURAJGARH	JHUNJHUNU	57000
22	CHANDA RAM CHOTIYA	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NIMBOLA GOLAI (473367)	KHINWSAR	NAGOUR	51001
23	RAMESH CHANDRA ARYA	SWAMI VIVEKANAND GOVT. MODEL SCHOOL, SUWANA, BHILWARA (225384)	SUWANA	BHILWARA	51000
24	DEVILALL VERMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 6ZWM (212114)	GHRASANA	GANGANAGAR	51000
25	JAG MOHAN MEENA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAIRUPURA OJHA (222321)	BUNDI	BUNDI	51000
26	MANGU SINGH KHARWAD	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ANTALIYA (222819)	KUMBHALGARH	RAJSAMAND	51000
27	TEJ SINGH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LUDHAWAI (217176)	SEWAR	BHARATPUR	51000
28	BALU RAM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TIDIYASAR (215574)	RATANGARH	CHURU	51000
29	BAHADUR SINGH SOLANKI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANSA (222810)	KUMBHALGARH	RAJSAMAND	51000
30	BANWARI LAL MEENA	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MANDALGAW (408675)	BAMANWAS	SAWAIMADHOPUR	51000
31	MAHADEV FILLING STATION	SMT MEHTAB DEVI MISHRIMAL AGARWAL GSSS GANDHIPURA BALOTRA	BALOTRA	BARMER	51000
32	JAIPRAKASH KOTHARI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL	GARHI	BANSWARA	51000

S.No.	Donar Name	English	Block	Dist	AMOUNT
33	DINESH KUMAR	GOVT. PRIMARY SCHOOL PANCHPIPALI (474205)	MANOHARTHANA	JHALAWAR	51000
34	SUBHASH DHAKA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADUSAR (213150)	LAXMANGARH (SIKAR)	SIKAR	50900
35	SUJARAM CHOUDHARY	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RANIGAON (221405)	RANI	PALI	50501
36	ASHOK KUMAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAGWA (213261)	DHOD	SIKAR	50000
37	JITENDER VERMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SURATPURA (212406)	BHADRA	HANUMANGARH	50000
38	GIRDHAR SINGH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BASRA (498408)	RAMSAR	BARMER	50000
39	CHANDA SHARMA	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL PANOTIYA (500898)	SHAHPURA	BHILWARA	50000
40	CHITRA PANDEY	SHAHEED AJAY AHUJA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIMGANJMANDI (216777)	KOTA	KOTA	50000
41	GAYATRI DADHICH	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DHOBI GALI RAJNAGAR-RAJSAMAND (222937)	RAJSAMAND	RAJSAMAND	50000
42	AMENA FATIMA	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHARI CHARNAN (504720)	KOLAYAT	BIKANER	50000
43	RASMADHUR AGRO INDUSTRIES	SHAHEED AMAR SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANWLOD (215911)	SINGHANA	JHUNJHUNU	50000
44	RASMADHUR AGRO INDUSTRIES	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MANJHWA KI DHANI SURYA NAGAR (465163)	PILANI	JHUNJHUNU	50000
45	GIRDHAR SINGH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BASRA (498408)	RAMSAR	BARMER	50000
46	MAN MOHAN PUROHIT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAVRI KALLA (220111)	PHALODI	JODHPUR	50000

ज्ञान सकल्प पोर्टल के विकल्प Donate To A School के माध्यम से राजकीय विद्यालयों को माह - जनवरी 2024 में प्राप्त जिलेवार राशि

S.NO.	DISTRICT	TRANSACTION	AMOUNT
1	NAGAUR	588	3507828
2	CHURU	157	1490438
3	JHUNJHUNU	237	1258462
4	SAWAIMADHOPUR	48	1136584
5	BANSWARA	512	623796
6	SIKAR	380	478904
7	RAJSAMAND	524	457345
8	HANUMANGARH	414	397653
9	KOTA	601	368426
10	CHITTAURGARH	255	311080
11	BARMER	167	266665
12	AJMER	244	246291
13	PRATAPGARH	80	212068
14	UDAIPUR	295	203029
15	PALI	538	199528
16	JALOR	260	190851
17	BHARATPUR	136	184613
18	JODHPUR	221	183199
19	BHILWARA	213	173110
20	BIKANER	261	169471
21	JHALAWAR	580	145273
22	BUNDI	182	124190
23	JAIPUR	154	120524
24	GANGANAGAR	214	98495
25	BARAN	35	74482
26	DUNGARPUR	396	72354
27	ALWAR	490	68322
28	JAISALMER	128	58879
29	DAUSA	145	55528
30	TONK	383	50908
31	KARAULI	121	35730
32	DHAULPUR	445	34407
33	SIROHI	322	19134
Total		9726	13017567

ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से अनुमोदित/स्वीकृत प्रोजेक्ट:-

विभिन्न औद्योगिक घरानों/संस्थानों/व्यक्तिगत दानदाताओं द्वारा राजकीय विद्यालयों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से स्वीकृति हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल के विकल्प Create your own Projects में Projects Submit किए गए। माह फरवरी 2024 में 28 करोड़ 03 लाख से अधिक की लागत से कुल 31 Projects स्वीकृत/अनुमति प्रदान की गई है, उक्त अनुमोदित/स्वीकृत किए गए Projects में से कुछ निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कम्पनी/संस्था/दानदाता का नाम	प्रोजेक्ट संख्या	कम्पनी/संस्था/दानदाता द्वारा किए जाने वाले कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/व्यय (लाखों में)
1	श्रीमति इन्द्रा देवी जेठमल राठी ट्रस्ट	1444	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खींवर, नागौर में भवन, कक्षा कक्ष (1-8), छात्र-छात्राओं - शौचालय, पेयजल व्यवस्था, एचएम कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, अतिरिक्त कक्षा कक्ष (9-12), एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला, कला और शिल्प कक्ष, स्टाफ कक्ष का निर्माण कार्य	215.00
2	चम्बल फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल लि.	1458	कोटा जिले के 03 एवं बारा जिले का 01 राजकीय विद्यालय में कक्षा-कक्ष का निर्माण कार्य	92.97
3	चम्बल फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल लि.	1459	कोटा जिले के 07 राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष के छत मरम्मत का कार्य	44.08
4	चम्बल फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल लि.	1460	कोटा जिले के 25 एवं पाली जिले के 01 राजकीय विद्यालय में विद्यालय में मरम्मत का कार्य	94.34
5	मोजेक इण्डिया प्रा.लि.	1461	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चिट घाना, किशनगढ़ बास, अलवर में भवन, छात्र-छात्राओं - शौचालय, पीने का पानी, चारदीवारी, किचन शेड, रैंप, खेल का मैदान विकास, वर्षा जल संचयन, हाथ धोने की व्यवस्था, प्रमुख मरम्मत, कमरे का नवीनीकरण का कार्य	20.65
6	स्वधर्म फाउण्डेशन	1464	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रामसिंहपुरा, सांगानेर सिटी, जयपुर में क्लास रूम (1-8), छात्र-छात्राओं - शौचालय, एचएम कक्ष, पानी की व्यवस्था, फर्नीचर, स्टाफ रूम	100.00
7	टाटा ब्लूस्कोप स्टील प्रा.लि.	1466	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़ियामेव, तिजारा, अलवर में कक्षा कक्ष (1-8) का निर्माण कार्य	35.00
8	श्री जितेन्द्र केसा जी प्रजापत	1469	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक कागमला, रानीवाडा, जोधपुर में भवन, कक्षा कक्ष (1-8), छात्र-छात्राओं - शौचालय, बिजली सुविधा/इलेक्ट्रिक फिटिंग, पेयजल, एचएम कक्ष, रैंप, खेल मैदान विकास, वर्षा जल संचयन, अन्य कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, फर्नीचर, अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य	266.00
9	जी आर इन्फ्रा सोशल वेलफेयर	1470	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धमुख, राजगढ़, चुरू में भवन, कला एवं शिल्प कक्ष का निर्माण कार्य	500.00
10	चम्बल फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल लि.	1458	कोटा जिले के 12 राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष एवं शौचालयों का निर्माण कार्य	235.33
11	एस एम सेहगल फाउण्डेशन	1475	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पहाडीबास, उमरैन, अलवर में छात्र-छात्राओं - शौचालय, बिजली सुविधा/इलेक्ट्रिक फिटिंग, पीने का पानी, चारदीवारी, खेल का मैदान विकास, वर्षा जल संचयन, हाथ धोने की प्रणाली, फर्नीचर, प्रमुख मरम्मत, बाल एबीएल गतिविधियाँ, कंप्यूटर लैब/उपकरण, सोलर पेन इत्यादि का कार्य	47.50
12	गढवाल परिवार संस्थान चंदवा	1482	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदवा, अलसीसर, झुंझुनू में भवन निर्माण का कार्य	450.00
13	श्री नेमीचन्द्र	1488	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कुशालपुरा, रायपुर, पाली में भवन, क्लास रूम (1-8), छात्र-छात्राओं - शौचालय, बिजली सुविधा/इलेक्ट्रिक फिटिंग, पीने का पानी, बाउंड्री वॉल, किचन शेड, एचएम रूम, रैंप, दिव्यांग शौचालय इत्यादि कार्य	250.00
14	शक्ति सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट	1489	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुहाना, सांगानेर, जयपुर में कक्षा कक्ष (1-8), छात्र-छात्राओं - शौचालय, पीने का पानी, रैंप, फर्नीचर, प्रमुख मरम्मत, कंप्यूटर लैब/उपकरण का कार्य	150.00
कुल राशि				2803.56

बाल शिविरा : मार्च, 2024




गुडिया,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराणा (जालोर)



दुर्गा, शिव्या, निरमा चौधरी,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होड़ू (बालोतरा)



लीला परिवार,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होड़ू (बालोतरा)



जगदीश कुमार,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होड़ू (बालोतरा)



रवीना, मुली,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होड़ू (बालोतरा)



जगदीश सेक्टर,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होड़ू (बालोतरा)



धापु सेन,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होड़ू (बालोतरा)



सरुपा,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दासोड़ी (बीकानेर)



मगतती चारण,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दासोड़ी (बीकानेर)

बाल शिविरा : मार्च, 2024



सोनी चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेनिवालों की टाणी, मगलों की बेरी आठेल, बाड़मेर



लीलाधर,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैछपुरा सीलवानी (श्रीगंगानगर)




माया कंवर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अम्बासर (बीकानेर)



धिया,
बाल साधना पब्लिक स्कूल गुदा गौड़जी (झुंझुनू)



मायु कुमारी,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आखराड़ (जालोर)



गुहिया,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराणा (जालोर)

सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के तहत माननीय शिक्षामंत्री श्री मदन दिलावर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी एवं अधिकारीगण व प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी



राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल के स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर माननीय उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, माननीय शिक्षामंत्री श्री मदन दिलावर, शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री नवीन जैन, निदेशक मा. शि. श्री आशीष मोदी, समसा एवम् अन्य राजकीय विभागों के अधिकारीगण एवम् कार्मिक



माननीय शिक्षामंत्री श्री मदन दिलावर एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी द्वारा विद्यालयों का अवलोकन

